राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ५१ वां दिवस [संख्या ३४

गुरुवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी, स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा, सहकारी, विधि, सिंचाई राजस्थान केनाल, गृह, विकास, स्वायत्तशासन, श्रम, कृषि यातायात एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

उदयपुर डिस्टिलरी को दी गई रियायत को रोकना

९३०. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : Will the Excise Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that M/s Udaipur Distillery has been given a concession in Vend fee (Duty fee) of denatured spirit by Rs. 2/-per Gallon ? If yes, why ?

2. What is the annual production of Rectified Spirit of Rajasthan and how much quantity is imported by the State from other States for consumption within the State ? Give figures of Udaipur Distillery separately ?

3. How much does the State pay for the B. Gallon of Rectified spirit locally produced and for the spirit imported from outside by Distillers and supplied to Government ?

4. How mnch quantity of denatured spirit has been used by M/s Udaipur Distillery, for industrial use during 1959 and 1960, and by other licenses during the correspon-ding period ?

Page No.2

(अर्जनदास)

5. How much total loss has the Government sustained by allowing this concession to M/s. Udaipur Distillery in purchase of Rectified spirit imported and supplied by the Distillery and Vend Fee of denatured spirit ronsumed bv the Distillery ?

6. Does the Government now intend to withhold this concession allowed to M/s. Udaipur Distillery and protect the Small Scale Cottage Industries using denatured spirit as raw material ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): 1 & 2. No specific concession in Excise duty on denatured spirit has been granted to M/s. Udaipur Distillery. However, under Government Notification No. F. 1 (15) E & T/59 dated 25. 6. 59 excise duty at reduced rate of Re. 1/-per gallon is ievied on denatured spirit manufactured in any place in Rajasthan and utilised within the State in the manufacture of French polish, in case the French polish is exported outside the State and Central Excise duty is paid thereon.

3. Statement is enclosed herewith (A).

4. Statement is enclosed herewith. (B).

5. Statement is attached herewith. (C).

6. No loss has been sustained.

The Question does not arise.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अर्जनदास : What is the ordinary rate ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : Rs. 3/- per gallon.

श्री अर्जनदास : Does Udaipur Distillery pay any Vend Fee ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : Yes. The Notification was issued for all the Distilleries. Those who manutacture denatured spirit here and prepare polished and they export outside the State, they will be given concession @ Rs. 1/8/- per gallon.

श्री अर्जनदास : I have understood what you want to say, but my supplementary is different. Does M/s. Udaipur Distillery pay any Vend Fee to the Government ? Did they pay anything for the last year ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : There is no concession to the Udaipur Distillery.

श्री अर्जनदास : I am not talking of any concession. I wanted to know whether they paid you any amount...

श्री रामचन्द्र चौधरी : They do pay.

श्री अर्जुनदास : How much did they pay last year ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : You have not asked this in your question.

श्री अर्जुनदास : In this Schedule, (B) I find out that the Government pays price not of other divisions except Udaipur Distillery, of course some is for imported as well as for locally produced and rectified spirit and there is an export of Udaipur Distillery and that is also of some naya paisa. Will the Government explain it ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : Yes, the contract for Udaipur Distillery was given two years back than the prevailing prices as per list B (i) 1. 94 and (2) 3. 50 n. p for imported and in the rest of the divisions contract has been given to the Sugar Factory, Ganganagar on the rates prevailing here.

श्री अर्जुनदास : Is the Government bound to buy from Udaipur Distillery anymore ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : As long as the contract exists.

श्री अर्जुनदास : What is the period of the Contract ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : One year more.

श्री अध्यक्ष : Shri B. N. Joshi:

अपंजीबद्ध एवं अयोग्य पंसारी द्वारा दी गई देशी औषधि से शासकीय विद्यालय, बांदीकुई के अध्यापक की मृत्यु

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई)–[डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: Will the Public Health Minister be pleased to state :—

1. Whether it is a fact that the death of a young teacher of the Government High School, Bandikui had occured in the month of October, 1960 by reason of an abnoxious indigenous medicine being administerd to him by a local grocer who is neither registered as medical practioner nor is properly qualified to be so registered but habitually indulges in such quackery ?

2. Will the Government institute an enquiry into the matter and do the needful to bring the offender to book ?

3. Will the Government take early effective steps for doing the needful in placing on the Satute Book an exhaustive anti-quackery legislative measure ?

उप–मन्त्री जन स्वास्थ्य (श्री भीखा भाई): 1. No such report has been received in the Directorate of Medical & Public Health.

(श्री भीखाभाई)

2. The question does not arise.

3. Steps are being taken in this connection.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या उसको इस प्रकार की रिपोर्ट हुई नहीं ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : तो फिर स्टेप्स किस बात के लिये ?

श्री भीखाभाई : पार्ट (२) में जो पूछा है उसका उत्तर दिया है।

डॉ० चन्द्रकला : वहां क्या स्टेप्स लिये गये जब कि सूचना नहीं मिली कि टीचर की डैथ हुई है ?

श्री भीखाभाई : प्रश्न दूसरा है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई बात चलती है तो स्टैप्स पर्टिकुलर केस को देख कर ही लिये जायं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आपके विभाग के सामने यह बात आई थी कि कोई वहां पर अवैध तरीके से दवाइयें बेचता है ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्रश्न के तीसरे हिस्से के बारे में क्या स्टेप्स लिये गये ?

श्री अध्यक्ष : कानून बनाने के लिये विचार-विमर्ष कर रहे हैं।

द्वारकाप्रसाद शर्मा द्वारा लोन एवं सब्सिडी की रकम का गबन

६३२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अखाद्य तेल व साबुन सहकारी संघ, सवाई माधोपुर को हस्ते श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा के २०,०००) रु० लोन तथा सब्सिडी (मदद) के दिये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि उस व्यक्ति ने इस रकम का गबन कर लिया और उक्त संघ के कागजात भी गायब कर दिये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अखाद्य तेल व साबुन सहकारी संघ नाम की कोई संस्था सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर में रजिस्टर्ड नहीं है; अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह समझने में भूल हुई है कि अखाद्य तेल नहीं, बल्कि साबुन बनाने के लिए सहकारी समिति को द्वारकाप्रसाद शर्मा की मार्फत सहायता दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: सवाल ही नहीं है।

श्री अर्जनदास (अजमेर–पश्चिम) : Is there any Sahkari Sangh in Sawai Madhopur ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है। वह दूसरो है जो आप कह रहे हैं।

पाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कर्मचारियों में कमी

६३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) प्रत्येक जिला न्यायालयों में कितने यू० डी० सी० व एल० डी० सी० किस आधार पर मुकर्रर किये जाते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आजकल आवश्यकता से दुगुने क्लर्क हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पाली डिस्ट्रिक्ट में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनका कार्य देख कर उनकी संख्या घटाने का विचार रखती है ?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आम तौर पर प्रत्येक जिला न्यायालयों में ६ वरिष्ट लेखक (यू० डी० सी०) तथा १६ कनिष्ठ लेखक (एल० डी० सी०) आवश्यकतानुसार रखे जाते हैं।

(२) यह सत्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अर्ज कर दूं कि पहले से आजकल लिटिगेशन कम है, लेकिन क्लर्कों की संख्या पहले कम थी और अब ज्यादा है; जब कि लिटिगेशन काफी कम हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसे और देख लेंगे। हाईकोर्ट को लिख देंगे।

प्रश्न संख्या ६३४

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

जनाना अस्पताल, नोखा में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति

६३५. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जनना अस्पताल, नोखा की इमारत वहां के एक सज्जन ने हजारों रुपयों की लागत से करीब पांच वर्ष पहले बना कर सरकार को दे दी थी, मगर अभी तक उसमें लेडी डॉक्टर का प्रबन्ध नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही नोखा में एक लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस भवन में जो दान में प्राप्त हुआ था अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें डॉक्टर मौजूद है। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की जाती है।

श्री रावतमल पारीक : क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए वह भवन नहीं बनाया था, वह भवन बनाया गया था लेडी अस्पताल के लिए और गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था लेडी अस्पताल खोलने के लिए ? प्राइमरी हैल्थ सेन्टर से लेडी अस्पताल की जरूरत पूरी नहीं होती।

Page No.6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर पहले हमारी डिस्पेन्सरी थी उसमें उक्त सेठ ने एक विंग एड किया है। सारी डिस्पेन्सरी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। जब तक दूसरा भवन नहीं बनता तब तक वह विंग भी काम में लिया जाता है।

श्री रावतमल पारीक : १० हजार की जन-संख्या में लेडी डॉक्टर की जरूरत है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत स्थानों पर जरूरत है, लेकिन लेडी डॉक्टर्स मिल नहीं रही हैं।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यदि जरूरत है तो लेडी डाक्टर क्यों नहीं भेजी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके पास हो तो भेज दीजिये।

श्री किशनाराम : मेरे पास ट्रेनिंग स्कूल है क्या ? यह क्या जवाब हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेनिंग स्कूल तो नहीं है लेकिन आपके ध्यान में है तो बता दीजिये।

श्रीमती सतवंतकौर (श्रीकरणपुर): यह सरकार की जिम्मेदारी है, सदस्यों की जिम्मेदारी तो नहीं है।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३७

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

जयसमन्द झील, उदयपुर की नहर

६३८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६० व ३१ जनवरी तथा २८ फरवरी, १९६१ को उदयपुर जिले की जयसमन्द झील की मुख्य नहर के हैड पर क्या गेज रहा है ?

(२) उक्त शाखा की सब नहरें बराबर चलाने के लिये कितना पानी चलना आवश्यक है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण); जय समन्द तालाब की भाट नहर व श्यामपुरा नहर के हैड गेज की सूची संलग्न है।

(२) यदि ये नहरें एक साथ पूरी चलाई जावें तो भाट नहर में ५ १/४ फीट और श्यामपुरा नहर में ३ १/२ फीट गेज होना चाहिये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : जहां भाट नहर में ५। फीट पानी होना चाहिये वहां २८-२-६१ को २॥ फीट यानी आधा पानी ही कैसे रह गया ? इतना कम पानी देने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : बात यह है कि जैसी अभी आप से चर्चा हुई थी, आपको सारी स्थिति समझा दी गई थी । दो सिस्टम्स हैं, एक तो नहर यदि पूरी चलती रहे तो पीरियड कम रहता है, इसलिये फसल की सिंचाई के लिये टाइम कम दिया जाता है। दूसरा सिस्टम यह है कि कम पानी चले पर रोटेशन पर पानी दिया जाय तो सिंचाई हो सकती है और टाइम ज्यादा मिलता है। यहां यह मैथड अपनाया जा रहा है। पानी कमहोता है तो भी टाइम ज्यादा होने से सिंचाई अच्छी तरह से हो जाती है।

श्री सोहनलाल भटनागर : ओरीजनल डिज़ाइन ५॥ फीट का क्यों किया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : ओरीजिनल ५॥ किया गया लेकिन जब इर्रिगेशन का एवरेज कम, होता है तो घटाया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनार : क्या यह सही है कि १॥ महीने तक किसानों को पानी नहीं मिला ?

श्री भीखाभाई : यह जान कारी नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर: फसल सूख गई है और उनको पानी नहीं मिला है तो क्या उनको रेमिशन मिलेगा ?

श्री भीखाभाई : इर्रिगेशन रूल्स में रेमिशन पाने का अधिकार है। उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : पानी क्यों कम रहता है ? क्या इसके बारे में मालूम करेंगे और दुरुस्त करेंगे ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपने बतलाया है।

श्री सोहनलाल भटनागर : पानी की कमी के कारण नुकसान पहुँचता है........

श्री दौलतराम सारण: हमने नहीं कहा कि नुकसान होता है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : आपको महसूस क्या हो रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : महसूस का सवाल नहीं है। यहां पर तथ्य पूछे जाते हैं उनका उत्तर दिया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि १॥ महीने तक किसानों को पानी नहीं मिला ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग सवाल है। जानकारी कर लेंगे।

बीकानेर में पृथक चक्षु चिकित्सालय खोलने की मांग

६३६. श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार बीकानेर में सौ बिस्तरों का आंखों का एक अलग अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसा कब तक संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[redacted]

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जी नहीं । बीकानेर के पी. बी. एम. मेन्स व वीमेन्स अस्पताल में सरकार की ओर से क्रमश: ४६ व १० शैय्याओं की व्यवस्था है, जिनमें केवल आंख के पीड़ित रोगियों का इलाज होता है । अतः बीकानेर में सौ बिस्तरों का आंख का एक अलग अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री रावतमल पारीक : मैं अर्ज करूं कि आंख एक ऐसी चीज है जिसका ओपरेशन होने के बाद बिस्तर तक मरीज को लाया जावे तब तक आंख बेकार होने का अंदेशा रहता है इसलिये अलग ओपरेशन हो सके, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है ।

श्री रावतमल पारीक: अध्यक्ष महोदय, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, गलत इत्तिला है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर आंख के लिये अलग डॉक्टर्स हैं, ४६ मर्दाना अस्पताल में और १० जनाना अस्पताल में बैड्स हैं । इसके अलावा और क्या हो सकता है ?

श्री रावतमल पारीक : ये बैड्स तो ओपरेशन के बाद आराम के लिये हैं । आंख के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य गलती पर हैं । आंख का ओपरेशन होने के बाद ही बैड पर मरीज को लाया जाता है ।

श्री रावतमल पारीक : ओपरेशन करके बैड तक लाने में कितना फासला है ? वहां तक ले जाने में हिलने लगते हैं उससे आंख खराब होती है ।

एक माननीय सदस्य : क्या इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर में सभी सुविधाएं हैं, राजस्थान के और स्थानों से ज्यादा हैं ।

श्री रावतमल पारीक : वे तो पहले से ही, स्टेट के जमाने से ही थीं, राजस्थान सरकार ने क्या किया है ? मैं अर्ज करूंगा कि ज्यादा महसूस होता है तो हटा दें ।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ध्यान में रखेंगे ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : वहां पर जरूरत से ज्यादा सुविधाएं क्यों हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : वहां बहुत सी कमियां हैं । वहां के अस्पताल की प्रतिष्ठा है, कलकत्ता तक के लोग ओपरेशन कराने आते हैं । आप देख लीजिये कितने लोग बाहर से आते हैं । जब ऐसी स्थिति है कि काफी लोग आते हैं तो वहां बैड्स बढ़ाये जायं और व्यवस्था को ठीक किया जाय । इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न किया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब स्पष्ट दिया है कि राजस्थान में जितने बैड्स की व्यवस्था है, जिसके हिसाब से बीकानेर में कम नहीं हैं । मैं कम करने के लिए नहीं कहता, लेकिन जयपुर के अस्पताल में शार्टेज

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है, सब जगह शोर्टेज है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हम योजना को देखते हुए व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे ओवर ऑल पिक्चर को देखते हुए बेड्स कम हों, ऐसी बात नजर नहीं आती। वैसे अगर आप बतायेंगे तो देख लेंगे। लेकिन माननीय सदस्य कहें कि सौ बैड्स का अस्पताल खोला जाना चाहिए, वह नहीं हो सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऑपरेशन की सुविधा करें। अभी जो असुविधा है, उसको दूर करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल है, क्या सरकार बीकानेर में सौ बिस्तरों का आंखों का एक अलग अस्पताल खोलने का विचार रखती है? मैंने उसका विचार दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न की व्यवस्था हो जाय ताकि लाभ मिल सके।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि आंख जो बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए, उसके लिए सरकार राजस्थान में पर्याप्त व्यवस्था करे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए स्पेशल कैम्प होते हैं, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। इसके अलावा बीकानेर में बैड्स की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी आप ऐसे आदमियों को लावें तो मैं उनके इलाज की व्यवस्था कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

राजस्थान नहर के उद्घाटन पर खर्चा

९४०. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या मंत्री, राजस्थान कैनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक ३०-३-५८ को राजस्थान कैनाल का जो उद्घाटन किया गया उस पर किस किस मद में कितना रुपया खर्च हुआ?

राजस्थान कैनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : राजस्थान कैनाल के उद्घाटन पर ३३,३०० (तैंतीस हजार तीन सौ) रुपये खर्च हुए थे। किस किस मद में कितना रुपया खर्च हुआ, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तनसिंह : क्या जो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह पर खर्च हुआ वह खर्च इसमें शामिल है? जो एडवर्टाइजमेंट में और अखबारों में छपाया है, उसमें जो खर्च हुआ वह इसमें शामिल है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो खर्च हुआ है उसकी लिस्ट मेज पर है, उसमें आप देख लीजिये।

श्री तनसिंह : मेज पर लिस्ट है, वह देख ली है। क्या इसमें यह खर्चा है, जो एडवर्टाइजमेंट पर हुआ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके अलावा और खर्चा नहीं है।

[redacted]

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग से इसके अलावा और खर्च नहीं हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी।

श्री तनसिंह : इसका मतलब है कि दूसरे विभाग का खर्च इसमें शामिल होगा ही।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली जिले की सब-कोर्ट्स में विचाराधीन मुकदमे

६४१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले में सिवाय सेशन्स कोर्ट के अन्य सब-कोर्टस् में कितने ऐसे फौजदारी मुकदमें हैं जो तीन साल से अधिक पुराने हैं ?

(२) यह मुकदमे इतने समय से क्यों पेंडिंग हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ऐसे मुकदमों की संख्या चार है।

(२) इन मुकदमों के पेंडिंग रहने के अनेक कारण हैं; जैसे :—

१. गवाहान का तारीख पेशी पर उपस्थित न होना।

२. पैरवी करने वाले वकीलों का किन्हीं कारणों से उपस्थित न होना।

३. मिसल का उच्च अदालत में निगरानी, अपील के लिए चले जाना।

४. मुल्जिम का न्यायालय में उपस्थित न होना।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या माननीय मंत्री ने इस चीज की जांच करवाई कि अदालत में मजिस्ट्रेट गैर हाज़िर रहते हैं, उनको टाइम पर आना चाहिए, पर नहीं आते ? उसकी जांच करवाने को तैयार हैं ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : इस मुकदमें में कितनी बार पेशियां पोस्टपोन की गईं।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए नोटिस की जरूरत है। फलां मुकदमें के लिए पूछते तो मैं वैसा उत्तर देता।

श्री रामचन्द्र : यह रफली मालूम हो जाय कि कितनी पेशियां पोस्टपोन की गईं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुश्किल है।

श्रीमती सतवन्त कौर (श्रीकरणपुर) : फिर आप जवाब किस बात का दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जवाब आपके सवाल का दे रहा हूँ।

श्री किशनाराम : क्या माननीय मंत्रीजी ने सारी जानकारी की है कि अदालत के मेजिस्ट्रेट कभी मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, कभी किसी दूसरे के पास चले जाते हैं और गवाहान बीस बीस तारीख में वापिस

(श्री किशनाराम)

जाते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट होते नहीं जब कि माननीय मंत्री कहते हैं कि गवाहान नहीं आते ? मैं कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट हाजिर नहीं रहते । आप इसकी जांच करवा लें ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : It has become a routine that the Magistrates in Rajasthan come to the Courts very late and at their own convenience. Practically they don't sit for even half the time. Will the Government look into the matter ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल पैदा कहां हो रहा है ? सवाल है, ऐसे कितने मुकदमें हैं जो तीन साल से अधिक पुराने हैं ? मैंने कहा चार मुकदमे हैं । इसमें ये सवालात कहां पैदा हो रहे हैं ?

श्री किशनाराम : तीन साल से मुकदमे चले, उनमें एक भी गवाही नहीं हुई । यह गवाहों की गलती है या मजिस्ट्रेट की ?

श्री अध्यक्ष : आपने कारण बताया, वह भी दर्ज है । जो माननीय मंत्रीजी ने कारण बताये, उसमें एक यह भी है जो आप बता रहे हैं ।

(विराम)

श्री बेनाराम गहलोत ।

सोमेसर बृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, सोमेसर द्वारा वितरित बीज

६४२. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में सोमेसर बृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, सोमेसर को कृषि विभाग एवं विकास खंड, देसूरी द्वारा गेहूं व अन्य बीज वितरण हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो कब, कितना कितना और क्या क्या बीज दिया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहकारी समिति के बीज को रानी पंचायत समिति ने अपने चार्ज में लिया था ? यदि हां, तो कब, कितना कितना और क्या क्या बीज लिया था ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(३) क्या यह सही है कि सहकारी समिति द्वारा वितरण किया गया बीज अभी तक सदस्यों में बकाया है ? यदि हां, तो किन किन सदस्यों में कितना कितना बीज असल व बाढ़ी का बाकी है व कितना पोते में ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(४) क्या यह सही है कि इसी प्रकार दुअरिया व देवली बहुधंधी सहकारी समिति को भी बीज दिया गया था ? यदि हां, तो कब व कितना कितना और अब कितना पोते है व किन किन सदस्यों में कितना कितना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

[redacted]

जिला परिषद् के लेखकों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स

६४३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जिले के हैड क्वार्टर पर कार्य करने वाले वरिष्ठ लेखक व कनिष्ठ लेखक को क्रमशः दस रुपये व पांच रुपये हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाता है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् के उक्त लेखकों को यह अलाउन्स नहीं दिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार यह अलाउन्स जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं । जिला परिषद् के कार्यालय को विभागाध्यक्ष के कार्यालय के समकक्ष नहीं समझा गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह किसलिए नहीं समझा गया, क्या वे कर्मचारी काम नहीं करते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा नहीं है। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में जो काम करते हैं वे ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा तजुर्बे वाले लोगों की जरूरत होती है, इसलिए अलाउन्स दिया जाता है । जिला परिषद् के दफ्तरों में काम को देख कर यह अलाउन्स जरूरी नहीं समझा गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : जिला परिषद् के कर्मचारी और कलेक्टरेट के कर्मचारियों का केडर क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एल. डी. सी., यू. डी. सी.। काम अलग अलग करते हैं, कहीं काम का भार ज्यादा है, कहीं कम है; उसके अनुसार अलाउन्स दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर में बसाई जाने वाली बस्तियां

६४४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली शहर में बसाई जाने वाली विभिन्न बस्तियों में कौन कौन सी जगह व कितने कितने भूखण्ड अनुसूचित जाति वालों को, अल्प आय वालों को, गाडोलिया लुहारों को, पुरुषार्थियों को तथा गुमाश्ता—मुनीमों को अलॉट किये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप—मन्त्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : आपने आश्वा-

(श्री मूलचन्द डागा)

सन दिया था कि पांच साल में जमीन अलॉट की जायेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आश्वासन किसने दिया था, किस तारीख को दिया था, कहां दिया था; कृपया मुझे इसकी सूचना दें तो मैं कुछ उत्तर दूं।

श्री मूलचन्द डागा : इस हाउस में तीन साल पहले दिया था कि गाडिया लुहारों को जमीन अलॉट कर दी जायेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी आप पांच साल के लिए फर्मा रहे थे।

श्री मूलचन्द डागा : पांच साल पहले मौके पर कहा था, फिर प्रश्न किया तो तीन साल का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसमें प्रावधान रखा गया है। उसमें कुछ अड़चनें होती हैं; जैसे ही वे दूर होंगी वैसे ही जमीन दे दी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : कब दी जायेगी?

प्रश्न संख्या ६४५

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

गंग कैनाल कोलोनी की नहरों से मिले कम पानी के अनपात से आबियाना में कमी

६४६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (श्रीकरणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पिछले साल गंग कैनाल कोलोनी की नहरों में कम पानी आया और उसके कारण सन् १६६० की कपास और गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा?

(२) क्या यह सच है कि इसी कारण सन् १६६०–६१ की रबी की फसल भी बहुत कम देरी से हुई है और अब भी नहर बन्द होने के कारण फसल को पूरा पानी नहीं मिल रहा है?

(३) क्या यह सच है कि पिछले सालों में जहां गेहूँ को पांच–छः पानी मिला करता था इस साल आधा पानी ही मिलने की सम्भावना है; जिससे पैदावार में बहुत कमी होगी और काश्तकारों को नुकसान होगा?

(४) क्या ऐसी हालत में काश्तकारों से सरकार आधा ही आबियाना लेगी जैसा कि पंजाब सरकार कर रही है?

(५) क्या पानी के अनुपात से आबियाना में कमी करने का सरकार ने निश्चय किया है?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) यह सही नहीं है। रबी ठीक समय पर ही हुई है और निर्धारित क्षेत्र से अधिक हुई है पर पिछले साल से कुछ कम हुई है।

(३) जी नहीं।

Page No.14

(श्री दौलतराम सारण)

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

श्रीमती सतवन्तकौर : आपने जवाब दिया कि पिछली साल से पानी कम नहीं मिला। जो पानी दिया गया है वह नवम्बर में मिला है। आपने कहा है, 'जी नहीं'। यह गोल-मोल जवाब देने का क्या कारण है?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर दिया है कि पानी पहले से कम आया है, जिसके कारण सिंचित रकबा कम हो गया; लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि पानी देने से पहले यह तय कर लेते हैं कि कितना कितना पानी कितनी जमीन में दिया जा सकेगा। जितनी जमीन पर पानी देना तय होता है उतनी जमीन में पानी दिया जाता है।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि पानी लेट मिला है?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : सिंचित रकबा कम हो गया, क्या आपने पहले गॉज बना लिया है कि इतने एकड़ में पानी नहीं दिया जाना है?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : गंग नहर में पानी कम आ रहा है, उसको पूरा करने के लिए पंजाब टेरीटरी पर, जहां से नहर आ रही है, वहां पानी के और ट्यूब वैल्स बना सकते हैं, ताकि कमी पूरी कर सकें?

श्री दौलतराम सारण : क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है; यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता। पानी की कमी पूरी करने के लिए अलग से कार्यवाही होने की आवश्यकता है, अलग से सोचें, यह आवश्यकता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : अच्छी योजनायें गवर्नमेंट को लेनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट लेती है पर यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या किया जायेगा, क्या नहीं किया जायेगा। वैसे माननीय सदस्य के सुझाव पर गौर कर लिया जायेगा।

श्रीमती सतवन्तकौर : पानी कम मिलता है, पंजाब सरकार इसके लिए मुआवजा कम कर रही है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही है?

श्री दौलतराम सारण : क्या?

श्रीमती सतवन्तकौर : आधा पानी मिलने के कारण पंजाब सरकार मुआवजा कम कर रही है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही है?

श्री दौलतराम सारण : हमें मालूम नहीं कि पंजाब सरकार क्या कर रही है।

Page No.15

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पानी तीन मिलता है जब कि जवाब में कहा कि ६ पानी मिलता है और माननीय सदस्या कहती हैं कि ३ पानी मिलता है उसमें कौन सी बात सही है ?

श्री दौलतराम सारण : जी ?

श्री पी० के० चौधरी : तीन नम्बर के सवाल में कहा है, "जी नहीं।" उन्होंने कहा कि ३ पानी मिलता है, आप कहते हैं कि ६ पानी मिलता है, कौन सी बात सही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने जो उत्तर दिया है वह सही है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरकार आबियाना कम करने के लिए विचार कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : आबियाना कम करने का सवाल नहीं है। फसल का पानी जिसको दिया जाता है उससे आबियाना लेना पड़ेगा, जिसको नहीं दिया जाता है उससे लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पानी दिया जाता है और फसल अच्छी नहीं होती तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब पूरा पानी नहीं देते तो पूरा आबियाना कैसे ले सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि पूरा पानी दिया जाता है।

श्री किशनाराम : आप किस रेश्यो से पानी देते हैं ?

श्री भीमसेन : गेहूं की फसल के लिए कितना पानी दिया जाता है ?

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पानी पूरे समय नहीं मिलता तो फिर पूरा पानी कैसे दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : हमारे हिस्से के मुताबिक पूरा पानी आ रहा है। लेकिन पिछले अर्से में पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे हिस्से में अभी मिल रहा है वह कुछ कम हुआ है....

डॉ० बहादुरसिंह : कुछ कम हुआ, फिर कैसे पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पानी कम आता है, इसलिये रकबा कम आया।

श्रीमती सतवन्तकौर : पहले ६ दफा पानी लगता था वहां अब तीन दफे पानी लगता है। इसलिये मैंने पूछा है कि क्या सरकार मुआवजा कम करेगी या नहीं ?

श्री पी. के. चौधरी : One question.

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री पी. के. चौधरी : One question more.

श्री अध्यक्ष : Nest question.

श्री हरिप्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिप्रसाद यादव)

नहरों और तालाबों का पानी तीन बार पिलाया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : राजस्व मंत्री ने पहले जवाब दिया था कि पानी कम मिलने से फसलों को नुकसान हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने नहीं कहा कि नुकसान हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने तो नहीं कहा लेकिन सदन में कहा गया। राजस्व मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पानी की कमी से फसलों को नुकसान हुआ। आप यह कह रहे हैं, इसमें कौनसी बात सही है ? पहले मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में कहा गया था कि पानी कम मिलने से फसलों में नुकसान हुआ।

श्री दौलतराम : मुझे मालूम नहीं। मैंने यह कहा कि पानी कम आया है, उसमें सिंचित रकबा कम हो गया लेकिन फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने यह कहा कि लोगों को फसलें बोने से पहले यह बता दिया गया कि इतना पानी हम दे सकेंगे, पानी इतने रकबे के लिये उपलब्ध होगा। पानी के नहीं मिलने से कोई किसी की फसल को नुकसान नहीं हुआ। पानी की कमी की वजह से रकबा कम किया गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह रकबा कितना कम किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : करीब २२ हजार एकड़।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : पानी कम मिलने की वजह से नुकसान होता है। इसके लिये सरकार ने कोई बात चालू की है कि इससे सिंचाई में नुकसान होता है ?

श्री मदनसिंह : आप कहते हैं कि २२ हजार एकड़ रकबा कम हो गया। मैं यह समझता हूँ कि यह कोई कम रकबा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री खुद कहते हैं कि रकबा कम किया है। वे खुद कहते हैं कि पानी उनको मिलता है।

श्री मदनसिंह : एक प्रश्न यह है कि कितना रेशियों में पानी कम दिया गया इसका कोई अन्दाज है क्या ? अगर यह अन्दाज नहीं है तो यह कहना कि इतने एरिया पर पानी की कमी से एरिया कम किया गया मुश्किल है।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है। मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि जितने क्षेत्र में पानी देना तय किया था उसमें पानी पूरा दिया गया है और कोई फसलों को नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ रकबा जो कम करना था कर दिया गया है।

श्री मदनसिंह : यह ऐसा प्रश्न है कि रकबा तभी कम किया जा सकता है जब इसके बारे में यह मालूम हो कि कितने रेश्यो में पानी कम किया गया है। इस तरह से यह जवाब देना मेरे जंचा नहीं। निश्चित रूप से कमी-बेशी तभी हो सकती है।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(श्री भीखाभाई)

अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने ऐसा मेथेमेटिकल क्वेश्चन उठाया है जिसके लिये मैं यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इर्रिगेशन के सम्बन्ध में रूल्स बनाये हैं। उसमें बताया है कि कितना पानी मिलेगा और उसके अनुसार कितना प्रोग्राम बनेगा और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते होंगे उनको मालूम होगा। इसलिये उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिये। अभी उप-मन्त्री ने कहा कि जो प्रोग्राम बनाया है उसके मुताबिक पानी मिला है और उससे खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिये इसका कोई प्रश्न नहीं उटता।

श्री मदनसिंह : आप एक माननीय सदस्य से यह एक्सपेक्ट करें ! मैं माननीय मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि आप पहले सीखें और बाद में मुझे सिखायें।

श्री पी. के. चौधरी : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर के कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउन्स देने में पक्षपात

६४७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ जनवरी, १९५९ से लेकर अब तक गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर के किस किस कर्मचारी को माहवारी कितना कितना ओवर टाइम अलाउन्स दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। कितने कर्मचारी इस लाभ से वंचित रहे ?

(२) क्या उक्त रकम ओवर टाइम की समस्त कर्मचारियों को वैधानिक तरीके से मिलती है ?

(३) क्या उपरोक्त रकम पक्षपात के तरीकों से दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १-१-५९ से ३१-३-६१ तक जिन जिन कर्मचारियों को माहवारी जितना ओवर टाइम मिला है, उसकी सूची सदन की मेज पर जानकारी के लिये रख दी गई है।

(२) ओवर टाइम की रकम उन कर्मचारियों को, जिनको ओवर टाइम में बुलाया जाता है, नियमानुसार ही दी जाती है।

(३) जो व्यक्ति ओवर टाइम में काम करते हैं उनको नियमानुसार भुगतान किया जाता है। इस प्रकार रकम के देने में कोई पक्षपात नहीं किया जाता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : ओवर टाइम जो लोग काम करते हैं उनमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं, या वे ही लोग ओवर टाइम काम करते रहते हैं जो हमेशा करते हैं और दूसरों को मौका नहीं मिलता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनमें परिवर्तन होता रहता है। नयों को भी बुलाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक आदमी एक सप्ताह में कितना ओवर टाइम वर्क करेगा, क्या इसके लिये नियम बने हुए हैं और नियमों का पालन होता है या नहीं?

Page No.18

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमों का पालन होता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह बिल्कुल गलत है। नियमों का पालन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : वे तो स्पष्ट कहते हैं कि नियमों का पालन होता है और सबको अवसर देते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : देते उन्हीं को हैं जो हमेशा काम करते हैं, दूसरों को नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कहते हैं कि नये आदमियों को भी बुलाया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको ओवर टाइम नहीं बुलाया जाता और हैं तो कौन से हैं जिनको ओवर टाइम वर्क नहीं दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सबको देते हैं। कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है तो उनको बुलाने से क्या मतलब है ? ऐसे ही कहा करते हैं कि काम नहीं मिलता।

श्री मुरलीधर व्यास : मान लें कि २० कर्मचारी हैं। उनमें से १० को तो बराबर ओवरटाइम मिलता रहता है और ५ या १० को नहीं मिलता तो इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जैसे काम आता है उनको बुलाते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या बुक बाइन्डिंग एण्ड प्रिन्टिंग सेक्शन में दो साल से जो लोग काम करते हैं उनको कभी ओवर टाइम नहीं दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काम हो तो बुलाते हैं। जब काम नहीं तो नहीं बुलाते।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं मिली है। पहले सूची देते तो बताता। आपने कहा कि सूची मेज पर रख दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अभी मेज पर रखूंगा। रात को १२ बजे मुझे मिली है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सोहनलाल भटनागर।

राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा तहसील सलूम्बर के किसानों के कूओं पर कार्य

६४८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५८-१९५९ व १९६० में राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के कितने किसानों ने कितनी कितनी रकम किस किस तारीख को कम्प्रेशर द्वारा कूप गहरे करवाने के लिये जमा कराई ?

(२) इनमें से कितने किसानों के कूओं पर कितनी कितनी रकम का कब कब काम किया गया है ?

(३) कूओं पर कार्य करने के लिये प्राथमिकता देने के क्या सिद्धान्त हैं ?

उप-मंत्री कृषि (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Page No.19

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट और सेकन्ड पार्ट का उत्तर नहीं हो तो थर्ड पोर्शन का तो उत्तर दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में राजस्थान रोडवेज के स्टेण्ड के निर्माण की योजना

९४९. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में राजस्थान रोडवेज का स्टेण्ड कहां पर है? इस स्थान पर बसें कब से खड़ी होने लगी हैं?

(२) क्या इस बस स्टेन्ड की सारी व्यवस्था अभी अस्थाई है? यदि हां, तो इसे कब तक स्थाई बना देने का विचार है?

(३) क्या इस बस स्टेण्ड के पास ही एक मकान है जिसे तुड़वा देने की योजना है?

यदि हां, तो क्या तुड़वाने बजाय इसे तुड़वाने पर होने वाले व्यय को इसकी मरम्मत में लगा कर इस मकान को कर्मचारियों के रहने के उपयोग में लाने के विषय पर सरकार विचार कर सकती है?

(४) क्या इसके पास ही एक बावड़ी है जिसे भरवा देने का विचार है? यदि हां, तो क्या इसे भरवाने के बदले इसकी मरम्मत कराके काम में आने लायक बना लेने पर सरकार विचार कर सकती है?

(५) बस स्टेण्ड के निर्माण की जो योजना है वह कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): जयपुर शहर में राजस्थान स्टेट रोडवेज़ का बस स्टेन्ड पुराने एग्ज़ीबिशन ग्राउन्ड (सिन्धी कॉलोनी) पर है। इस स्थान पर सरकारी बसें जुलाई, १९६० से खड़ी होने लगी हैं।

(२) बस स्टेन्ड के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था स्थाई है।

(३) यह सही है कि इस बस स्टेन्ड के पास एक मकान है जो बहुत पुराना और टूटीफूटी हालत में है। फिलहाल इसको तुड़वाया नहीं जा रहा है। यदि तुड़वाने की आवश्यकता हुई तो सब पहलुओं पर गौर किया जावेगा।

(४) बस स्टेन्ड के पास वाली बावड़ी बिल्कुल सूखी पड़ी है और उसकी सारी इमारत टूटी-फूटी हालत में है। इसकी मरम्मत करवाने पर भी यह काम लायक नहीं बन सकती क्योंकि इसमें पानी भी नहीं आ सकता और इसकी सारी इमारत नये सिरे से बनवानी पड़ेगी, अतः इसे बन्द करना ही उचित समझा गया है।

(५) बस स्टेन्ड के निर्माण की जो योजना चालू है उसके लगभग १ वर्ष में पूरे हो जाने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९५०

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

अ । ।

नेवस्ट, डॉ० चन्द्रकला।

चिड़ियाघर, जयपुर से चौसींगा हिरण की चोरी

६५१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि गत २० जनवरी, १९६१ को स्थानीय चिड़ियाघर, जयपुर से एक चौसींगा हिरण चोरी चला गया था ?

(ख) उक्त हिरण कब, कहां और किस तरह से बरामद हुआ और कब चिड़ियाघर में वापिस लाया गया ?

(ग) इस घटना की जिम्मेवारी किसकी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिये क्या उपाय किया गया ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) चोरी १५ जनवरी, १९६१ को हुई। २० जनवरी, १९६१ को पुलिस थाना माणक चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(ख) तारीख ३० जनवरी, १९६१ को श्री मोहनसिंह रिज़र्व पुलिस इन्सपेक्टर के मकान से बरामद हुआ और उसी दिन करीब ५ बजे शाम को चिड़ियाघर में वापिस लाया गया।

(ग) चिड़ियाघर के चौकीदार की विभागीय जांच की जा रही है।

(घ) चिड़ियाघर में केयर टेकर्स तथा चौकीदारों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : यह चोरी गया हुआ आप किस आधार पर कहते हैं ? यह चौसींगा चिड़ियाघर में था, फिर किस तरह से चला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह चिड़ियाघर से कैसे गया, यह इसमें नहीं है। उसके मिलने की सूचना लगी और वह वापिस चिड़ियाघर में लाया गया। जहां तक इसको उठा कर ले जाने का प्रश्न है, उसको उठा कर कोई नहीं ले गया।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार की ऐसी मान्यता है कि केयर टेकर या चौकीदारों की कमी की वजह से चोरी हुई और इसलिये उनकी संख्या बढ़ रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां, उसमें से एक कारण यह भी है।

श्री रामरतनमल पारीक (नोखा) : हिरण जिसके यहां बरामद हुआ उससे निकलवाने के लिए एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आई. जी. पी. को लिखा गया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जा रहा

(श्री मदनसिंह)

है; क्या एक्शन लिया जा रहा है, जब कि चोरी बरामद हो गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह कानूनी मामला है। खुद उठा कर ले जाये तब वह चोरी का मामला होता है। जानते हुए कि यह चोरी का माल है तो वह चोरी होती है, चोरी का माल लेने की।

श्री मदनसिंह : ये सारे चोरी के मामले आज राजस्थान में इतने पेचीदा हो रहे हैं कि न तो चोरों को सजा दी जाती है और चार साल से केसेज़ पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई दंड नहीं दिया जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई चोरी करके देखें कि दंड दिया जाता है या नहीं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : उसका अनुभव हम तो नहीं जानते हैं। आप इस विषय में अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं और जान सकते हैं। चोर पकड़ा गया, चोरी बरामद हो गई, फिर आप दंड क्यों नहीं देते ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चोरी और चोर की परिभाषा अलग अलग है। माल जहां पर बरामद हो ? वह अलग है। यह कानून का गहरा पेचीदा मामला है, किनको सजा दी जा सकती है, यह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेरसिटी): जिनके घर पर यह बरामद हुआ तो उनके पास यह कैसे पहुंचा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच हो रही है।

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): चोरी का माल पुलिस इन्सपेक्टर के यहां बरामद हुआ, तो शहर में जो चोरियां होती हैं तो चोरियां क्या पुलिस द्वारा होती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो यह साबित हो कि चोरी का माल लिया है या नहीं, चोर असली कौन है। यह सब इन्क्वायरी से मालूम होगा कि कितनी किसकी जिम्मेदारी है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिसके घर माल बरामद हुआ....।

श्री मदनसिंह : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि कानूनी और पेचीदा मामला है। इन्सपेक्टर के घर पर चोरी का माल मिलता है। पेचीदा मामला कह कर इसको टाल देते हैं। He should have been arrested then and there.

मैं समझता हूँ कि यह हंसी का विषय नहीं है, आप इसको हंसी में टाल रहे हैं It is upto the Court to leave him or not. एकके घर में हिरण पकड़ा जाता है और फिर कहते हैं कि चोर नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि कानून से परिचित नहीं हैं। चोरी का माल जिसके घर पर बरामद हो उसको जिम्मेदार ठहराने के पहले यह साबित करना पड़ता है कि चोरी का माल जानते हुए चोर से लिया। यह कोई अलाउद्दीन खिलजी का राज्य नहीं है कि किसी

Page No.22

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

के घर चोरी बरामद हो गई इसलिए चोर हो गया।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि चोरी का मामला है या नहीं, इसका फैसला अदालत में होता है ? ४११ और ४८६ आई० पी० सी० है। स्टोलन प्रोपर्टी जिसके यहां बरामद हुई है उसको इमीजियेटली गिरफ्तार किया जा सकता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी को संतोष होना चाहिये कि चोरी का माल जानते हुए बदनियती से रखा है।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि इमीजियेटली थेफ्ट बरामद हो जाय, तो ज्योंही चोरी हुई तो चोरी का जहां माल बरामद नहीं भी हुआ उससे पहले भी प्रिज़म्पशन उस पर हो सकता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इमीजियेट नहीं है। १५ के बाद ३० तारीख को बरामद हुआ। इमीजियेट करता है तो यह होता है कि प्रियूम कर सकते हैं कि either he is guilty of receiving a stolen property or not......

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लोटा और थाली नहीं है कि मिस प्लेस हो गई हो और बरामद न हो सके। हिरण आखिर एक जानवर है। कहीं से किसी के द्वारा आया होगा। लाया ही तो गया था। उड़ कर थोड़े ही चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात तो कहते हैं, लेकिन ऐसी चोरी की घटनाXXXXही हो सकती है, औरों के राज्य में नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : किसी के यहां से हिरण पकड़ कर कोई कहे कि वह तो जंगल से पकड़ कर लाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। Why do youtryto defendin a hypothetical position ? You could have said investigations are going......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I was trying to meet with the argument.

श्री अध्यक्ष : You need not try to meet with different sort of arguments.

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसका फर्ज था।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Has the Police arrested the man concerned ? They are protecting the accused.

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

XXXXअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

भीमसागर तथा हिंचर सिंचाई क्षेत्रों की नहरों के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

६५२. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भीम सागर सिंचाई क्षेत्र तथा हिंचर सिंचाई क्षेत्र के लिए कितनी कितनी लम्बी नहरें बनाने का लक्ष्य है और कितनी बन चुकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन दोनों क्षेत्रों की नहरों में कितनी भूमि काबिल काश्त किसानों की ली गई है और कितनी भूमि नाक़ाबिल काश्त सरकार की है ?

(३) क्या इन काश्तकारों को उनकी ली हुई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो कितना और कब दिया गया है और यदि नहीं, तो यह मुआवजा उनको कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) भीमसागर सिंचाई क्षेत्र तथा हिंचर सिंचाई क्षेत्र के लिए क्रमश: ६० और ८० मील लम्बी नहरें बनाने का लक्ष्य है और क्रमश: २० व ३० मील लम्बी नहरें बन चुकी हैं।

(२) इन दोनों क्षेत्रों की नहरों में क्रमश: २२० और ३५५ एकड़ भूमि किसानों की ली गई है और ७५ एकड़ व १०० एकड़ नाकाबिल काश्त भूमि सरकार की ली गई है।

(३) जी नहीं।

(४) मुआवजे की कार्यवाही राजस्व विभाग से की जा रही है। उनका एवार्ड आने पर शीघ्र चुका दिया जावेगा।

श्री रामचन्द्र : यह कार्यवाही कब से जारी है ?

श्री दौलतराम सारण : जब से जमीन ली गई।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह जवाब दिया गया था कि उनको मुआवजा दे दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है। कार्यवाही की जा रही है। यह उत्तर दिया गया। २-३ बार प्रश्नों के उत्तर और बहस में इस स्थिति को मैं स्पष्ट कर चुका था।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह बिल्कुल गलत है। पहले यह जवाब दिया गया था कि कलेक्टर को कह दिया गया और मुआवजा चुका दिया गया होगा। यह दो साल पहले का वाकया है। मैंने प्रश्न पूछा था। अब फिर ये कह रहे हैं कि नहीं दिया गया। वे गलत जवाब दे रहे हैं........

श्री रामचन्द्र : सरकार को तकाजा किया गया था कि उन लोगों को मुआवजा जल्दी दे दिया जाय और अब कह रहे हैं कि कार्यवाही हो रही है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से होता है ?

Page No.24

श्री दौलतराम सारण : थोड़े दिनों का मामला है। आपने ताकीद की है।

श्री रामचन्द्र : एक साल से अधिक हो गया है ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे पहले पूरा कह लेने दीजिए और फिर आप पूछिये। यह निश्चय किया गया था कि मुआवजा ताकीदी से दिया जाय । पुराने केसेज़ में विलम्ब हुआ है। इस मामले में भी हुआ है और रेवेन्यू अधिकारियों ने कुछ विलम्ब किया है, कई कारण हो सकते हैं उसमें ।

श्री रामचन्द्र : कोई कारण नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : पहले आश्वासन दे चुका हूँ और फिर दे सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस माने में कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

अजमेर नगरपालिका क्षेत्र का मैला (कूड़ा) ब्यावर रोड चुंगी चौकी के पास न डालना

६५३. **रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या अजमेर नगरपालिका क्षेत्र का मैला (कूड़ा) ब्यावर रोड चुंगी चौकी के पास डाला जाता है ?

(ख) क्या उक्त स्थान के पास कोई बस्ती बसी हुई है ? यदि हां, तो मैले (कूड़े) से और उससे बह कर आने वाले गन्दे नाले से कितनी कितनी गज की दूरी पर ?

(ग) क्या जन स्वास्थ्य की दृष्टि से उक्त स्थान पर से कूड़ा-कर्कट का स्थान हटाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो वह कब तक हटा दिया जावेगा।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (**श्री** पूनमचन्द विश्नोई) : (क) अजमेर शहर का ट्रेंनिंग विभाग ग्राउन्ड चुंगी चौकी से लगभग एक फर्लाङ्ग दूरी पर स्थित है। यहां पर शहर का मैला व कचरा इकट्ठा किया जाकर खाद बनाई जाती है।

(ख) जी हां, हाल ही में एक बस्ती वहां पर बसी है जिसका नाम सुभाष बस्ती है।

(ग) बस्ती ट्रेंचिंग ग्राउन्ड से लगभग एक फर्लाङ्ग की दूरी है। ट्रेंचिंग ग्राउन्ड से मिला हुआ कोई नाला वहां पर नहीं है।

(घ) इसको वहां से हटाने का मामला विचाराधीन है। जमीन मिलने पर हटा दिया जायेगा।

श्री रामकरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी गन्दी चीज एक फर्लाङ्ग की दूरी पर ही है। अजमेर का सारा कूड़ा वहां इकट्ठा होता है, फ्लश सिस्टम है नहीं। नाला भी वहां बह कर आता है। सुभाष नगर जैसी नई बस्ती जहां आबाद हो,वहां पर इस प्रकार की गन्दगी होती है; वह बात अशोभनीय है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ट्रेंचिंग

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

ग्राउन्ड के लिए दूसरी जमीन ढूंढ रहे हैं, मिलने पर हटाया जावेगा।'

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप्रसाद माथुर।

मिडल स्कूल दिशनाऊ (लक्ष्मणगढ़) के प्रधानाध्यापक, श्री पूर्णमल, की हत्या

६५४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

मिडिल स्कूल, दिशनाऊ (लक्ष्मणगढ़-सीकर) के प्रधानाध्यापक, श्री पूर्णमल, की हत्या किस प्रकार हुई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : धारा १७४ सी आर. पी. सी. की अब तक जांच से मामला हत्या का न होकर श्री पूर्णचन्द (न कि पूर्णमल) के दिमाग में संतुलन न होने से उनके स्वयम् ही कुएं में गिर कर मरना पाया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दिमाग का संतुलन नहीं था, यह उसके मरने के बाद ही कैसे पता चला ?

श्री रामकिशोर व्यास : देखने वाले बहुत हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पोस्टमार्टम हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या दर्ज था ?

श्री रामकिशोर व्यास : राउन्डिंग से दर्ज था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में मेन्टल इक्वीलिब्रियम या दिमागी असंतुलन होने का दर्ज नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें सब ही एग्रीड हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे पहले श्री पूर्णमलजी, प्रधानाध्यापक के बारे में विभाग में या पुलिस में मेन्टल डिरेलमेंट के लिए सूचना नहीं थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ६५५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

ग्राम दुदौड़ (खारची) के अस्पताल में स्टाफ व दवाइयों की व्यवस्था

६५६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खारची

(श्री बेनाराम गहलोत)

तहसील के ग्राम दुदौड़ में एक अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि उद्घाटन के बाद अभी तक उस अस्पताल में स्टाफ व दवाइयों की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): १. जी नहीं। केवल एक सब-सेन्टर खारची तहसील के ग्राम दुदौड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची के अन्तर्गत खोला गया था जिसका उद्घाटन श्री भीखाभाई द्वारा दिनांक २७–२–६० को किया गया था।

२. जी नहीं।

श्री बेनाराम गहलोत : सब-सेन्टर का जो उद्घाटन किया उसमें क्या क्या दवाइयां रखी गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब सेन्टर में जो स्टाफ है उसमें एक मिड वाइफ और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रहता है।

श्री बेनाराम गहलोत : वहां पर न कोई दवाई की व्यवस्था है और न कोई अन्य चीज वहां पर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, यह ठीक है सब-सेन्टर्स में एक मिडवाइफ व एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है।

श्री बेनाराम गहलोत : पच्चीस तीस हजार का भवन बनाया है वह केवल उनके रहने के लिये बनाया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स होते हैं; उसमें सब-सेन्टर्स स्थापित किये जाते हैं और सब-सेन्टर्स में एक मिड़वाइफ और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है।

श्री बेनाराम गहलोत : इससे लोगों को क्या फायदा होता है दाई जहां भी कहीं जाती है फीस चार्ज करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेटरनिटी केसेज़ के लिये हर प्राइमरी सेन्टर्स के अन्तर्गत तीन सब-सेन्टर्स रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत में परिवर्तित बैराठ की नगरपालिका

६५७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिलित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बैराठ नगरपालिका जो कि अब पंचायत में परिवर्तित कर दी गई है का प्रथम निर्वाचन राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत कब हुआ ?

(२) इन निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण किस तारीख को कराई गई ?

(३) इस प्रथम निर्वाचित नगरपालिका के चेयरमैन ने इस्तीफा कब दिया ?

(४) उक्त इस्तीफा देने के बाद चेयरमैन

Page No.27

(श्री रामकरणसिंह)

का उप–निर्वाचन कब कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) बैराठ नगरपालिका का जो कि अब पंचायत में परिवर्तित कर दी गई है का निर्वाचन राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत नहीं हुआ।

२. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

३. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

४. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : तो उसका निर्वाचन किस आधार पर हुआ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत।

श्री रामकरणसिंह : कब हुआ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १५–१०–५७ को।

श्री रामकरणसिंह : जब वहां का चुनाव टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत हुआ तो बाकी बचे हुए सवाल कैसे ड्राप हो जाते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप उसके बारे में सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण कब हुई?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २८–४–५८ को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उप निर्वाचन कब कराया गया?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १४–६–५६ को।

सांघी ब्रॉदर्स, जोधपुर को ट्रक व बसेज़ की बॉडी के निर्माण का ठेका

६५८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सांघी ब्रॉदर्स, जोधपुर को ट्रक व बसेज़ की बॉडी बनाने का ठेका दिया गया था?

(२) यदि हां, तो यह ठेका कब दिया गया, कितने रुपयों का दिया गया व अन्य आवेदक कौन थे?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैडिकल कॉलेज, जयपुर के एम० बी०-बी० एस० प्रथम वर्ष में अनियमित प्रवेश

६५६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Medical and Health Minister be pleased to state :-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

1. Is it a fact that the admission of Ram Krishna Sharma C/o Mr.Hari Dass Sharma in 1st year M.B.B.S. made in 1960 in Medical College, Jaipur, as belonging to Backward and Scheduled Castes, has been cancelled as he did not produce any certificate of his belonging to such a caste from the Distt. Magistrate as required by rules ?

2. Who else has been admitted in his place ? if not, why ?

3. What action has been taken against Ram Krishna for producing a false certificate ?

4. Is it a fact that the Selection Committee was unaware of the facts that the application and Marks list of Ram Krishna bore his 'Surname' as 'Sharma' and the certificate was given by a Tehsildar which was not valid for such admission ?

5. Who is responsible for misrepresenting facts before the Selection Committee ? What action has been taken against him ?

6. Who is the dealing clerk and for how many years he and Mr. Hari Dass Sharma,father of Ram Krishna are serving in this College ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :
1. Yes.

2. Since there was no other candidate on the waiting list who fulfilled the requisite conditions nobody else was admitted against this seat.

3. His name has been struck off from the College Roll.

4. Since the candidate produced a certificate signed by the Tehsildar who has been authorised by the Government vide Government Order No. D. 207/SW/60 F. 9 (234) SW/58. dated 6th May, 1960, he was accepted for admission because at that time it was not known that this order relates to the scholarships only.

5. Question does not arise.

6. Following are the clerks who deal cases regarding admission to the Medical College:—

1. Shri Kapoor Chand, Supdt, July, 1955.

2. Shri Durga Naraian Sharma UDC-Aug., 47.

3. Shri Manak Chand Jain UDC-Jan. ,1948.

4. Shri Chhagan Lal L. D. C. Jan., 1955.

5. Shri Mishri Lal Jain L. D. C. March, 1956.

Shri Hari Dass Sharma has been working as U. D. C. in this College

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

from the last week of January, 1956.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is it a fact that the Certificate was issued by the Tehsildar and he was not authorised to issue and the Select Committee should not have considered that certificate in view of the clear indication in the admission rules ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Certificate issued did not indicate that it is only for scholarships and it should not be produced anywhere else and, therefore, they were mis-led and due to oversight it was done.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह छात्र शिड्यूल्ड कास्ट का था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है कि सर्टिफिकेट तहसीलदार ने इश्यू किया; लेकिन कॉलेज में एडमीशन के रूल्स हैं, उनके अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहसीलदार का सर्टिफिकेट आया, डि० मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिये । सिलेक्शन कमेटी ने गलती से तहसीलदार के सर्टिफिकेट को वेलिड मान लिया । It should be as valid as that of the Collector और उस हिसाब से उसको एडमिट कर लिया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तो आपके कहने का यह तात्पर्य है कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट सिलेक्शन कमेटी के नोटिस में आने के बावजूद भी उसको एडमिट कर लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने तहसीलदार का सर्टिफिकेट पेश किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपके कहने का यह तात्पर्य है कि यह फैक्ट सिलेक्शन कमेटी के नोटिस में था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि यह ओवर साइट से हो गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि सिलेक्शन कमेटी ने तहसीलदार के सर्टिफिकेट को मान्य करार दे दिया और उस बिना पर उसको एडमिशन दे दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें सारी बात यह है; that is a mistake. He admits that it was a mistake.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट उसके लिये मान्य नहीं हो सकता, फिर भी उसको मान्य कैसे कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें बात यह है कि उस विद्यार्थी के पिता वहां पर काम करते थे so this raises a very serious presumption that something must have been manipulated. Has the Government satisfied itself that there is nothing of this sort ?

Page No.30

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां जितने भी एडमिशन्स होते हैं उसके लिये तीन स्टेजेज़ में एक्ज़ामिनेशन होता है। इसके लिये हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है जिसमें दोनों कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल डाइरेक्टर ऑफ मैडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ द्वारा इन्टरव्यू लिया जाता है। उसके बाद एडमिशन होता है। यह ओवर साइट से हो गया उनकी समझ में तहसीलदार का सर्टिफिकेट मान लिया; it is valid for all purposes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी के नोटिस में आता है कि सारा का सारा मेनीपुलेशन हुआ है। वह इस तरह से हुआ कि उसके साथ जो तीन केन्डीडेट्स थे उनका तो सरनेम लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे शर्मा नहीं लिखा गया; जान बूझ करके यह ओमिट किया गया अगर सिलेक्शन कमेटी के सामने शर्मा लिखा हुआ चला जाता तो वे आसानी से जान लेते कि शर्मा शिड्यूल्ड कास्ट में नहीं होते हैं। वहां केवल रामकिशन नाम लिखकर भेजा गया; तो मैंने यह पूछा है कि इस प्रकार से जिस डीलिंग क्लर्क ने यह कार्य किया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : There is no scope for it here. If the Hon'ble member wants to discuss it he should give a notice for half an hour's discussion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली बार भी यह सवाल पूछा गया था। आपने इस बारे में जांच करने का आश्वासन दिया था। आपने इस बारे में क्या जांच की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका नाम काट दिया गया, सर्टिफिकेट के हिसाब से स्ट्रक आउट कर दिया गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने, पर्दे के पीछे कुछ बात हो रही है, इस प्रकार की बातें कही हैं। वे बातें नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातों पर कुछ चैक होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा निवेदन यह है कि जब उसने अपने नाम के आगे शर्मा लिखवा कर तहसीलदार से सर्टिफाई करवाया, जब वह तहसीलदार के सामने शर्मा नाम से गया तो क्या तहसीलदार को यह पता नहीं हो सका कि शर्मा क्या शिड्यूल्ड कास्ट में से होता है ? उसके बावजूद भी उन्होंने सर्टिफिकेट किस आधार पर दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में क्वेश्चन पूछें। आप जो कह रहे हैं वह सब सवाल में है।

श्री मुरलीधर व्यास : तहसीलदार ने जब सर्टिफाई किया तो क्या तहसीलदार के सामने शर्मा लिखा हुआ नहीं था ? उसने किस आधार पर इसको बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(दिनांक २२-३-६१ का स्थगित प्रश्न)

सीकर, अलवर व जयपुर जिलों में निर्मित नये बान्ध एवं पुरानों की मरम्मत

४७१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर, अलवर व जयपुर जिलों की किन तहसीलों में सन् १९५७ से १९६० तक कौन कौन से नये बांध बांधे गये हैं और कौन कौन से पुरानों की जो टूट गये थे मरम्मत कराई गई ? लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त वर्षों में कौन कौन से बांधों के बनाने का प्रावधान था और उनमें से कितने आज तक नहीं बने हैं ?

(३) उपरोक्त बांधों में कितने ऐसे हैं जिनके लिये टेन्डर भी मांग लिये गये मगर फिर भी आज तक काम चालू नहीं हुआ ?

(४) ऐसे बांध कितने हैं जो बजट में प्रावधान न होते हुए भी अत्यावश्यक मान कर बनाये गये हैं ?

(५) उनके लिये धन किस तरह किस मद में से लगाया गया ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस विभाग द्वारा सीकर, अलवर व जयपुर जिलों के किसी भी तहसील में सन् १९५७ से ६० तक कोई भी नया बांध नहीं बनाया गया। जिन बांधों की मरम्मत की गई उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट '५' देखिये)

(२) इन बांधों की सूची संलग्न है और उनमें अभी किसी पर भी काम नहीं शुरू किया गया है।

(३) केवल श्यामपुर बिहार बांध।

(४) कोई भी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(दिनांक २९. ३. ६१ को स्थति प्रश्न)

अजमेर शहर में थड़ी मालिकों के लिये पक्की दूकानें बनाने सम्बन्धी अनुमति

६३५. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर-पश्चिम) : Will the Local Self Minister be pleassd to state :—

1. Did the Ajmer Municipal Council resolve that the cabin holders at some places in the city of Ajmer be allowed to put up pucca constructions and for that purpose the plot of the cabin be leased out to them for a term or 30 years ?

2. Did the Ajmer Municipal Council send the resolution to the Government for approval?

(श्री अर्जनदास)

3. If so, when were the said papers received by the Government,

4. When the Government approval is likely to be granted ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये अगले वक्त में रखा जाय ।

श्री अर्जनदास : होगा ही नहीं आपके पास इसका उत्तर । I know, you will try to avoid it. This is the second time that you have done it.

दिनांक ३१-३-१६६१ का स्थगित प्रश्न

चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के कार्यालाय का बीकानेर स्थानान्तरण

६६४. **श्री रावतराम पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, राजस्थान केनाल बोर्ड निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर डिविज़न में सिंचाई की तीन बड़ी नहरें (गंग केनाल, भाखरा व राजस्थान केनाल) होते हुए भी चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के मुख्य कार्यालय, जयपुर में ही क्यों हैं तथा क्या सरकार इसको बीकानेर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, राजस्थान केनाल बोर्ड (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर मण्डल और मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय जनहित की दृष्टि से जयपुर में रखे गये हैं और राज्य सरकार का इनको बीकानेर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इन अधिकारियों को राज्य सचिवालय एवं जयपुर में स्थित अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों से निरन्तर सम्पर्क रखना पड़ता है ।

श्री रावतमल पारीक : यह जनहित क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी: जनता का फायदा ।

श्री रावतमल पारीक : इसकी डिटेल क्या है ?

श्री अध्यक्ष : जो डिक्शनरी में है । This is a formal reply and can cover anything.

दिनांक १. ४. ६१ का स्थगित प्रश्न

बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सैन्टलमेन्ट का कार्य

६७८. **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या वन विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सेटलमैन्ट का कार्य सम्पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से रिज़र्व जंगल घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री मोगजी भाई)

(२) रिज़र्व जंगल के अलावा जो जंगल एरिया गंवाई घोषित किया है या जो वृक्षहीन एरिया है क्या उसको ग्राम पंचायतों के अधीन दिये जाने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक दे दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को वृक्ष लगाने के लिये ७५ प्रतिशत रकम प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता के रूप में देने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित करा दी जावेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं, चल रहा है।

(२) कोई जंगल गंवाई घोषित नहीं हुए हैं। जंगल की हद के अन्दर से कोई टुकड़ा पंचायत को देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है; चाहे वह वृक्षहीन ही क्यों न हो; क्योंकि जंगल को वृक्षहीन भूमि में प्लान्टेशन लगाने का विचार है।

(३) जी नहीं। केवल ३००) ८ एकड़ भूमि पर जंगल लगाने के लिये सहायता का प्रावधान है। इसी के अन्दर वन विभाग की नर्सरी का खर्चा है। वहां से पेड़ मुफ्त दिये जावेंगे।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है, कि जहां सैटलमेंन्ट नहीं हुआ वहां किस आधार पर गांवाई जंगल मान करके कूप निकाले जाते हैं ? अगर निकाले जाते हैं तो ये किस आधार पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका आधार बांसवाड़ा स्टेट के समय के नियमों से है। इसके बाद राजस्थान सरकार का भी एक सप्लीमेन्ट आदेश ५८ में हुआ था। उसके अनुसार निकाले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. म. प.)

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा (श्री अनूपसिंह): महोदय, मैं इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज़ पर रखता हूँ:—

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :

(१) दी राजस्थान प्रेमिजेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९६१

(२) दी राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६१

(३) दी मोटर विहिकल्स (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९६१।

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :—

1. The Rajasthan Evacuee Interest (Separation) Second Supplementary Bill, 1961.

(श्री अध्यक्ष)

2. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1961.

3. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1961.

4. The Rajasthan Municipal Taxes (Validation) Bill, 1961.

5. The Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1961.

6. The Pali Municipality Administration (Validation) Bill, 1961.

7. The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Bill, 1961.

8. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1961.

जन-लेखा समिति, १९६०–६१ का नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री **हरिदेव जोशी** (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, १९६०–६१ का नवां प्रतिवेदन (प्रथम व द्वितीय खण्ड) का उपस्थापन करता हूँ जो निम्नांकित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर है:

(१) विनियोग लेखा, १९५६–५७ (१–११–५६ से ३१–३–५७) व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८।

(२) विनियोग लेखा, १९५७–५८ व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५९।

(३) वित्त लेखा, १९५६–५७ (१–४–५६ से ३१–१०–५६) व अंकेक्षा प्रतिवेदन।

(४) वित्त लेखा १९५६–५७ (१–११–५६ से ३१–३–५७) व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७।

(५) वित्त लेखा, १९५७–५८ व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५८।

राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर विचार-विमर्श

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): हूं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव, जिसकी प्रति दिनांक ५ अप्रेल, १९६१ को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव विचारार्थ सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। इस योजना पर पहले भी बहस की थी। इसके बाद उसके रूप में कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन हुआ और वह रूप आज विचारार्थ हमारे सामने है। जो भी परिवर्तन व परिवर्द्धन इसमें हुए हैं उनको देखने से यह जरूर प्रतीत होता है कि राजस्थान की बहबूदी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मसले इसमें रखे गये हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

हमारी पहली योजना २१२ करोड़ की थी जो अब २३६ की हो गई है । इसमें जो नई योजनाएं जोड़ी गई हैं उनमें राजस्थान नहर और पोंग बान्ध की बड़ी योजनाएं हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : (राजकीय दीर्घा की ओर संकेत करते हुए) People in the official gallery are talking loudly and interrupting.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह एक तरफ ही मत रखिये । दोनों तरफ रखिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं, यह परिवर्तन राजस्थान की बहबूदी के दृष्टिकोण से आवश्यक था, बल्कि राजस्थान नहर का मामला तो हमें देश के व्यापक हित की दृष्टि से देखना चाहिये । इस नहर में जितना अधिक पैसा लगता है और जितनी जल्दी इसका निर्माण होता है तो इससे सारे हिन्दुस्तान को लाभ मिलता है । आज देश की उस बंजर धरती में अगर पानी की धारा बहा दी जाती है तो देश की बहबूदी की दृष्टि से और अनाज के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा कारगर हो सकती है । तीसरी योजना में हमने माना है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाया जावेगा और इसे मूलभूत उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया । अगर इस बारे में देशव्यापी दृष्टिकोण से सोचा जावे तो मैं मानता हूं कि देश में बांध, नहर आदि अन्य योजनाओं में जो भी खर्चा होता है उस खर्चे का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कह सकते हैं कि एक वह धरती जहां अच्छी वर्षा होती है और दूसरी सिंचाई की सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं तो जो प्रोडक्शन उस जमीन पर होगा वह जहां एक एकड़ में पहले चार मन होता है तो इन सुविधाओं को देने पर और उन्हें और अधिक बढ़ाने पर ६ मन हो जावेगा । परन्तु जहां राजस्थान जैसा रेतीला इलाका हो, जहां पर कुछ पैदा ही नहीं होता वहां अगर नहर आदि के जरिये पानी उपलब्ध करा देते हैं तो उस धरती में जहां कुछ नहीं पैदा होता था वहां पर उससे दुगुना पैदा हो सकता है, चार गुना पैदा हो सकता है । भाखरा और गंग नहर जो उस इलाके में आई हैं उनका उदाहरण हमारे सामने है । जिस धरती पर कुछ नहीं होता था वहां एक बीघा में नहर आने पर दस मन होने लगा । तो जो प्रोडक्शन का परिमाण है वह परिमाण इस धरती में ज्यादा हो सकता है । इसलिए हिन्दुस्तान व्यापी दृष्टिकोण से जहां देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने का सवाल है तो वहां पर सबसे पहला महत्व यह रखना पड़ेगा कि उस धरती में जहां पैसा लगता है, पैसा लगने से जो राष्ट्र का धन है उस क्षेत्र में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है तो उस पैसे की ज्यादा उपयोगिता मालूम होती है । हम उदाहरण के लिए बूंदी को ले लें । अगर वहां पर नहरों पर ज्यादा पैसा लगाते हैं, चम्बल के एरिया को ले लें । ठीक है, उस एरिया में भी छोटे मोटे काम हुए लेकिन जहां प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहां पर जहां बूंदी में ४ मन गेहूँ पैदा होता था वहां आज ६ मन हो सकता है तो वहां पर खर्चा तो बढ़ा और उसका लाभ भी हुआ लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें कि ४ मन तो पहले भी होता था, अब इतना खर्च करने

Page No.36

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बाद ६ मन हुआ और जहां कुछ पैदा नहीं होता था, वहां खर्चा होता है, और वहां पर १२ मन हो जाता है तो प्रोडक्शन की साइज़ कितनी बढ़ जाती है।

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि दूसरी योजना के अन्दर राजस्थान नहर में जो रुपया लगाया है, इसके अन्दर केन्द्रीय सरकार ने जो पैसा दिया है, मैं मानता हूँ, वह बहुत कम है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो उसका जो लाभ है वह सारे राष्ट्र को मिलने वाला है। इसलिए यह जो राजस्थान का लम्बा चौड़ा इलाका है ८० हजार वर्ग मील का जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और खास करके जोधपुर में तो वह हिस्सा नहीं आता है लेकिन फिर भी इतना जो एरिया है वह राजस्थान का आधा हिस्सा है और वह खाली पड़ा है, इसमें जितनी जल्दी पानी बहा सकते हैं उतना ही ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिए इस राजस्थान नहर के सम्बन्ध में जो खर्चा बढ़ाया गया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि अब भी राजस्थान नहर से जो व्यास नदी पर बांध बनने वाला है वह योजना जल्दी समाप्त हो सकें और जितनी जल्दी पानी उससे दे सकें और जितनी नहरें हम बना सकें यह काम बहुत तेजी से होना चाहिए। इससे सारे राष्ट्र का ही लाभ है। इस मामले के अन्तर्गत जहां खर्चा लगाने का प्रश्न है, दूसरे प्रान्त वाले भी मांग करते हैं। श्री कैरों पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि राजस्थान में जब नहर बनेगी तो पंजाब के लोगों को भी बसाना चाहिए, बंगाल की तरफ से मांग आई कि बंगाल के लोगों को भी बसाना चाहिए। तो जहां तक बसाने का सवाल है वहां सोचा जा सकता है और जहां पैसे लगाने का सवाल है तो केन्द्रीय सरकार को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन राजस्थान नहर में लगाना चाहिए, ताकि देश में प्रोडक्शन बढे। इसलिए यह जो इसमें ऐड किया गया इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

अब मैं इसके अतिरिक्त यह भी मानता हूँ कि इसमें जो हमारा २१२ करोड़ का बजट था उसमें कुछ कमी भी की है। वह कमी इस प्रकार से की है कि यह पोंग बांध का २५ लाख रुपया ऐड किया है, ६३ लाख रुपया नया ऐड किया है और अगर वैसा का वैसा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें रखा जाता तो यह योजना २७५ करोड़ की हो जाती, क्योंकि हमने जो पहली योजना बनाई थी उसमें कुछ कमी की है और कमी ३६ करोड़ की की है और ३६ करोड़ में क्या क्या चीजें कम की हैं जिस पर सोचना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ४० लाख की योजना थी। ठीक बात है, मैं मानता हूं जहां उत्पादन बढ़ाने का सवाल आता है तो हमको ज्यादा से ज्यादा खर्चा उत्पादन बढ़ाने की ओर करना चाहिए और इस ओर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए तो उस दृष्टिकोण से कुछ मुद्दे इसके अन्दर कम किये गये हैं। वह बहुत ठीक है, परन्तु खास करके इन्डस्ट्री के मामले में हम यह सोचते हैं कि राजस्थान के अन्दर तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो हम चाहते हैं कि बेकारी की समस्या को हल करें और बेकारी की समस्या को हल करने के दृष्टिकोण से जो औद्योगिक विकास राजस्थान

(श्री मुरलीधर व्यास)

में चाहते हैं और उसके लिए जो पूंजी लगाना चाहते हैं हम अगर यही दृष्टिकोण रखेंगे कि बाहर से लोग आयें और पूंजी लगायें उसके भरोसे पर पूंजी नहीं लगे। तो नतीजा यह निकल सकता है कि राजस्थान की तीसरी योजना में जो हम चाहते हैं कि बेकारी की समस्या हमारी हल होनी चाहिए तो उस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। इसलिए इसके अन्दर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि योजना के अन्तर्गत जो औद्योगिक विकास राजस्थान का करना है उस विकास के दृष्टिकोण से जितनी पूंजी इसमें चाहिए, ६ करोड़ के लगभग, मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है। परन्तु राजस्थान में औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से इसका जो लक्ष्य बेकारी की समस्या को हल करना है उस दृष्टिकोण से इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आज समाजवादी विकास के दृष्टिकोण से हमें प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। प्लानिंग का दृष्टिकोण कैसा ही हो, इतना रुपया केन्द्र से लगे, इतना रुपया राज्य का हो और हमको इस इस प्रकार से इस इस मुद्दे में खर्च करना है, यही हमारा तरीका योजना के सचोते का नहीं होना चाहिए। हमारी योजना के बारे में सोचने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। वह यह होना चाहिए कि जो रुपया हम लगा रहे हैं, इस रुपये के लगाने से जो हमारा मूलभूत लक्ष्य है वह हम किस किस प्रकार से पांच साल में पूरा करेंगे। जब तक हमारी योजना के अन्दर सफाई से ये सारी बातें लिखी नहीं रहतीं तब तक योजना सिर्फ आंकड़ों की योजना होती है। उसमें इतना ही होता है कि इतना लगेगा और इतना खर्च करेंगे। परन्तु योजना में यह नहीं दिखाया जाता कि इतना रुपया खर्च करने के बाद हम कितने लोगों को काम पर लगायेंगे और इतनी विषमता के अन्तर को कम करेंगे। उसके साथ ही साथ समाजवादी राज्य में जो आज इस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था है इसको हम इस प्रकार से धीरे धीरे पांच साल में कम करेंगे; यह योजना के अन्दर कहीं पर नहीं है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को पूरा करना चाहिए। आज तक जो हमारा प्लानिंग रहा उसके अन्दर योजनाओं में खर्चा जरूर लगाया और बहुत कुछ काम वह जिस तरीके से हो सकता है किया; परन्तु हम तो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, योजना के आधार पर, जिस मूलभूत लक्ष्य पर पहुँचना चाहते थे उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि दो योजनाओं के बाद भी विषमता का अन्तर कम नहीं होता है और जैसा कि अभी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत तीसरी योजना पर बहस के सम्बन्ध में श्री ए०के० मेहता ने कहा कि देश में जो पूंजी है वह ६३ पर्सेन्ट करोड़पतियों के पास चली जायेगी। यानी सारे देश की पूंजी का ६३ प्रतिशत हिस्सा मुट्ठीभर पूंजी पतियों के हाथ में जाता है और दूसरी ओर ३७ प्रतिशत है वह देश की जो करोड़ों जनता है उसके पास जाता है।

तो यह सोचने का सवाल है। इस सवाल को हर स्टेट में हमको सोचना चाहिए। अगर हम प्लानिंग करते हैं और देश में जो समाजवादी व्यवस्था लगाना चाहते हैं उसके अन्तर्गत जो पूंजी फैलनी चाहिए वह सब तरफ जानी चाहिए। अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूंजी केन्द्रित हो जाती है तो नतीजा यह होता है कि आगे जाकर पूंजीवादी

Page No.38

(श्री मुरलीधर व्यास)

व्यवस्था हमारे समाज के ऊपर हावी हो जायेगी ! तो इसलिए इस मुद्दे पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए और यह परिस्थिति आज सारे देश में हो रही है। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले का दर्शन हमारी योजना के अन्तर्गत नहीं है और योजना के अन्तर्गत जो दर्शन दिया गया है वह इतना दिया गया है कि यह पर कैपिटा पर व्यक्ति कितना रुपया एक व्यक्ति के पीछे लगा रहे हैं और कितने एक व्यक्ति को साधन जुटा रहे हैं। यह तो हमने आंकड़े दिये हैं। परन्तु कुछ फिगर्स यह भी होते हैं कि देश में जितना पैसा लग रहा है यह लगाने वाला पैसा किस प्रकार से पर व्यक्ति के पास में जायेगा। इतना ही नहीं; हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति कितनी आय बढ़ती है, आय बढ़ने का आंकड़ा दे दें, यही समाजवादी दृष्टिकोण नहीं होता। जैसा आपने कहा कि २७८ रुपये प्रति व्यक्ति आ जायेगा। अब हम मान लें कि ठीक बात है कि २७८ हो जायेगा, अब इस आंकड़े को किस प्रकार से किया है, क्या नहीं; मैं जहां तक समझ पाया हूं कि इसके अन्दर भी बड़ी भारी खामी है।

जो २७८ रु० प्रति व्यक्ति की आय हो जायेगी, यह राजस्थान की आबादी जो ६०-६१ के अन्तर्गत है उस आधार पर है तो मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े गलत हैं। आज हमारा सही दृष्टिकोण तो यह होना चाहिये था कि २७८ रु० प्रति व्यक्ति आज की जो आबादी है इस आबादी के हिसाब से है और जैसा कि इसमें कहा गया है कि हमने प्रति व्यक्ति जो खर्च किया है, इसमें बताया गया है कि हम राजस्थान को तीसरी पंचवर्षीय योजना में १४७.५ रु० प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे; अब मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आज जो हमारी आबादी है, राजस्थान की जैसी कि अनाउन्स की गई है दो करोड़ के आसपास है, अब दो करोड़ की आबादी को हम मान्य करते हैं तो आज की मौजूदा स्थिति में जैसा कि लिखा है कि १४७.५ प्रति व्यक्ति इस प्रकार से खर्च करेंगे तो १४७.५ के हिसाब से २ करोड़ का हिसाब लगाते हैं तो २३६ करोड़ नहीं; वह २९८, २९९ करोड़ तक पहुँच जाता है। तो यह माना जाता है कि ये आंकड़े ५१ के हिसाब से हैं। इस प्रकार से ५१ की आबादी के से हिसाब आंकड़े लगा कर यह बताते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम १४७.५ रु० प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे तो वह बिल्कुल गलत है। मैंने जब इसका हिसाब लगाया तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो खर्चा हमारी आबादी के हिसाब से हम देखते हैं कि १४७.५ नहीं बैठता है; बल्कि ११९ या १२० रु० के आसपास बैठता है तो इस तरह से २७,२८ रुपये का फर्क इसके अन्दर पड़ जाता है। तो यह बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए इस योजना के अन्तर्गत जो यह किताब हमारे सामने रखी है और इसके अन्तर्गत हमने बड़े बड़े लोगों को बैठाया है और इसके बाद में सारी चीजों की छानबीन की है तो योजना जो हमारे सामने आनी थी वह इस प्रकार से आनी चाहिये थी कि आबादी के अनुसार, आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया जा रहा है और आज जैसा कि इसमें बतला रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति १४७.५ रु० खर्च करेंगे में

(श्री मुरलीधर व्यास)

समझता हूँ कि वह गलत है। आज की आबादी के हिसाब से २३६ करोड़ का करें, ठीक ढंग से दो करोड़ की आबादी पर बांटें तो वह इतना नहीं बैठता है; वह बैठता है ११६ रु० ।

तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से और दूसरे राज्यों के दृष्टिकोण से देखें कि कहां क्या है और क्या नहीं है तो कहीं १७५रु० कहीं १४७ रु० और कहीं कहीं १२० रु०, हर राज्य में इस प्रकार से है । वे आंकडें कब के हैं, क्या हैं, किस प्रकार के हैं, यह मालूम नहीं है। परन्तु आंकड़ों के मामले के अन्तर्गत जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार करते हैं तो उस योजना के अन्तर्गत हमको यह बात स्पष्ट रखनी थी और उसको उस तरीके से आंकड़े रखते तो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है । और जो रुपया लगता है वह आबादी के हिसाब से तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल ११६ रु० बैठेगा ।

अब ठीक बात है, इस प्रकार से यह बैठे। इसके साथ साथ हम ५०रु० प्रति व्यक्ति साधन जुटायेंगे, यह भी हम मानते हैं 'और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि हम केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे । हम मानते हैं कि ८० करोड़ की सहायता केन्द्रीय सरकार की है। हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से इस आंकड़े को प्रति व्यक्ति नहीं देखते हैं। जहां तक धरती का सवाल है, राजस्थान की धरती अन्य प्रान्तों से बहुत ज्यादा है । इसकी सीमा बहुत लम्बी-चौड़ी है । वह हिन्दुस्तान के बड़े राज्यों में से एक है सीमा के दृष्टिकोण से और जहां पर सीमा का सवाल है, विकास का सवाल है, उसके अन्तर्गत हमारा दृष्टिकोण केन्द्रीय सरकार का भी यह होना चाहिये कि हम किस प्रकार से देश की वह धरती जो ज्यादा से ज्यादा है, जहां कि आबादी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर उत्पादन बढ़ाना है तो इसलिए हमको उस धरती पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिये। आज केन्द्रीय सरकार ने यह दृष्टिकोण नहीं रखा है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के दृष्टिकोण से कुछ राज्यों को बहुत ज्यादा दिया है । ज्यादा देने का मतलब यह नहीं है कि हमने एक बांट इस प्रकार की है कि इस प्रान्त को इतना देना चाहिये, इस प्रान्त को इतना देना चाहिये, परन्तु दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की सारी धरती एक है, इस धरती में से ऐसी कौनसी धरती है जिस धरती पर ज्यादा धन लगा कर उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें ? अगर यह दृष्टिकोण केन्द्रीय सरकार का होता तो मैं समझता हूँ कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा राजस्थान को केन्द्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा देती और अगर वह पैसा राजस्थान में लगता है तो उसका लाभ सारे राजस्थान को एक साथ पहुंचता, परन्तु यह बात भी इसके अन्तर्गत नहीं है ।

अब मैं दूसरी बात जो यह कहना चाहता हूँ कि यह योजना के अन्तर्गत हमने जो पर-केपिटा आमदनी २७८ रु० मानी वह २७८ रु० भी किस आधार पर है ? यह २७८ रु० सन् '५१ की आबादी के आधार पर हैं । यानी आज की आबादी के आधार पर। मैं यह कहता हूँ कि इस मामले के

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्तर्गत सन् ५१ की आबादी के आधार पर हम यहां राजस्थान में प्रति व्यक्ति जो यह बताते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। आज हमको प्रति व्यक्ति दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त करने के बाद में इस तरीके से सोचना चाहिये कि आज की आबादी क्या है और आज की जो आबादी है उसके दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आंकडें क्या हैं? उस तरीके से हमको बताना चाहिये। जहां तक उस तरीके से सोचते हैं तो इसमें बड़ा फर्क आता है। और इस योजना में यह स्पष्ट होना चाहिये था कि हमने राजस्थान की इतनी आबादी मान ली है और इस आबादी के आधार पर इन सारे फीगर्स को हम देते है, परन्तु इस मामले के अन्तर्गत हम बिल्कुल साफ नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं और नतीजा यह होता चला जा रहा है कि हमारा जो समाजवादी दृष्टिकोण होना चाहिये; जिसके अन्दर, हमको बिल्कुल आज जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में हमको सोचना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि योजनाओं के बाद हम यह कहें कि हम जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी और पहली पंचवर्षीय योजना थी उससे आज बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, परन्तु जब मैं यह सोचता हूँ कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, परन्तु पैसे की कीमत क्या है ? जो सन् ३९ में एक रुपया था उसकी कीमत सारे औसतन भाव ३८—३९ को मानें तो ३८—३९ का आज हमारा इन्डेक्स लगाया जाय और उस समय के एक रुपये के और आज के एक रुपये के भाव को नापें तो आज उसकी कीमत २ आने हो जाती है। जो रुपया उस समय एक रुपया था जितनी चीज़ हम पहले दो आने में लेते थे आज वही चीज़ लेने के लिए मार्केट में एक रुपया देना पड़ता है। रुपये की कीमत क्या हो गई है ? ३९ में एक रुपये की कीमत क्या थी ? फिर उसके बाद ४७—४८ में रुपये की कीमत क्या हुई ? और ५२ में अगर मानते हैं कि इन्डेक्स किसी प्रकार से बढ़ा है, उसके बाद में रुपये की कीमत क्या हुई और पहली पंचवर्षीय और दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद उस रुपये की कीमत क्या हुई ? आखिर जो रुपया हम लगाते हैं वह रुपया लगाते समय यह अवश्य देखें कि पहले एक रुपया खर्च करते थे, आज दो रुपया खर्च करते हैं लेकिन रुपये की कीमत क्या है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ३९ में रुपये की जो कीमत थी वह दो आना हो गई है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह हिसाब कैसे लगाया ?

श्री मुरलीधर व्यास : हिसाब अगर कहें तो बता दूं। ३९ में जो भाव था, रिज़र्व बैंक और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो इस प्रकार का क्राइटेरिया लगाया था उसका आप कहें और आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं। आपके पास में भी फीगर्स हैं। प्राइस और प्रोडक्शन के सम्बन्ध में मैंने जो आंकड़े दिये हैं, उस आधार पर........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रिज़र्व बैंक का बतला दें।

श्री मुरलीधर व्यास : इसको मान्य करें तो ठीक हैं, नहीं मान्य करें तो बताना पड़ता है।

तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी ५६ को लीजिये। ५५–५६ को लिया जाय तो इसमें हमारी पहली पंच वर्षीय योजना समाप्त होती है मार्च में और उस मार्च के पहले ३–४ महीने शायद उसको ले लिया जाय, उसकी औसत नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि उस समय हमारे रेटस कम थे पहली योजना समाप्त हुई, दूसरी समाप्त होने के समय और उसके बाद तीसरी योजना को प्रारम्भ करते हैं, उस समय स्तर क्या है? अनाज का भाव क्या है; टीन, लोहा, सीमेन्ट आदि जो वस्तुएं योजना के काम में आती हैं उनको लीजिये और जो प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं, मनुष्य के जीवन की, उनको लीजिये। दोनों को लेते हैं तो बड़ी भारी बढ़ोत्तरी आज भावों में हो गई है। हमारे यहां राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्टेटिस्टिक्स दिये हैं उनमें से अनाज के भावों को आपके सामने रखना चाहता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पुराने होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : ये दिये हैं डिस्ट्रिक्टवाइज़ फूड ग्रेन्स एण्ड प्राइसेज़ इन राजस्थान। इसमें जो सन् ५५ के सितम्बर में गेहूँ के भाव दिये हैं १२) रु० प्रति मन और बाजरे के भाव दिये है ८।) रु० प्रति मन और ५ साल बाद आज की जो स्थिति है उसके अनुसार बाजरे के भाव १६) रु० मन हैं इससे भी ऊपर बीकानेर में २०) रु० तक चले गये थे। यह सबको पता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दो आना कैसे हुआ?

श्री मुरलीधर व्यास : ये तो ५५–५६ के भाव हैं, इससे भी दुगुने आज हो गये हैं। अब मैं आपको ३६ के भाव बताता हूँ। इन्डेक्स नम्बर ३६ के देखिये। Index of the import and export price figures have been collected from the data given in the body of the reports of the Reserve Bank of India and not from the statements.

डॉ बहादुरसिंह : इसे टेबल कर दें, हाउस पढ़ लेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो आंकड़े दिये हैं, उसमें बेसिस माना है ३६ को और सन् ४६ में इन्डेक्स नम्बर हो गया ३.८६ अर्थात् चौगुना हो गया ४६ में और ४६ के बाद आज फिर चौगुने दाम बढ़ गये। कहने का मतलब यह है कि जब रेट्स ४६ से भी आज चौगुनी हो गई तो रुपये की कीमत दो आना हो गई, ३६ के बाद यह स्वाभाविक है। तो हमें इस मामले में सोचना जरूरी है। हम योजना पर खर्च करते चले गये, पहले के मुकाबले में किस स्थिति पर पहुँचे हैं? ठीक बात है, पहली योजना में जितने रुपये रखे थे उससे दुगुने से भी ज्यादा अब रखे हैं। ठीक बात है लेकिन काम हुआ है उसको इतना ही मान कर चलना चाहिये क्योंकि रेट्स बढ़ गई, भाव बढ़ गये हैं और ये बढ़े हुए भाव योजना को भी मंहगा करते जा रहे हैं और इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति योजना पर भी वैसा ही असर डालते हैं। आज हम हमारी योजना के बारे में तो सोचें तब व्यक्ति की योजना के बारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

में सोच सकते हैं। हमारी योजना पर पहले जो खर्चा करते थे उससे अधिक आज कितना खर्चा करना पड़ता है ? पहले एक व्यक्ति के घर की योजना में कितना खर्चा पड़ता था और आज कितना खर्चा करना होगा इससे अन्दाज लगा लें। मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिन दिन कीमत कम होती जा रही है, रुपये की, और हम कहने को तो कहेंगे कि हमने योजना में इतना काम किया, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलने वाला है। आपके काम का भावों के साथ सम्बन्ध होना चाहिये और समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के साथ सम्बन्ध होना चाहिये। आज प्लानिंग में यह बात कतई नहीं है और आगे जाकर दर्द की चीज हो सकती है। हमको समाजवादी ढंग पर लाने के लिये रास्ता अपनाना चाहिये।

आज इन्डस्ट्री में हमारी योजना यह बननी चाहिये कि पब्लिक सेक्टर में किस प्रकार से रुपया खर्च करेंगे और रुपया खर्च करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाकर राज्य की जनता के जीवन-स्तर को किस तरह से बढ़ायेंगे, इसका ध्यान होना चाहिये, लेकिन इसके अन्तर्गत योजना में है नहीं और जब समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना है तो उसके मुकाबले में पूंजीवाद से टक्कर लेने के लिये समाजवादी दृष्टिकोण रखना चाहिये और पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिये। हम कहते हैं कि नेशनलाइज़ करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने का रास्ता, लोगों को काम देने का रास्ता होना चाहिये और पूंजीवादी दृष्टिकोण के सामने समाजवादी दृष्टिकोण का महत्व पब्लिक सेक्टर में ज्यादा रहना चाहिये वह तीसरी योजना में नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक बात है, अब जो कुछ योजना हमारे सामने है उसमें जो आंकड़े रखे गये हैं उनके बारे में पहली बात तो यह है कि गलत सूरत में आंकड़े रखे गये हैं जिनसे अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। आंकड़े रखने का तरीका स्पष्ट होना चाहिये था ताकि उनके आधार पर आगे की योजना पर विचार कर सकें।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह कि इस योजना में जो पहले की योजनाओं का अनुभव है उनका लाभ उठाना चाहिये। पहली योजना में राजस्थान में जो एडवाइज़री कमेटी बैठाई थी और उसने जो योजना के सम्बन्ध में राय दी है वह यह है कि योजना पर खर्चा अन्धा-धुन्ध होता है, ठीक तरह से नहीं होता है। उनकी यह भी राय है कि करप्शन या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और इस भ्रष्टाचार को आगे की योजना में मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो योजना से जो लाभ जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिलेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी चार दिन पहले मैं चम्बल प्रोजेक्ट देखने के लिये गया। इस चम्बल प्रोजेक्ट पर हमारा काफी पैसा लगा है। इस प्रोजेक्ट में जहां लोहे की चद्दर है उसके नीचे सीमेन्ट और कंकरीट की ढाल बनाई गई है उसके नीचे के लेवल में इस प्रकार का होल सा पड़ गया है कि पानी चद्दर से तो नहीं। लेकिन नीचे जो सीमेन्ट का स्लोप है उसमें जगह जगह से ऊपर से निकलता है। जिस प्रकार कि फंवारों से निकलता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है उसी तरह से निकलता है। मैं जिस दिन वहां गया था उसी दिन वहां पर बाहर से इंजीनियर्स उसे देखने आये थे। मैंने उनको वहीं का आदमी समझ कर पूछा कि यह क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि नीचे थोथ है, काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इसका नतीजा कभी बुरा निकल सकता है। मैं तो इस चीज का जानकार नहीं था, लेकिन इसको देखा जाना चाहिये, किसकी देख रेख में यह काम हुआ है, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिये। यह ठीक नहीं बना है। यह जो मिसाल है बड़ी योजना के अन्तर्गत, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां हमारे करोड़ों-अरबों रुपये लगते हैं, प्रान्त को आगे बढ़ाने के लिये, उसके बारे में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक बात है, उद्घाटन आदि के काम के लिये जाते हैं तो जहां करोड़ों-अरबों रुपये लगते हैं उन योजनाओं को भी महीने में चार-पांच बार देखना चाहिये कि वाकई ठीक काम हो रहा है या नहीं, तो ठीक रहेगा। इन योजनाओं को छोटी योजना नहीं समझना चाहिये। महत्व की बड़ी योजना है। इस योजना में करीब २१ करोड़ रुपये नहर, बांध और उसके साथ साथ बिजली पर खर्च हो रहे हैं, इसमें जो इस प्रकार की योजनाएं है उन पर जो रुपया लगता है वह किस प्रकार से लगता है उसको जन प्रतिनिधि ठीक तरह से नहीं देखते हैं तो उनसे लाभ नहीं होता। जो भी योजनाएं बनती है जैसे बीकानेर में मैडिकल कॉलेज बन रहा हैं, १ करोड़ की स्कीम है, वहां पहले ईंटें खराब लग रही थीं, अब डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लिया, मन्त्रीजी को देखना चाहिये कि वाकई इसके अन्तर्गत पैसा लिया जा रहा है, वह बड़ी योजना है, इसके अन्तर्गत ठीक तरह से काम चल रहा है, या नहीं; यह स्पोट पर जाकर देखना चाहिए। पुराने समय में राजा महाराजा स्पोट पर जाकर देखते थे।

आज के जनता के प्रतिनिधि एक दफा चले गये उद्घाटन करने, दो दफा चले गये, लेकिन ऐसे निर्माणों की प्रगति को, जिन पर धन लगता है, बराबर देखना चाहिए। उसके बाद देखें तुलनात्मक दृष्टिकोण से, जो उस जमाने में चीजें बनी, उनके मुकाबले में कितनी अच्छी चीजें बना रहे हैं! आज आप दूसरों की निन्दा करते हैं, लेकिन आप गंग नहर को देखिये। गंग नहर जो बनी, वह हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी और पक्की नहर मानी जाती है। आज हम नहर बनाते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से रिकॉर्ड कायम करना चाहिए। हम देखें कि उसके मुकाबले में राजस्थान नहर का और इसका निर्माण किया, क्या वह अच्छा है। इसी तरह की स्थिति बिल्डिंग्ज़ की थी। इनके मुकाबले में हम जो हॉस्पीटल बनायें, उन पर रुपया लगायें, तो तुलना करके देखें कि क्या उनसे अच्छी हैं। इसी तरह से राजस्थान में जितनी बिल्डिंग्ज़ बनाते हैं, उनकी तुलनात्मक दृष्टि से सामन्त शाही बिल्डिंग्ज़ से तुलना करते हैं, तो लोग आश्चर्य करते हैं कि यह इतनी मजबूत और अच्छी क्यों है और यह इतनी कच्ची क्यों है; इसकी ओर हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैडीकल कॉलेज का जहां तक सम्बन्ध है हम रात दिन देखते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि उसमें देखने की जरूरत है। देखने के साथ साथ यह विचार भी करने की जरूरत है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि इतना रुपया लगाने के बाद उस मैडीकल कॉलेज को बीकानेर में जो दूसरी छोटी मोटी बिल्डिंग्ज़ हैं, उनके मुकाबले में अच्छा कह सकते हैं। आज यह स्थिति है, इसलिए इस ओर मैंने सरकार का ध्यान खींचा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत तीसरे मैडीकल कॉलेज की बात आई है। इसके अन्तर्गत मैं देखता हूं कि तीसरे मैडीकल कॉलेज के लिए ७५ लाख रुपया रखा गया है। तारीफ की बात तो यह है कि ७५ लाख रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना में रख लिया गया है और दूसरा मैडीकल कॉलेज बीकानेर में खोला, उसका काम पहले से प्रारम्भ हो गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में १७ लाख, १८ लाख रुपया खर्च हुआ; आगे के लिए ५१ लाख रुपया रखा है, परन्तु जो काम हो चुका है पहले वहां पर कुल मिला कर रकम उदयपुर से कम है, मैडीकल कॉलेज की। जब कि निर्माण के मामले में तुलना की जाय तो वहां पर खर्चा कम लगता है निर्माण में, सामान के दृष्टिकोण से, मेटिरियल के दृष्टिकोण से, मजदूरी के दृष्टिकोण से और जहां ज्यादा खर्चा लगता है, वहां कम रुपया रखा गया है। मैं किसी दृष्टिकोण के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे मेडिकल कालेज की, जिसकी पहले से योजना बन चुकी है, उसमें कम पैसा लगाना, कम खर्च होना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो तीसरा बनने वाला है। उसमें ज्यादा रख देना, मैं समझता हूं इसमें दृष्टिकोण हो सकते हैं, ऑफिसर्स का दृष्टिकोण कैसा बना है, प्लानिंग का दृष्टिकोण कैसा बना है। मैं समझता हूं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने आप में सोचने का सवाल है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अन्तर्गत योजनाओं में शिक्षा का जहां तक सवाल है, उसका दृष्टिकोण सब तरफ एकसा होना चाहिए। रोड्स का जहां तक सवाल है उसमें भी एकसा दृष्टिकोण होना चाहिए, परन्तु तारीफ यह कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो रोड्स के निर्माण का सवाल था उसमें यह था कि डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स से डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर को जोड़ेंगे। सारे डिवीज़न्स में ऐसा हो गया, लेकिन बीकानेर डिवीज़न के अन्दर बीकानेर डिवीज़नल हैड क्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से नहीं जोड़ा, जो रकम रखी गई वह खर्च नहीं हुई। दूसरी तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ जो रकम लगने वाली थी, उससे ज्यादा रकम खर्च हो गई। यह दृष्टिकोण किस प्रकार बनता है, इस दृष्टिकोण से एक इलाके को इसमें देखा जाता है, जब कि योजना के अन्तर्गत कोई इस प्रकार का इलाका रह जाता है, यह उचित नहीं है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में रोड्स को गांव तक पहुँचाने की बात करते हैं। गांवों को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ने का विचार रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम उपेक्षिता की नीति इसमें नहीं हो; ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम से कम ध्यान देना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत जहां तक बीकानेर डिवीज़न का सवाल देखा है, उसके अन्तर्गत नहीं है, इसलिए उस ओर कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मन्त्री महोदय का ध्यान खींच सकूं क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यातायात का काम बीकानेर डिवीज़न में होना था, वह पूरा नहीं हो पाया है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्त में खास करके एक बात यह कहना चाहता हूं

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

कि योजना के अन्तर्गत जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन से राजस्थान की बहबूदी के दृष्टिकोण से राजस्थान नहर की योजना रखी गई है, यह अच्छी योजना है, परन्तु इसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह कह कर नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि यह नहर गंगानगर में आयेगी, बीकानेर में आयेगी दस साल में, इसलिए पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं और उस पैसे को नहीं लगाते हैं। मैं समझता हूं, यह दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखते हैं तो वह विकास के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नहर के बारे में प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पानी आ गया। तो बीकानेर के अन्तर्गत पानी देने की, लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी देने की व्यवस्था हो सकेगी कि नहीं, जहां इतनी संदिग्धता है वहां योजना के साथ बीकानेर को जोड़ देना और वहां के विकास के लिए जब कभी पैसे की मांग करना; तो नहर की बात करके विकास में उसको पीछे रखा जाता है तो यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना वाकई राजस्थान की बहबूदी के दृष्टिकोण से जरूर है, इसका कुछ लाभ होगा; लेकिन आपको समाजवाद का दृष्टिकोण अपना लेना चाहिए ताकि वह लाभ पानी के बहाव की तरह राजस्थान के एक एक घर और एक एक झोंपड़ी तक पहुँच सके। यह दृष्टिकोण नहीं होगा तो लाभ कुछ मोटे और भारी लोगों को मिल सकेगा और दूसरे लोग उससे वंचित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना पर इस समय विचार हो रहा है। मैं केवल कुछ सेक्टर तक सीमित रह कर अपने विचार प्रकट करूंगा। मैं सबसे पहले उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में बहुत जल्दी उद्योगपतियों का सम्मेलन होने जा रहा है, उससे हमें कुछ फायदा उठाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा उद्योग के बारे में विचार करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में जिस प्रकार उद्योग की उपेक्षा की है उसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर केवल कॉपर स्मेल्टर के अलावा दूसरी इस प्रकार की योजना नजर नहीं आती जो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर दी गई हो और दूसरी स्टेट्स में केन्द्र की सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के काम हैं, उन पर विचार करें तो निश्चय तौर पर मालूम कर सकेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने, जब कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजस्थान की बहुत बड़ी उपेक्षा की है। मैं आपका ध्यान थोड़ा दिलाऊं कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री की बात राजस्थान के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र में देने वाली बात थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यू. एन. ओ. की रिपोर्ट में, जैसा मालूम हुआ कि उसने इस प्रकार की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के सामने पेश की है, कहा है कि राजस्थान में फर्टीलाइज़र का कन्ज़म्प्शन कम है, इसलिए

Page No.46

(डॉ० बहादुरसिंह)

हनुमानगढ़ में जो फर्टीलाइज़र फैक्ट्री खोली जानी चाहिए थी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार जहां राजस्थान का विकास करना चाहते हैं वहां केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान की उपेक्षा थोड़ी खटकती है। दूसरी उपेक्षा जो ज्यादा की गई है, वह लोकोमोटिव फैक्ट्री के बारे में है। लोकोमोटिव फैक्ट्री सवाई-माधोपुर में खुलने वाली थी। उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया कि लोको-मोटिव को सार्वजनिक क्षेत्र में मान लिया जाय। उसके बाद मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को लोकोमोटिव फैक्ट्री सवाईमाधोपुर में स्थापित करनी चाहिए थी। उस सम्बन्ध में भी अभी तक कोई निर्णय न होना राजस्थान के प्रति उपेक्षा बताता है। हम समझते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की उपेक्षा दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमें सदन के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह निवेदन करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो राजस्थान की उपेक्षा हो रही है उस सम्बन्ध में विचार करें।

मैं एक और फैक्ट्री के बारे में सदन के सामने निवेदन करूं, वह है हेवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स के बारे में केन्द्रीय सरकार ने दो फैक्ट्रीज़ स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी; एक थी निर्धारित और दूसरी थी विचारार्थ। जो निर्धारित योजना थी, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया इस फैक्ट्री को हमारे यहां गंगापुर में स्थापित कर दिया जावे। लेकिन इसके सम्बन्ध में भी यह सुन रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इसलिये मैं समझता हूँ कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी उसके बारे में विचार करना चाहिये और सेन्टर पर इस बात का दबाव डालना चाहिये कि हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स की फैक्ट्री है, वह राजस्थान में स्थापित की जावे।

दूसरा पेट्रोलियम का है। इसके लिये जैसी हम आशा करते थे कि यह पेट्रोलियम जैसलमेर में मिलेगा, लेकिन अब मिलने की कम आशा रह गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब सार्वजनिक क्षेत्रों में मिलने वाली जो फैक्ट्रीज़ थीं उनमें सिर्फ कोपर के अलावा राजस्थान में और कोई नजर नहीं आती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह हमारे प्रति केन्द्र की उपेक्षा क्यों है? राजस्थान ही है जिसके उद्योगपति बाहर हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो सम्मेलन राजस्थान में होने जा रहा है, उससे हमें फायदा उठाना आवश्यक है, और राजस्थान सरकार को ज्यादा से ज्यादा अब व्यक्तिगत तौर पर जितने उद्योग राजस्थान में हो सकते हैं उनको लाने का प्रयास करना चाहिये। हांलाकि मैं इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मन्त्रीजी की सदन में तारीफ करूंगा कि जो लाइसेन्स दिये जा रहे हैं यह उन्हीं की हिम्मत है कि वे वहां पर सेन्टर में जाकर सारे लाइसेन्सों को निकालवाने की हिम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि सेन्टर पर इस प्रकार का दबाव डालना चाहिये कि जितने भी व्यक्तिगत तौर पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सेन्टर की सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि जिससे हमको लाइसेन्स ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकें।

(डॉ० बहादुरसिंह)

इसके बाद अन्त में मैं चाहे प्रान्तीय भावना कहिये, इसको लेकर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान निवासी बंगाल और आसाम में हैं और उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसको देखते हुए राजस्थान के उद्योगपतियों को राजस्थान में लाने का प्रयास करना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा देकर इस बात की प्रेरणा देनी चाहिये कि वे यहां आकर उद्योगों की स्थापना करें।

अन्त में मैं आयुर्वेदी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते तो यह हैं कि राजस्थान में आयुर्वेद की उन्नति हो और इस सम्बन्ध में मुझे, एक अरबी की कहावत भी है वह याद आ गई वह हमारी भावना को बताती है :

(अश्रव्य–भाषण अनुमोदित होकर नहीं प्राप्त हुआ)

हम चाहते हैं कुछ करना और हमारी ताबीर दूसरी बन जाती है । हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की तरक्की हो लेकिन बजाय आयुर्वेद की तरक्की के हम इसमें कमी होते देखते हैं। राजस्थान के अन्दर एक करोड़ एक लाख की योजना इसके लिये प्रस्तावित की गई । जब हमने राजस्थान में इसके लिये एक करोड़ एक लाख की योजना प्रस्तावित की और उसके अन्दर जब हमने यह देखा कि यह केवल ७० लाख की रह गई है। इसमें ३१ लाख की कटौती की गई । इस सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी योजना को २ करोड़ ४० लाख बढाये। मैं इस बात का हामी हूँ कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काफी प्रगति को जानी चाहिये। इसमें वे २ करोड ४० लाख प्राप्त कर सके। यह तो आयुर्वेद का ही दुर्भाग्य है कि इसमें उल्टी कमी हुई है। एलोपेथी में दो करोड़ ४० लाख की प्रगति और आयुर्वेद में ३१ लाख की कटौती, यह हमारा ही दुर्भाग्य है। आयुर्वेद के बारे में हम देखते हैं कि यह कटौती बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हुई है। सब से बड़ी कटौती अनुसंधान के सम्बन्ध में हुई है। इसके लिये ५ लाख की व्यवस्था की गई थी इसको समाप्त कर दिया । मैं समझता हूँ कि इसको क्यों समाप्त कर दिया, इसके लिये क्या कारण हुए हैं ? हो सकता है कि इसकी आवश्यकता को सेन्टर के सामने पूरी तरह से नहीं रखा जा सका हो।

दूसरा आयुर्वेद में फार्मेसी को मिलने वाला था उसमें ३४ लाख का है। मैं समझता हूँ इस बारे में सरकारी स्तर पर उद्योग हो सकता है, और इसके बारे में काफी विचार किया जा सकता है, और इसमें ४० लाख की कटौती की गई है, मैं निश्चय तौर से कहूँगा कि अगर इसको व्यापार के तौर पर चलावें तो ४० लाख की कटौती की गई है, वह उसके मुनाफे से पूरी हो सकती है क्योंकि आज फार्मेसी में काफी विकास की गुंजायश है और ३४ लाख की कटौती इस बात का प्रतीक है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । इसके लिये या तो हमारी योजना में कमी रहती है या हम उसकी उपयोगिता को बता नहीं सकते।

दूसरी बात यह है कि जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में देहातों में जाते हैं और रूरल एरिया में जो आयुर्वेद मैडिसिन्स देते हैं

(डॉ० बहादुरसिंह)

वहां भी करीब करीब कटौती की गई है। उसमें १५ लाख ८० हजार की कटौती की है। इसके लिये मैं कहूँगा कि सम्भवत: एलोपैथीक में दो करोड़ ४० लाख भी खर्च कर दिये जावे तो भी रूरल क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि जो रुपया एलॉट हुआ है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये। अगर राज्य न दे तो स्वास्थ्य विभाग से इसका बंटवारा किया जाना चाहिये। दूसरी जो योजना है उसमें बराबर बंटवारा करने की गुंजाइश है।

अंत में मैं इस बात के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सिंचाई में पर्वती बांध पर राजस्थान का जो प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। पार्वती बांध से ३२ हजार एकड़ की सिंचाई होती है इसको तीसरी पंच वर्षीय योजना में रख कर बहुत बडा प्रयास किया है।

अंत में मैं विद्युत के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे विद्युत बोर्ड ने, जिसके बारे में सदन में विचार हुआ और उसने जो प्रगति की वह बड़ी सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई उद्योग अपनी उन्नति करने के लिये कर्ज़ा कोई लेता है तो फाइनेन्स कोऑपरेशन से उसको कर्जा मिलना चाहिये। अगर उसके काम में किसो प्रकार के कर्जे को आवश्यकता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिलाने का प्रयास करना चाहिये। चाहे वह कर्जा किसी भी क्षेत्र से ले। अगर कर्जा लेकर सारी योजना को पूरी कर ले तो इलेक्ट्रीसिटी का पूरा उपयोग हो सकता है और विद्युती करण से हमारे देश में औद्योगीकरण हो सकता है और हमारा देश औद्योगीकरण की ओर प्रगति कर सकेगा और दूसरे क्षेत्रों में भी प्रगति कर सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कर्जे के बारे में जो अंकुश लगा हुआ है वह उठा लेना चाहिये और इस बात के लिये स्वीकृति होनी चाहिये कि जितना भी कर्जा लेना जरूरी हो लेना चाहिये और उसको लेने की स्वीकृति मिलनी चाहिये, जिससे वे योजना को पूरा कर सकें। ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्लान है। इसमें हमें मोटे रूप से यह प्रतीत हो जाता है कि राज्य सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों में क्या रुख रखती है। उनका संतुलन सबसे पहले हमारे प्लान प्लानिंग की आवश्यकता से किया जाना आवश्यक है क्योंकि शुरू शुरू में राज्य सरकार की मंशा क्या है, उसका प्रतिबिम्बित प्लान फ्रेम था। और नेशनल प्लानिंग कमीशन से विचार विनिमय के बाद जो आवश्यक कटौतियां हो सकती थीं उनके बाद राज्य सरकार जो कुछ अपना मानस बना सकी है उनका इन प्रस्तावों में उल्लेख मिलता है। हम यदि देखें तो कृषि उत्पादन में ही जो प्लान फ्रेम में धनराशि रखी गई थी १० करोड़ कुछ लाख की उसके बजाय ५ करोड़ ७५ लाख रखी गई है। आधी कटौती नजर आती है। उसी प्रकार भूमि उपयोग के लिए जो धनराशि रखी गई थी उसमें एक तिहाई और पशु—पालन में भी आधी कर दी गई है। सहकारिता में १।५ और सिंचाई योजनाओं में कोई खास कटौती नहीं की गई है बल्कि कुछ वृद्धि ही है। उद्योग और खनिज में चौथाई के करीब कटौती नजर आती है

(श्री नारायणसिंह)

और यातायात में दो तिहाई कटौती हमारे सामने नजर आती है। सामाजिक सेवाओं में, शिक्षा क्षेत्र में आधी कटौती है और इसी प्रकार अनेक कटौतियों का हिसाब लगाते हुए सब सामाजिक सेवाओं में आधी कटौती देखते हैं और अन्त में जाकर विविध में दो तिहाई कटौती आती है।

इस दृष्टि से हम कुछ मुद्दों पर विचार करें। तो सबसे पहले हमारी योजनाओं में, जो हमको साधन समृद्धि के बना सकते हैं, या हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं, वे कृषि योजनाएं हैं और कृषि के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी आज तक प्राप्त हो सकी है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में हम अपने लक्ष्यों से आगे बढे हैं, ८ लाख टन के बजाय १२ लाख टन की वृद्धि की है। फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें उठायीं और वे वाजिब शंकायें भी थीं कि प्रति एकड़ उपज में काफी कमी आती है और कुछ ही दिनों पहले फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने आंकड़े भी प्रस्तुत किये थे कि किस तरह से विभिन्न नाजों में कमी आती है। इसकी ओर ध्यान देना है। इन्टेसिव कल्टीवेशन की ओर ध्यान देकर एक कॉम्प्लीसेन्सी का एटीट्यूड बनाने से नहीं होगा। हमें वास्तव में देखना होगा कि प्रति एकड़ उपज बढ़ रही है या नहीं। समय पर बीज, खाद प्राप्त होवे और केमिकल खाद प्राप्त होता है भूमि पर उसका किस प्रकार से असर पड़ता है उसका विश्लेषण करना है, ये सब बातें आती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े यदि मैं यहां पर प्रस्तुत करूं तो असंगत नहीं होगा। जापान में चावल की उपज प्रति एकड़ भारतवर्ष से चौगुनी कही गई है। गेहूँ की कनाड़ा में दुगुनी उपज होती है। गन्ना जावा में हिन्दुस्तान से चौगुना प्रति एकड़ होता है। कपास इजिप्ट में भारतवर्ष से पांच गुना होता है, ऑइल सीड अर्जेन्टाइना में दुगुना होता हैं। भारतवर्ष में सर्वे इत्यादि से पता चलता है कि एक प्लॉट में ६० मन गेहूँ की उपज़ हुई है, ८०० मन आलू और चालीस (४०) मन चावल की उपज हुई है। इस प्रकार रिकार्ड हमको प्राप्त होता है।

तो आज भारतवर्ष की भूमि को देखते हुए और जिस प्रकार सिंचाई के साधन उपलब्ध करना चाहते हैं उन सब बातों को देखते हुए हम इन्टेन्सिव कल्टीवेशन को बढ़ावा देते हुए ध्यान दें, उन्नत बीज के लिए ऐसे बीज के लिए फार्म होने चाहिये, उनकी तरफ विश्लेषण इस बात का कि खाद दिया जाता है क्या इफेक्ट करता है, इस तरह का, उन सब बातों की ओर ध्यान दें तो इन्टेन्सिव कल्टीवेशन में वृद्धि हो सकती है और भूमि उपयोग की जहां बात आती है उसका भी मसला हल हो सकता है। भूमि उपयोग में हम काफी धन-राशि खर्च करते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि सोइल कन्जर्वेशन की ओर जो दृष्टिकोण है वह स्थितप्रज्ञ है और नवीनता उसमें नहीं आ पाई है। हम चाहते हैं कि फौरेस्ट के शेल्टर बेल्ट्स बना दें जिससे बढ़ता हुआ रेगिस्तान रुक जाय। हम चाहते हैं कि पानी के साधन बना दें जिससे जमीन ज्यादा जरखेज़ हो। कहीं फोरेस्ट की बॉउन्ड्री को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसीसे संतोष मान लेते हैं। सोइल कन्ज़र्वेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें विशेष प्रकार की जमीनों में विशेष प्रकार के घास उगाना चाहते हैं, जिससे

(श्री नारायणसिंह)

चरागाह की भूमि सुधरे। विशेष प्रकार के दरख्त लगाना चाहते हैं जिससे विन्ड इरोज़न कम हो सके और शेल्टर बेल्ट्स हैं उनको जंगलों से समृद्ध न करें, लेकिन एनीक्टस बना कर पानी की व्यवस्था करें जिससे जो हमारी भूमि का क्षरण हो रहा है, अनेक प्रकार से भूमि का क्षरण हो रहा है उससे बचा सकें। इस प्रकार से हम प्रति एकड़ उपज में योग–दान दे सकते हैं।

(१.०५ म. प.)

(श्री निरंजननाथ, आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

सहकारिता के मद में भी कटौती की गई है। १।५ की कटौती, जब कि राष्ट्र की सारी जमा कम है, साधन कम उपलब्ध हैं और विदेशी मुद्रा का भी प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, इतनी कटौती कोई बड़ी बात नहीं है। केवल चार करोड़ की धन–राशि कोऑ-रेटिव में रख देने से, कोऑपरेटिव सेक्टर में विभिन्न प्रकार की धनराशि रख देने से संतोष मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में सह-कारिता के प्रति जागरुकता पैदा कर सकें या नहीं ? सहकारिता बुनियाद से ही शुरू होनी चाहिये। जापान इत्यादि देश में सहकारिता का प्रसार अधिक है, यहां तक जापान में देखा जाता है कि गांवों में दो-तीन सहकारी संस्थान होते हैं, उपज, उत्पादन और क्रय विक्रय की अलग २ वे राज्य से अनुप्राणित और प्रोत्साहित नहीं हैं बल्कि जनता के द्वारा ही आगे लायी गई हैं। इस प्रकार से सहकारिता की जागरूकता पैदा नहीं करते और सहकारिता के लिए शिक्षण पूरा का पूरा नहीं देते हैं, ऊपर से ढांचा बना देने से काफी नहीं हो सकता है। इनके साथ साथ मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारा जो सहकारी कानून है और उसमें जितने प्रकार के संशोधन हो रहे हैं वे अब भी जिस प्रकार हम सहकारी क्षेत्र को प्रसारित करना चाहते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में, उसके बराबर नहीं तुलते हैं। इसीलिए जहां नीचे से सहकारिता के लिए जागरूकता खड़ी करना है वहां ऊपर की स्थिति ऐसी बनानी है कानून द्वारा, योजना और योगदान द्वारा, सबसिडी लोन्स इत्यादि की व्यवस्थाओं से, जिससे सहकारिता आगे बढ़ सके। फीगर्स से संतोष केवल नहीं कर सकते।

सहकारिता के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो आती हैं वे हैं सिंचाई योजनाएं। मैं कहूंगा कि सिंचाई योजनाओं में जो मूल प्रस्ताव प्लान फ्रेम थे उनसे बढ़ोत्तरी हुई है और मैं देखता हूँ कि वह राजस्थान नहर और पौंग बांध के समावेश से ही हुई हैं। मैं तो यह समझता था कि राजस्थान कैनाल इत्यादि नहरों के तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का जो संकलन है और केनाल खर्चे का निरूपण है वह उसमें समावेश न होकर अलग चीज़ बनेगी क्योंकि वास्तव में राजस्थान नहर से अन्न उत्पादन होगा और अन्न में समृद्धि आवेगी वह न केवल उस क्षेत्र के लिए होगी बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये योगदान होगा। उस दृष्टि से तो हमें यह मांग करने की आवश्यकता थी, की भी गई, शायद केन्द्र ने न माना हो कि राजस्थान नहर का खर्चा अलग ही गिना जाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि वह वृद्धि इसमें शामिल हुई है। फिर भी सिंचाई योजनाओं के प्रति रुख

Page No.51

(श्री नारायणसिंह)

बताया गया है और धन—राशि रखी गई है उससे छोटे २ सिंचाई के साधन हैं, कुए अथवा छोटे २ तालाब, जो कि बे मरम्मत हो रहे हैं ऐसे छोटे तालाबों की संख्या तीस हजार से ऊपर के करीब कही जाती है। नाना प्रकार के जो इर्रिगेशन रूल्स हैं, जो कानून हैं, कहीं कहीं तो उनसे रूकावटें पैदा हो जाती हैं, उनमें कई प्रकार से हेर-फेर हो सकता है। इस प्रकार के तालाब जिनकी केपेसिटी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, वह केपेसिटी अन्न उत्पादन में प्राप्त हो सकती है। मैं इसका जिक्र किये बगैर रह नहीं सकता। इस तृतीय योजना के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जिक्र किया गया है, केन्द्र के जो रिर्न्स मामूली थे, उनमें से इनडाइरेक्ट रिटर्न और परोक्ष रिटर्न इन दोनों को साफ जाहिर कर दिया है जिसके अनुसार परोक्ष रिटर्न को ही हैड रिटर्न नहीं माना जायगा। आज हम जब कि बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्नति करना चाहते हैं, हम केवल मात्र राजस्व की आय को केवल रिटर्न द्वारा ही लेना शुरू रखें तो यह एक प्रकार से स्थिति पालकता रहेगी। सोइल कन्जर्वेशन के अन्तर्गत हम कितनी जमीन ले रहे हैं, हमारे यहां नीचे का जल है वह कितना बढ़ रहा है, कुओं का जल कितना ऊंचा आ रहा है, नई नई स्कीमों से अथवा और अन्य प्रकारों से किस प्रकार से जमीन की समृद्धि होती है उनका अनुकरण करके ही हमको रिटर्न का ख्याल करना चाहिये। मैं समझ नहीं पाता, केन्द्र का रूख इसके प्रति एक प्रकार से स्थितिपालक क्यों है ? जिसमें केवल राजस्व के रिटर्न को अनुमान लेकर माना जाय।

अब सिंचाई के बाद सीधा असर पड़ता है, सड़कों पर। यातायात के साधन हमें पूरी तरह से विकसित करने पडेंगे। कई स्थान इस प्रकार के हैं, ग्रामीण क्षेत्र कई इस प्रकार के हैं, जहां हमें औद्योगिक विकेन्द्रीकरण करना है। सभी जगह उद्योगों का प्रसार करना है, सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, वहां हमें औद्योगिक दृष्टि से वहां के यातायात साधनों की सुलभता देनी पड़ेगी। इसके बारे में मेरी अपनी ढंग की विचार—शैली है उसके अनुसार मैं समझता हूँ, सड़कों, बिल्डिंग इत्यादि पर कुछ नियन्त्रण लगाने के पक्ष में हूं और बुनियादी उत्पादक क्षेत्र है उस तरफ मैं ज्यादा रुख अख्त्यार करता हूँ। इकोनोमिक सिद्धान्त की दृष्टि से इसको पेइंग बनाना ज्यादा ठीक है। इस दृष्टि से इसमें कटौती भी लानी पड़े तो नजर अन्दाज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा क्षेत्र नजर अन्दाज नहीं कर सकते जहां पर जनता के जीवन—स्तर को बढ़ाना आवश्यक होता है।

अब मैं, शिक्षा के क्षेत्र में आता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे प्लान फ्रेम में ४७.५० करोड़ था वहां घटकर १७.५० सामान्य प्राविधिक शिक्षा पर आता है। अब इस विषय में कई प्रकार के डिपार्टमेन्टल प्रस्ताव भी रहे होंगे। उसके साथ साथ कई दूसरी योजनागत कमेटियों द्वारा भी इस पर अपने विचार रखे हैं और मैं मानता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में कई ऐसी चीजें रह जाती हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं नहीं कहता कि सीमित साधनों के देखते हुए हम शिक्षा के क्षेत्र में इससे कहीं अधिक बढ़ोत्तरी कर सकते हैं, सिवाय थोड़े बहुत आंकड़ों के हेर फेर के। मैं यह मानता हूँ कि हमारे लिये

(श्री नारायणसिंह)

तकनिकी शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। तृतीय योजना-काल में हमें कई प्रकार के टैक्निकल पर्सोनल खड़े करने की समस्या हमारे सामने आयगी। ऐसी हालत में हमें तकनिकी शिक्षा का प्रसारण करना पड़ेगा।

इसके साथ साथ हम सामान्य शिक्षा में, जो बुनियादी शिक्षण हैं, उसकी तरफ भी अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इसलिये मैं अधिक जोर के साथ कहूँगा, क्योंकि यह संवैधनिक धर्म बन गया है न केवल लकीर की फकीरी करनी है। राजस्थान को इसमें एक विशेष भूमिका अपनानी है। हमने अपने यहां विकेन्द्रित प्रजातंत्र व्यवस्था स्थापित की है और ऐसी जनतंत्री व्यवस्था जब हमने गांव गांव तक प्रसारित कर दी, जिस जनतन्त्र के अन्दर जो सहयोग देने वाले व्यक्ति चुनकर आयेंगे, जो चुनाव होंगे हम उसमें इतने जागरूक होंगे वहां हमारी आज की शैली दूसरी बातों से सन्तुष्ट नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है बुनियादी शिक्षा की। इसलिये हमें बुनियादी शिक्षा को गौण मानकर नहीं चलना चाहिये। इसके अलावा, मैं दो—चार बातों को और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी टैक्स्ट बुक्स के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है उसमें सुधार की आवश्यकता है। टैक्स्ट बुक्स के लिये एक कमेटी जरूर बनी हुई है उसमें हमें ऐसी नीति का समावेश करना होगा जिससे जो वास्तविक रूप से बुनियादी शिक्षा के आचार्य हैं, जो उसमें समझते हैं, जो बच्चों के मनोवैज्ञानिक ढंग को समझते हों, भाषा और लिपि विज्ञान को जो समझते हों, ऐसे विद्वनों को लेकर हमें इस शिक्षा के स्वरूप में बदल करनी होगी। कल ही एक प्रस्ताव पर बहस चल रही थी जिसमें धार्मिक शिक्षा के प्रसारण का सवाल था। नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये धार्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता समझी जा रही थी। उस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा था लेकिन मेरी यह मान्यता है कि इस पर अलग तौर से विचार किये बिना ही ठोस और मनोतात्विक विधि से, जैसी स्थिति हो उसी के अनुकूल उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा पुस्तकों के बनवाने से ज्यादा उपयोगिता साबित हो सकती है। उसमें ऐसी स्थिति नहीं रखनी होगी जिस किसी ने किसी भी प्रकार की पुस्तक लिख दी और सिफारिश पर कमेटी ने उसको मन्जूर कर दिया। इसके लिये हमें मनोवैज्ञानिक बोर्ड बनाना होगा जो इन चीजों पर पूरी तरह से हिस्ट्री, जोग्राफी लैंग्वेज़ इत्यादि में किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो, विचार कर सके ?

इसके साथ साथ, मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता नीचे की शिक्षा के लिये गाइडेन्स सर्विस की बहुत आवश्यकता है। वोकेशनल गाइडेन्स सर्विसेज़ के लिये कुछ प्रस्ताव संकलन में नजर आते हैं वह सब गाइडेन्स सर्विसेज उच्च शिक्षा के लिये इंगित हैं। मैं यह चाहता हूं कि नीचे की शिक्षा के लिये कोई गाइडेन्स सर्विसेज का प्रावधान नजर नहीं आता है। इस दृष्टि से कहना चाहूंगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और भाषा इत्यादि के विषय में एक प्रकार की गाइडेन्स सर्विसेज़ जैसी दूसरे देशों में चलती हैं, युनाइटेड किंगडम में है वैसी हमारे यहां भी होनी चाहिये ताकि पाठकों को इस बात की गाइडेन्स दे सके। केवल पाठकों को ही नहीं, पाठ्य पुस्तकों के संकलन में सामान्य तौर

(श्री नारायणसिंह)

से गाइडेन्स दे सकें, इसकी नितान्त आवश्यकता है। किस प्रकार की पुस्तकें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेंग्वेज आदि समस्या पर होनी चाहिये। उनका किस प्रकार से पठन होना चाहिये, इन बातों के लिये गाइडेन्स सर्विसेज़ की आवश्यकता है। इसके लिये इन्स्पेक्टोरेट है, यह कहा जा सकता है, लेकिन मेरा इस बारे में निवेदन है कि इससे काम नहीं चलने का।

अब मैं, आयुर्वेद के विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आयुर्वेद के जो बड़े भारी पक्षपाती हैं जिनको आयुर्वेद की जानकारी है, उन्होंने इस पर काफी बातें कही हैं। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि जहां एक करोड़ ४६ लाख की धनराशि मूल प्रस्ताव में प्लॉन फ्रेम में रखी थी उसके बजाय ७० लाख रखी गई। मैं एलोपैथी और आयुर्वेद की होड़ को लाना नहीं चाहता। पर आयुर्वेद में बुनियादी चीज़ जरूर है जो शायद एलोपैथी में नहीं है। वास्तव में आयुर्वेद और यूनानी इत्यादि पद्धतियां स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनकी बुनियाद पर आज ऐलोपैथी बनी है कई सदियों में जाकर और जब से मानव समाज कैमिकल्स का मिलन करने लगा चाहे कौतुहल से या किसी वजह से और उनसे कुछ चीजें उत्पन्न करने लगा तब से इसकी तरफ भी रुचि बढ़ी होगी और तब से यह औषधि शास्त्र निकला होगा। इस दृष्टि से हिन्दुस्तान और आयुर्वेद कहां ठहरता है? इजिप्ट से प्रसारित हुआ या कहां से? इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। पर यह मानना होगा कि आयुर्वेद आदि स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां का एलोपैथी ऊपर का आकार है। यदि इसमें मौलिक वस्तुओं की खोज इत्यादि होकर इसे आगे बढ़ाया जाय तो इससे एलोपैथी को नुकसान नहीं होगा। इससे तो समृद्धि आवेगी और राजस्थान सरकार इस विषय में पूरा गौर करे और फिर न केवल फैकल्टी यूनीवर्सिटी में स्थापित करेगी जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों की राय थी, बल्कि यह भी सरकार प्रयास करेगी कि बाकायदा रिसर्च होकर आयुर्वेद की सारी चिकित्सा पद्धति को विश्लेषण करके कौनसी वनस्पतियों और चिकित्सा विधियां लाई जा सकती हैं जो ऐलोपैथी में न हों। आयुर्वेद में, कहा जाता है कि पहले हेतु की तरफ ध्यान दिया जाता है और व्याधि पर दूसरा। जहां एलोपैथी में और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में हेतु की बजाय पहले सदा व्याधि की तरफ ध्यान दिया जाता है।

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा के कागज़ कुछ दूर उड़ जाने पर उनके द्वारा स्वयं उनके पास जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष : You could have utilised the other measure to get it.

राव श्री नारायणसिंह: मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा विधियां हैं और उनकी तरफ जो रुख है उसका ज्यादा विश्लेषण होता है और कुछ उसमें से निष्कर्ष निकलता है तो डरने की आवश्यकता नहीं।

और यह भी जो फौरन एक्सचेन्ज के कारण हम ऐलोपैथी मैडीसिन को उपलब्ध

(श्री नारायणसिंह)

साधारण जनता को कराने में कठिनाई अनुभव करते हैं, हर जगह ऐलोपैथी चिकित्सा चला नहीं सकते, वहां यह जरूर कर सकते हैं कि जो स्थानीय वैद्य इत्यादि हैं जिनको थोड़ा बहुत आयुर्वेद पद्धति का ज्ञान है, उनको एक पाश में बांध कर अनुदान दें और जन साधारण के लिये उपलब्ध कराए । इस दृष्टि से जो औषधियां आयुर्वेद के द्वारा बनेंगी वे भी स्थानीय होंगी और इसके लिये फौरिन एक्सचेन्ज की अड़चन नहीं आवेगी। तो इस दृष्टि से आयुर्वेद की प्रगति की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कुछ मूल तथ्य हमारे सामने आते हैं।

इसके अलावा जो खास बात हमारे सामने आज इन प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए आती है वह है, जो योजनाओं के लिये बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी ओर हमारा ध्यान जावे। यह आवश्यकता मैं समझता हूँ प्रथम तो सांख्यिकी है। स्टेटिस्टिक्स हमारे माकूल होने चाहिये। सर्वेक्षण हर चीज का हर प्रकार का होना चाहिये। इन्डस्ट्रीज़ का, पॉवर का मिनरल का और इसी तरह विभिन्न प्रकार का सर्वेक्षण हमारा पूरा हो तब हम सन्तुलित दृष्टिकोण विकास की ओर दे सकते हैं और सही प्रकार को स्कीमें आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरी आवश्यकता, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारे प्रशासन की शुद्धता है, तीसरी साधनों की उपलब्धि।

पहली सांख्यिकी और सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां इसके लिये एक बड़ा भारी विभाग अलग से होते हुए भी हम इसमें काफी पिछड़े हुए हैं। इसके लिये हमारा प्राक्कलन समिति का जो बीसवां प्रतिवेदन आया है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें बहुत ही विषद् प्रकार से सांख्यिकी खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें पहली बात बताई है गजेटेड अफसरों और फील्ड स्टाफ के अनुपात के बारे में। इसमें उसने दूसरे राज्यों के साथ भी तुलना की है और यह बताया है कि हमारा फील्ड स्टाफ का गजेटेड स्टाफ के साथ २३.३ प्रतिशत आता है और इसके लिये एतराज किया है कि इतना बड़ा गजटेड स्टाफ क्यों है, जबकि दूसरी स्टेटों में पश्चिमी बंगाल का नाम देकर बताया गया है कि वहां रेश्यो ५.८ प्रतिशत है और इसी प्रकार और राज्यों में है। अब इतना बड़ा अनुपात आने में यहां यह दलील दी जाती है कि हमारे यहां जन संख्या कम है इसलिये यहां फील्ड स्टॉफ की यहां उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पश्चिमी बंगाल में। मैं समझता हूँ कि यदि–जनसंख्या के आधार पर फील्ड स्टाफ की कमी की तरफ आप ध्यान ले जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि गजटेड अफसरों की इतनी अधिक संख्या क्यों है ? इसी अनुपात से इनकी संख्या को क्यों नहीं कम किया जाता। कहावत है, "Too many cooks spoil the broth."

तो यह दशा भी हमारे सामने आ सकती है।

इसके अलावा समिति ने अपने विचार जो इस विभाग के बारे में और व्यक्त किये हैं और जो त्रुटियां बताई हैं उनको यहां उद्धृत करके उपस्थित करना चाहता हूँ : "price index, cost of living index etc."

Page No.55

(श्री नारायणसिंह)

यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली अथवा प्रसारित की जाने वाली अधिकांश सूचनाएं ऐसी हैं जिन्हें यह विभाग अलग अलग सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करता है इनमें से नमूने के तौर पर समिति ने यह जानना चाहा कि सरकारी सेवा योजना के सम्बन्ध में विभाग ने क्या प्राथमिक आधार भूत सामग्री संग्रहीत की। समिति को बताया गया कि कई विभागों से सूचना न आने के कारण इस संकलन का काम रुका हुआ है। यह सूचना सितम्बर, १९५९ तक जिन विभागों से प्राप्त नहीं हुई थी, उनमें कई बड़े बड़े विभाग भी हैं तथा सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ), सार्वजनिक सम्पर्क, राजकीय सचिवालय, यातायात, पंचायत, श्रम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि और इनमें से कई विभागों में स्वतन्त्र सांख्यिकीय संगठन भी विद्यमान हैं, जिनके होते हुए अपेक्षित सूचना नहीं भेजा जाना विशेष रूप से खेदजनक है।

इसके अलावा भी आगे जाकर यह स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ऐसी सांख्यिकी व्यवस्थाओं में जो दृष्टिकोण रखा जावे यह साधारण रुटीन न माना जाय बल्कि उसे विशेष महत्व दिया जाय। जैसे जनगणना, चुनाव आदि अन्य विशेष अभियानों को दिया जाता है। और इसके बाद सबसे बड़ी त्रुटि बताई कि इन इन बातों में तो हमारा स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद की बहुत ही ढीली है। पहिला उन्होंने बताया है :

"(१) पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित अलग अलग परियोजनाओं के सम्बन्ध में तथा सम्पूर्ण योजना के सम्बन्ध में समय समय पर प्रगति के विवरण तैयार करना और उन्हें आयोजन अधिकारियों प्रस्तुत करना।"

अब यह भी बुनियादी बात आती है। दूसरी बात है :

"(२) विभिन्न विकास योजनाओं आदि का जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा इसका वार्षिक विश्लेषण करना।"

और तीसरी :

"(३) जिला स्तर पर अन्य विभागों की सांख्यिकीय प्रवृत्तियों का समन्वय करना।

इन तीन तथ्यों की ओर और इंगित किया कि इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है।

इसके अलावा उन्होंने पांचवीं बात यह बताई कि होलसेल प्राइसेज़, इन्डेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग और पैरिटी इत्यादि के विषय में और गृह-निर्माण की लागत का भारावस्ठन (वैटेज) कृषि उत्पादन देशनांक आदि इन विषयों में कहीं तो उनकी स्टेटिस्टिक्स उपलब्ध ही नहीं है और कहीं वह बन रही है या कहीं राज्य सरकार से वे मन्जूर ही नहीं हुई हैं अथवा केन्द्रीय सरकार से वह स्वीकृत नहीं हुई हैं।

और अन्त में जाकर उन्होंने यह भी बताया कि त्रैमासिक सार में बुलियन की कीमतों के साप्ताहिक औसत के लिये शुक्रवार को चुना गया है जब कि इस दिन भुगतान

(श्री नारायणसिंह)

का दिन होने से भाव बहुत कम होते हैं । अतः उसके आधार पर सही स्थिति का ज्ञान नहीं होता । समिति को यह भी बताया गया कि फसलों के पूर्वानुमान (फोरकास्ट) के आंकड़े राजस्व विभाग द्वारा संकलित किए जाकर सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं जब कि यह कार्य स्वयं इसी विभाग से किया जाना चाहिये, इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है । समिति चाहती है कि इस पर शीघ्र निर्णय लिया जावे ।

तो इन बातों को उन्होंने खास तौर से आगे लाकर हमें बताया । वास्तव में हमारी कृषि के मामले में जो सांख्यिक आंकड़े हैं और जो व्यवस्था है वह केवल राजस्व के ऊपर है और राजस्व के जो नीचे के अधिकारी गिरदावर और पटवारी इत्यादि हैं, जो सांख्यिक व्यवस्था की जो बारीकियां हैं उसको वे नहीं समझ पाते हैं । मैंने इस विषय में पहले भी जिक्र किया था कि हमारी जो गिरदावरियां होती हैं वे गिरदावरी क्षेत्र-फल की गिरदावरी ही केवलमात्र होकर रह जाती है न कि माल की गिरदावरी और उस माल की गिरदावरी की कमी के कारण जो माल का अंकन प्रति एकड़ होता है या तो जो सेम्पल सर्वे के हिसाब से कहीं सेम्पल सर्वे होगा उसके आधार पर हो जाता है अथवा हमारे पूर्व निर्धारित प्रमाण बन जाते हैं कि जैसे एक सिंचाई का कुआ खुद गया तो ५ मन अधिक उपज उसमें होगी, अथवा एक उन्नत तरीके का खाद पड़ गया तो २ मन और उपज बढ़ गई, उन्नत बीज पड़ गया। तो २ मन और उपज बढ़ गई और इसी के आधार पर प्रति एकड़ उपज को अंकित करके हमारे आंकड़ों में चढ़ा देते हैं । वास्तव में देखा जाये तो कहीं कुआं बना या नहीं या कुआ बन कर उतना लाभ दे पाया या नहीं। जो कैमीकल खाद दिया गया उससे उस जमीन में जैसे बराबर शिकायत आती है कि वहां वह जमीन ठोस बन गई, डगले बन गए और वह उपयोगी हुई या नहीं उसका समावेश वहां के खाद से कितना होना चाहिए, इसका क्या परिणाम हुआ, उन्नत बीज समय पर प्राप्त हुआ या नहीं, ये सब देखने की चीजें होती हैं ।

केवल ये आंकड़े हैं कि इतना उन्नत बीज हमने बांट दिया । तो इस बने बनाये आधार पर उपज की पैदावार को बढ़ी हुई मान लें तो हम खुद ही ख्याल कर सकते हैं कि वह उपज की बढ़ोतरी का आंकड़ा कितना सही और गलत हो सकता है ? मुझे अभी अभी इस विषय में कुछ यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे यहां पर २॥ लाख मन फर्टीलाइज़र आया लेकिन उसमें से केवल ११ प्रतिशत ही उपयोग में आया । इसका कारण मैं यह नहीं कह सकता कि हमारी वितरण व्यवस्था में कमी रही, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का फर्टीलाइज़र हमारे यहां आ रहा है, उन्नत बीज का भी यही प्रश्न है वह जनसाधारण में पोपुलर हुआ या नहीं, जनसाधारण को इस बात की तसल्ली भी है या नहीं कि वह फर्टीलाइज़र कारगर होगा या नहीं जो, जनसाधारण की अनजानकारी है उस पर बल नहीं देते हैं, जो साधारण कृषक है वह समझता है कि किस प्रकार की भूमि में फसल अच्छी होगी और उसके भी अनुभव का समावेश हमें करना है ।

(श्री नारायणसिंह)

कई प्रकार के सेमिनार्स ब्लॉक लेवल पर होते हैं, लेकिन उनमें इस बात पर विचार नहीं होता; केवल सत्यनारायण की कथा के मानिन्द कुछ कृषि विशेषज्ञ, कुछ कृषि अधिकारी आ कर अपना भाषण दे देते हैं, लेकिन कृषकों की दिक्कतें क्या हैं, उससे क्या लाभ और हानि हुई, इसके बारे में बहुत कम जानकारी की जाती है और की भी जाती है तो उसको केवल उन प्रोसीडिंग्स में रख लिया जाता है और उससे सन्तोष मान लिया जाता है। लेकिन वास्तव में हमें यह जानकारी करनी चाहिए कि हम अगर किसी प्रकार का खाद दे रहे हैं, उसके अन्दर विशेष प्रकार की भूमि में क्या असर हुआ है और वहां के जो दूसरे स्थानीय खाद हैं उनके साथ मिश्रण करने से उसका क्या उपयोग हो सकता है और वह मिश्रण कितना और कहां होना चाहिए, इसकी जानकारी आज भी उपलब्ध नहीं है और इसी कारण हम देखते हैं कि यद्यपि हमारे बीज बांटने के, खाद बांटने के और दूसरे आंकड़े बहुत लम्बे-चौड़े हैं लेकिन फिर भी प्रति एकड़ उपज में कमी होती जा रही है। अब सवाल यह आता है कि कृषि का एरिया तो बढ़ा। मैं कृषि के एरिया के बढ़ने के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। हमारी सिंचाई योजनाओं का सब का उल्लेख हम लें तो मैं अलग अलग सिंचाई योजना पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि सिंचाई योजनाओं से जितना एकरेज पैदावार बढ़ने का अनुमान है, हमारे ही आंकड़े बताते हैं, उससे १।३ कम रहा है, तो कहीं उससे भी अधिक कम रहा है। तो रिटर्न का जहां सवाल बुनियादी है और जिसे हम जोरों से पकड़ कर बैठ जाते हैं, वहां पता नहीं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सिंचाई की योजनाओं में इतनी कमी आती है तो उसका विश्लेषण और खोज की जानी चाहिए। यदि आज एकरेज बढ़ा है तो उसके साथ ही साथ जो हमारी २.६५ प्रतिशत आबादी की बढ़ोत्तरी हमारे यहां हुई है उसको भी सामने रखना पड़ेगा कि आबादी बढ़ोतरी जितनी हो रही है, जिस अनुपात से शहरों से अधिक गांवों में हुई है उसको देखते हुए यदि कृषि की उपज बढ़ गई तो उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। हम यदि आबादी के आंकड़ों को कृषि के उत्पादन के आंकड़ों से मिलायें और प्रति व्यक्ति जो सीरियल्स और दालें इत्यादि उपयोग में आकर जितनी केलोरीज़ पहुँचनी चहिए उसका अनुमान लगायें तो प्रति व्यक्ति केलोरीज़ देने के अनुमान में बहुत पिछड़े हुए शायद नजर आयें। तो वास्तव में यदि इसकी अंकन व्यवस्था हो तो हमें सही सही चीज मालूम हो सकती है कि कितने हम स्वावलम्बी हुए और कितना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। न केवल यही; बल्कि आपने कहा कि हमने ८ के बजाय १२ लाख मन अधिक अन्न का उत्पादन कर दिया। अब इतना उत्पादन बढ़ने के बाद भी हम देखते हैं कि अमेरिका से जो धान आ रहा है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है अथवा खास कमी नहीं होती है। इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य के आंकड़ों से जो वृद्धि हुई उन आंकड़ों में कहीं न कहीं ढिलाई है और उनके सही निरूपण में प्रति व्यक्ति रिलेशन-शिप में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए बढ़ोतरी होते हुए भी हमें कमी नजर आती है। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि आबादी हमारी सारे देश की बढ़ रही है और उत्पादन जो बढ़ रहा है वह आबादी

(श्री नारायणसिंह)

के बढ़ने के साथ कदम मिला सकता है या नहीं, यह बात अलग है और उस बात से हमारी जमीन की क्षमता को मापा जाये वह भी अलग है; लेकिन जितनी जमीन को हमने अपने काबू में ले लिया और उसके तत्व को हम समझना चाहते हैं उस बढ़ती हुई आबादी के उपयोग से उसकी तरफ भी हमें आज दृष्टि रखनी पड़ेगी कि वास्तव में जितना एकरेज बढ़ा है, सिंचाई के द्वारा या दूसरे साधनों के द्वारा! वह प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से जो उत्पादन हो रहा है वह बराबर पड़ता है या नहीं। इस बात पर खास ध्यान देना है और यही जो हमारी अंकन व्यवस्था है उसकी शिथिलता हमारे सामने आती है।

मैं इसके आगे एक बात उद्योग के विषय में कहना चाहता हूं। हमारी धन राशि उद्योगों के विकास में काफी रखी गई है। कुछ कमी भी की गई है, जो मैं पहले कह चुका हूं लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह नहीं कहता कि सारे भारतवर्ष की भूमिका में हमें जो विभिन्न मदों में जितनी धन राशि मिलेगी उससे अधिक मिल जाये। इतना लोभ हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी मिले उसका हम पूरे पूरे प्रकार से उपयोग कर सकें, यह हमारी जागरुकता रहनी चाहिए, यह हमारी चिन्ता रहनी चाहिए और उसी दृष्टि से आज कई इकॉनमिक सर्वेज़ इत्यादि की भी रिपोर्टें हैं और दूसरी है कि जिनसे यह मालूम पड़ता है कि राजस्थान में माइन्स और मिनरल्स में काफी प्रगति हो सकती है और ये साधन के बड़े भारी श्रोत बन सकते हैं। इस विषय में मुझे इस बात पर तो संतोष है कि कई जो मिनरल्स हैं उन पर रिसर्चेज़ हो रही हैं और उनमें कुछ उल्लेखनीय हैं, जैसे बेकूलाइट, ग्रेफाइट और ग्रेग्रीन। इनके विषय में रिसर्चेज़ कुछ आगे बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर मुझे अजमेर की भूमिका याद आ जाती है। अजमेर के चारों ओर जिस प्रकार से राजस्थान में मेवाड़ आदि दूसरी जगहों पर काफी मिनरल्स का खजाना है उसी प्रकार से अजमेर में इनका खजाना है। चाइना क्ले, पाल्सपर खारवा और सेंदड़ा और अजमेर के आसपास के स्थान पर काफी मिलती है और इसके साथ साथ जो हाई ग्रेड केल्शियम ब्यावर के पास काफी मात्रा में उपलब्ध है। इन सब बातों को देखते हुए यदि अजमेर में जो आगामी योजना के साथ अगर विद्युत् शक्ति को ज्यादा प्राप्त कर सकें तो इन उद्योगों के लिए और ग्रामीण जनता के लिए भी तो मैं समझता हूँ कि जो माइन्स से होने वाले उद्योग हैं वे बखूबी वहां पर पनप सकते हैं। इस विषय में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सेरेमिक इन्डस्ट्री के लिए अजमेर में काफी स्कोप है और उसके लिए मेरी जानकारी में आया है कि बिड़लाजी भी काफी तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे पंचवर्षीय योजना में अजमेर के नगर के विकास के दृष्टिकोण से और उस पर सम्बद्ध सारे राजस्थान का विकास है उस दृष्टिकोण से यदि सेरेमिक इन्डस्ट्री की ओर राजस्थान सरकार अजमेर में कदम उठायेगी तो बड़ा ही लाभप्रद होगा और उसके साथ साथ जो खानें हैं उनके आधार पर यदि मैं मेग्नासाइट ब्रिक्स, इनकी एक रिफ्रेक्टरी ब्यावर में स्थापित हो सकती है जिसके लिए रॉ मेटीरियल वहां चार है और काफी है। तो

(श्री नारायणसिंह)

वह ब्यावर की वृद्धि के लिए काफी उपादेय हो सकता है। इस बारे में, मैं आगे कहूँगा कि मेगनासाइट ब्रिक्स कई एक धन्धों के लिए काम में आ सकती हैं, जैसे जिन्क स्मेल्टर, आयरन और स्मेल्टर, लो शेफ्ट इत्यादि. इस प्रकार की जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनमें वह काम में आ सकती है। मेरी यह भी जानकारी है कि ऐसी इन्डस्ट्रीज़ के लिए ईश्वर इन्डस्ट्रीज़, ईश्वर नगर, दिल्ली, इसमें काफी इन्ट्रेस्टेड हैं। तो इन इन्डस्ट्रीज़ को तृतीय पंचवर्षीय योजना में अजमेर में दूसरी चीजों के साथ कर सकते हैं। वह केवल अजमेर की समृद्धि की बात नहीं होगी, और दूसरी चीज़ भी होगी। अजमेर में इतने पोटेन्शिल मिनरल रिसोर्सेज़ हैं कि कई इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं। तो इसमें ताज्जुब नहीं है कि विभिन्न स्थानों पर, जैसे मेवाड़ आदि में कहीं भी खोज की जाय, रिसर्च की जाय तो मिनरल डिपॉज़िट्स इतने ब्रॉड साधन के मार्ग बन सकते हैं जिससे हम हमारी कमी को काफी पूरा कर सकते हैं।

अब मैं यहां पर कुछ रिसोर्सेज़ के विषय पर निवेदन करना चाहूँगा और रिसोर्सेज़ के विषय में तो जो हमारे सामने इन प्रस्तावित प्रस्तावों के आंकड़े आये हैं उनमें राजस्थान में जहां आसाम राज्य का योग सारे अर्थ में एक है वहां केन्द्र का योग ३.६३ है, जम्मू काश्मीर में १: ४.७७ का रेश्यो आता है। मध्य प्रदेश में १: २.३२ उड़ीसा में १:४.७५, उत्तर प्रदेश में १: २.३१ और राजस्थान में १: १.६५ का रेश्यो आता है। इस दृष्टि से तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि राजस्थान अपने साधनों में इतना स्वावलम्बी है और इतना समृद्ध है कि १: १.६५ का रेश्यो राजस्थान और केन्द्रीय सरकार की अर्थ व्यवस्था और अनुदान का आता है, जहां कि उत्तर प्रदेश का १: २.३१ आता है। तो इस दृष्टि से हम टीक जमते नहीं हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी भी आवश्यकता उत्पन्न होती है कि राजस्थान की आज की आबादी के हिसाब से केन्द्र इतना कम दे रहा है। अब यदि कम देने की बात आती है तो केन्द्र कम दे रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले में, क्योंकि हमारी आबादी कम है या और बात है, तो हमारे लिए यह तथ्य विचारणीय हो जाता है। लेकिन यदि वहां से हम कम ले रहे हैं, यह देने और लेने का सवाल है, वहां से यदि हम ले रहे हैं तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हमने हमारे साधनों को इतना समृद्ध किया है जिससे कि हम कम लेने की अवस्था में हैं।

अब हमारे साधनों के लिए कई चेनल्स हमारे सामने मौजूद हैं, और उनको मैं थोड़ा सा गिना दूं तो टैक्सेशन, लैण्ड रेवेन्यू, स्टेट ट्रेडिंग, एक्यूरेट बजेटिंग और किफायत, ये पांच चीजें हमारे साधनों को समृद्ध कर सकती हैं. इसमें खास तौर से टैक्सेशन के विषय में मैं पहले भी कह चुका हूं। हमारे प्रति व्यक्ति खर्चे के जो आंकड़े मैंने पहले बताये थे उसका टैक्सेशन का प्रति व्यक्ति २ प्वाइन्ट पर जाता है। इस विषय पर आज हमें गहन रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने जो निर्धारित किया है एक लक्ष्य कि २० करोड़ की धन राशि अमुक टैक्सेशन के द्वारा उपलब्ध करेंगे; उसमें कोई

(श्री नारायणसिंह)

कमी करें। इसका वास्तव में यदि एक प्रगतिशील योजना की तरफ कदम उठाना है तो हम टैक्सेशन पर संकुचित नहीं हो सकते। लेकिन वास्तव में जो विचार करने की बात है वह यह है कि हमारी टैक्सेशन पद्धति इस प्रकार की है जिससे जो कुछ भी इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ हम लगावें, सेल्स टैक्स इत्यादि की मदों से जो कुछ टैक्सेज़ हम लगावें उन टैक्सेज़ का विभिन्न मामलों में विभिन्न खपतकारकों पर, इन्डस्ट्रियल खपतकारक हैं, एग्रीकल्चरल लेबर है, मिडल क्लास खपतकार पर, माइन्स वर्कर्स हैं, अन एम्प्लॉयड खपतकार हैं; इन विभिन्न प्रकार के खपतकारकों पर इन टैक्सेशन की कौन सी चीज़ का कितना इन्सीडेन्स बढ़ा है अथवा लागतार आल टैक्सेशन का क्या इन्सीडेन्स बढ़ा है, इसकी भी हमें पूरी जानकारी करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर इस बात की चेतावनी देना चाहूँगा कि हम कई २ माने हुए प्रतिमानों पर ही चले जा रहे है और यह हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारे राज्य का यदि ६ प्रतिशत प्रति व्यक्ति प्रति मास टैक्सेशन है उसका हम ६ प्रतिशत ही कर पाये हैं: तो ३ पर्सेन्ट और बढ़ा देते हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहूँगा कि टैक्सेशन को ही अगर ले लेते हैं तो राज्य की आवश्यकता में कमी करते हैं या टैक्सेशन के बाहर भी कुछ चीजें हैं, जिनका इन्सीडेन्स भी हमें मालूम करना है ? नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू भी है....

श्री नारायणसिंह : मैं सुन नहीं पाया, उपाध्यक्ष महोदय।

खैर, मैं इस बात को सुन नहीं पाया....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं समझा दूं, माननीय सदस्य समझे नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माइक को सीधा कर लीजिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : 'जी हां', कर लेता हूँ। आप समझते हैं कि टैक्सेशन रेवेन्यू के अलावा भी है जो कि बजट का अंग है। राज्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम जनता से टैक्सेशन के अलावा भी एक चीज़ लेते हैं, वह बजट के फीगर बताते हैं और नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू कहलाती है। आप उसको समझते हैं या नहीं। आप इसको समझते हैं या नहीं, श्रमदान क्यों कहलाता है ?

श्री नारायणसिंह : मैं माननीय सदस्य से समादरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं इस तथ्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अभी तो शुरुआत है।

श्री नारायणसिंह : आज हमें केवल टैक्सेशन का विश्लेषण नहीं करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक इन्क्वायरी बैठानी चाहिये या कमीशन या जांच कमेटी बनानी चाहिये जो इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ तथा नॉन टैक्स हैं उनके इन्सीडेन्स

Page No.61

(श्री नारायणसिंह)

का पता लगा सके और आंकड़े हमारे वित्त विभाग के सामने रख सके जिससे हमारी जो कुछ वित्तीय पॉलिसीज़ हैं, फाइनेन्शियल पोलिसीज़ हैं, जिन्हें एक ढंग से न बना लें; बल्कि पूरा करने को अग्रसर हों, सारे इन्सिडेन्स का विश्लेषण करके इस्सीडेन्स बता दे। इस तरह से बढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ और भी बढ जायेगा।

मैं दो बातें इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ। एक तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बारे में विचार आया था कि लैंड रेवेन्यू के बजाय केन्द्रीय मन्त्री ने कहा था कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को प्रस्तावित किया जा सकता है। हम सीधे तौर से कहें तो काफी नहीं होगा। हमको जांच करनी होगी। लैंड रेवेन्यू से आमदनी होती है उसके बजाय यदि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लेना शुरू करते हैं तो किस स्तर से शुरू हो और उससे क्या आमदनी होगी ? यह तो मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स साइन्टिफिक है। लेकिन इसको केवल एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स कहने के बजाय यदि हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर तो वैज्ञानिक अधिक होगा। प्राप्त आंकड़े होंगे उसके ऊपर निर्देश किया जायेगा। इस बात की जांच करनी चाहिये कि लैंड रेवेन्यू इस प्रकार के उत्पादन कर से ऑल्टरनेट हो सकती है या नहीं।

इसके अलावा जो दूसरी बात मैं कह रहा था वह है इन्डस्ट्रियल सेस के बारे में। हम डेवलपमेंट लेवी लगाते हैं। डेवलपमेंट से जो समृद्धि हुई है उसकी भूमिका में लेवी लगावें और इसको मैं सही मानता हूँ। आज मैं कहता हूँ कि हमें जब कि समाजवादी समाज का निर्माण करना है तो दस लाख से ऊपर की जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उन पर या जो भी प्रामाणिक माना जायं उसकी वैज्ञानिक ढंग से सीमा लगाई जाय, उस प्रकार के इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स पर डेवलपमेन्ट सेस लगनी चाहिये और वह दूसरों के समानान्तर चले। मैं समझता हूँ इस दोनों परिवर्तनों से केवल राजकीय स्ट्रक्चर में मौलिक परिवर्तन आवेगा, क्रांतिकारी कदम उठावेंगे बल्कि इन्डस्ट्रियल जैसी चीज को लेकर राज्य के साधनों में समृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग की बात है। और भी कई प्रकार की बातें सामने आती हैं लेकिन समय की संकीर्णता से कुछ बातों की ओर ही इशारा ही करूंगा। जैसे स्टेट ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था है। इसके बारे में सदन में एतराज उठ रहा है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उन्हीं लाइसेन्स को प्राप्त करने में हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है तो उस अर्से तक रोके रख कर बसेज़ खाली जायं और जो भी दुर्व्यवस्थाएं जनरली बताई जाती हैं वे हल हों और ठीक तरह की व्यवस्था रखनी चाहिये, कॉम्पीटिटिव लाइन्स पर इसे लाना चाहिये। कई प्रकार की चीजें हैं जिनमें बन्दोबस्त की चीज आयेंगी। मैं कहूंगा अनेक विशेषज्ञ भी होंगे। आज हमारे पास सिविल सर्विस का केडर है, दूसरे भी केडर हैं, लेकिन इस प्रकार के इकॉनोमिक केडर्स नहीं हैं। बिज़नेस सर्विसेज़ का कोई केडर हो जिसका प्रमाणित पहलू हो, तभी इन्डस्ट्रियल अंडर-टेकिंग्स में वे व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से डाइरेक्टर बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। चाहे इन ऑफिसर्स में कोई ऐसा परिवर्तन लाया जाय

(श्री नारायणसिंह)

अथवा कॉर्पोरेशन पद्धति की तरफ हम जावें लेकिन कोई चीज बनानी पड़ेगी जिससे स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ में बिज़नेस लाइक एटिट्यूड आ सके ....

श्री उपाध्यक्ष : I wish you may please wind up.

श्री नारायणसिंह : तभी हमारे स्टेट अंडर्टेकिंग्ज़ समृद्ध हो सकते हैं। मैं अन्तिम बात उद्योग के बारे में कह कर समाप्त करता हूं। कुछ ऐसी बुनियादी चीजें उद्योग के लिये आवश्यक हैं; जैसे कोयला, सीमेन्ट आदि। अलग अलग प्रकार के व्यवसायों या उद्योगों के लिये वे जरूरी हैं। आज जो कोल कन्ट्रोल से गड़बड़ हो रही है वह हमें पूरी तरह से विदित है। कुछ तो सारे राष्ट्र के बीच में है, कुछ ऐसे बोटल नेक यातायात में आये हैं, कोयले का उत्पादन हुआ है लेकिन साथ ही साथ कोयला खान में पड़ा है लेकिन इतनी व्यवस्था वहां से उसको हटाने की नहीं है, हमारे पास वेगन्स नहीं है। आज राजस्थान में आंकड़े इस प्रकार के हैं कि राजस्थान को जो वेगन्स मिले हैं वे गत वर्ष से आधे हैं और इस आंकड़े मे तो कोयला प्राप्त होता है, लेकिन इसके अलावा जो लाइसेन्स आदि में शिथिलता है वह भी नहीं रहनी चाहिये। समय निकल जाता है, वेगन्स प्राप्त हो सकते हैं लेकिन देर से मिलते हैं तो कोयले के बारे में शिकायत होती है। इसलिये राजस्थान सरकार को कोयले की प्राप्ति के लिये नये प्रकार की व्यवस्था बनानी है, बना भी रही है। लेकिन सारे राज्य में कोयला लाने वाला एक ठेकेदार हो उसके बजाय मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होनी चाहिये जो कोयले का व्यापार करती हो या कोई एसोसियेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जो अधिक से अधिक जरूरत पूरी कर सके। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोयला, सीमेन्ट आदि दूसरी बुनियादी चीजें हैं उन पर कन्ट्रोल होने से उत्पादन पर कमी आती है तो बहुत बारीक दृष्टि से देखना पड़ेगा, पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सोच–विचार के बाद, काफी वाद-विवाद होकर हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई है। होना तो यह चाहिये था कि इसको हम और राज्यों के अनुसार कोई युनिफार्म पेटर्न नहीं फोलो करते; बल्कि राजस्थान की जो विशेष परिस्थितियां थीं उन पर ध्यान देते क्योंकि हम दो योजनाएं समाप्त कर चुके हैं और तीसरी योजना में पदार्पण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना चाहिये था कि कौनसी कमियां हैं जिनके कारण हमारा राज्य और राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कई एक ऐसे प्रश्न हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे ख्याल से और किसी दूसरे राज्य में नहीं हैं। जो राजस्थान के लिये विशेष समस्याएं हैं वह समस्या है पीने के पानी की है। आज राजस्थान का आधे भाग से अधिक भाग ऐसा है जिसमें लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं, उनको पानी उपलब्ध नहीं होता। करीब करीब साल में आठ महीने वे कहीं गड्ढे का पानी पीते हैं, कहीं खारा पानी पीते हैं; मवेशियों को पानी पिलाने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे लोग अधिक उत्सुकता के साथ आपकी योजनाओं की ओर आंखें फैला कर देख रहे थे। एक योजना आई और

(श्री रघुवीरसिंह)

(२.०० म. प.)

खत्म हो गई, दूसरी योजना आई और चली गई, अब तीसरी योजना आई है; कभी हमारी तरफ ध्यान जायेगा। मैं देखता हूँ तीसरी योजना में भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है और अगर कोई था, उपाध्यक्ष महोदय, तो चार करोड़ रुपये का प्रावधान था हमारी प्रस्तावित योजना में। लेकिन उनमें कटौती की गई है पचास प्रतिशत और अब दो करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जबकि पहले ग्राम जल प्रदाय के लिए चार करोड़ का प्रावधान था, २१२ करोड़ के बजट के अन्दर और अब २३६ करोड़ के बजट के अन्दर केवल दो करोड़ रुपये रखे गये, जब कि शहरी जल प्रदाय में ३.८० करोड़ का प्रावधान था, वह ५ करोड़ कर दिया गया है। यह समझ में नहीं बैठता कि ग्रामीणों के साथ, राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ और खास कर उस जनता के साथ ऐसा प्रेजुडिस क्यों बढ़ता जा रहा है, जो आज सहायता को अधिकारी है, जिसे सिम्पेथी चाहिए ? मैं निवेदन करूंगा कि आज आप उत्पादन की बात करते हैं, आप हमारी आय बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जिस वक्त जो व्यक्ति २४ घंटों में से १२ घंटे केवल इस प्रकार के काम पर खर्च करता है कि पीने के पानी को दस कोस, बारह कोस से लाकर, खींच कर घर में पहुँचाता है उसके बाद वह कौनसा उत्पादन कर सकता है, उसकी क्या आय बढ़ सकती है, किस प्रकार वह जिन्दा रह सकता है, यह विचारणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार और अपनी सरकार का भी कर्त्तव्य था कि इस प्रकार के काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती।

तो सबसे बड़ा प्रश्न है, वह है पानी का। दूसरे जो प्रश्न आते हैं, उनमें सबसे पहला प्रश्न पानी का आता है। जिन राजस्थानियों को जल प्राप्त नहीं होता, उनके स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की बात करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं तो वे लोग उत्पादन क्या बढ़ायेंगे जब उनको और उनके बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता, कपड़ा धोना और साफ रहना तो दूर की चीज है। मैं निवेदन करूंगा कि जब मैंने इस बात को देखा तो बड़ी भारी चुभन हुई, मैंने अनुभव किया कि यह क्या योजना है, इससे क्या भला होगा, जब कि राजस्थान के आधे लोग पानी के लिए तरसेंगे। जब राजस्थान के लिए आप कहें कि इतनी तरक्की हो गई, इतना उत्पादन हो गया तो उस तरक्की का, उस उत्पादन की वृद्धि का क्या परिणाम होगा, जब कि पिछले कई सालों से वर्षा हो रही है, उस स्थिति में भी पीने का पानी नहीं मिलता ? उस इलाके में फेमिन ईयर आये, वर्षा का अभाव हो जाय, तो वहां के लोग प्यासे मरें और हम देखेंगे कि आधे राजस्थान में उत्पादन बढ़ रहा है, तरक्की कर रहे हैं। उस तरक्की को वे लोग किस नजर से देखेंगे, उस उत्पादन पर किस तरह की नजर डालेंगे, क्या मुंह होगा उनको दिखाने के लिए, यह विचारणीय प्रश्न है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूँ कि इसमें अन्त में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति हमारी जो आय है वह २५६ से बढ़ कर २७८ रुपये हो जायेगी अर्थात् २२ रुपये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ अच्छा यह होता कि हम यह कम्पेयर करके दिखाते, कन्ट्रास्ट करके दिखाते कि इस

(श्री रघुवीरसिंह)

पीरियड में हमारा इन्डेक्स खर्च का क्या बढ़ा है, हमारे यहां मूल्य वृद्धि इस समय में कितनी हुई है, और राजस्थान में या भारतवर्ष में मंहगाई कितनी बढ़ी है। अगर उस मंहगाई का हम विचार करते हैं तो मैं यह देखता हूँ कि मंहगाई का विचार करते हुए हम दूसरी तरफ आय-वृद्धि की बात करते हैं तो मालूम होता है कि हम शायद माइनस में चले हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of information, Sir, माननीय सदस्य से मैं पूछूंगा कि यह प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स क्लास की है या आम है?

श्री रघुवीरसिंह : आम एवरेज दिया हुआ है। मैं नहीं कह सकता, कहां की है। राजकीय आय....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उसको पढ़ कर बतायें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : बोलिये।

श्री रघुवीरसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति २२ रुपये आय....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : गवर्नमेंट सर्वेन्ट क्लास को?

श्री रघुवीरसिंह : १.७२ प्रतिशत बढ़ाने को कहा गया है, उसके मुकाबले में मंहगाई के ऊपर दृष्टि डालें तो हमें पता लगेगा कि दोनों को बराबर नहीं रखा है। एक प्रचलित कहानी है कि कोई ठाकुर साहब टोटे में थे। उन्होंने कहा कि चलो दस-पांच दिन भोजन कर आवेंगे रिश्तेदारों में, थोड़ा घूम धाम आवेंगे। वे निकल गये, आठ-दस दिन घूम आये। जब आठवें दिन घर आये तो उन्होंने देखा कि घर में नौ मेहमान बैठे हैं। आते ही किसी ने पूछा कि कहो ठाकुर, कहां हो आये। उन्होंने कहा घर के घर पर रहे; बल्कि एक दिन फालतू रहे। वही स्थिति मैं देखता हूँ कि हमारे आय-वृद्धि की है। लेकिन हम देखते हैं, एक तरफ मंहगाई के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मालूम पड़ता है कि इसमें वृद्धि कुछ नहीं हुई, उल्टे घाटे में जा रहे हैं। इसलिए ठीक तो यह था, अगर हम देखते कि इस वृद्धि के साथ मंहगाई में फर्क पड़े। अगर कीमतें वही की वही ठहरी रहतीं तो हम समझते कि ठीक है, कुछ तरक्की की है, कुछ राहत मिली है; लेकिन जब देखते हैं कि मंहगाई उल्टे दुगुनी हो गई है उस स्थिति में आय वृद्धि २२ रुपये हो गई तो उससे लोगों का भला होने का नहीं है, उससे जनता को राहत मिलने की नहीं है, उससे व्यक्ति को सुख की नींद आने को नहीं है। जब हम मंहगाई की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे एक बात कहे बिना नहीं रहा जाता कि जिस नमक के लिए हमारे राष्ट्रपिता ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया, लाखों आदमी जेल गये और न जाने क्या हुआ, क्या न हुआ और वह सिर्फ इसलिए कि नमक जैसी चीज़ पर हिन्दुस्तान में कर लिया जा रहा है और नमक की कीमत बढ़ी हुई है। आज वही नमक अलवर के जिले में दस सेर का मिल रहा

(श्री रघुवीरसिंह)

है, जब कि दूसरी जगह सोलह सेर का था। पिछली साल सोलह सेर का था, इस साल अलवर जिले में दस सेर का नमक मिल रहा है। लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि वृद्धि का कारण क्या है ?

मैं आपको बताऊं कि अलवर के लिए ६५ गाड़ी का कोटा था। वह किसने घटाया, क्यों घटाया, यह पता नहीं, लेकिन वहां २० गाड़ी का कोटा रह गया। उसका परिणाम यह हुआ कि दस सेर का भाव चल रहा है। नीम के थाने, सीकर इत्यादि इत्यादि जगहों से ट्रक भर भर कर आते हैं और फिर अलवर में नमक उपलब्ध होता है। यह मंहगाई की हालत है ! नमक जैसी चीज़, जो ईश्वरीय चीज़ है, जिसमें उत्पादन का प्रश्न नहीं, राजस्थान में झील है, उससे लाखों मन नमक पैदा होता है उस नमक की कीमत में वृद्धि हो रही है। तो कहना पड़ेगा कि यह मंहगाई ऐसी है कि जिससे राष्ट्र की कमर टूटी जा रही है।

अब जो अन्य बातें हैं उनके अन्दर सबसे बड़ी आवश्यकता आती है राजस्थान के लिए, और राजस्थान के लिए ही नहीं, किसी भी देश की प्रगति के लिए वह है शक्ति। शक्ति की आवश्यकता है। जो कुछ हम प्रगति कर सकते हैं, जो उत्पादन कर सकते हैं उसमें विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन जब कि हम और बातों में अन्य राज्यों से होड़ लगाते हैं, हम वहां देखते क्या हैं कि बिजली के उत्पादन में हमारे यहां जब कि अखिल भारतीय फिगर्स २४ पर्सेन्ट का है, राजस्थान का १४ पर्सेन्ट का है, यह दस पर्सेन्ट की कमी क्यों है ? क्या यह समझा जाता है कि राजस्थान में विद्युत के सम्बन्ध में अधिक काम कर लिया है, क्या यह समझा जाता है कि राजस्थान में विद्युत की जरूरत नहीं है, क्या यह समझा जाता है कि राजस्थान में विद्युत के बिना प्रगति हो सकती है ? यह समझ के बाहर की बात है। इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा होता इसके सम्बन्ध में कोई भी इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया जाता। ठीक है, हमारा राज्य अन्य राज्यों से होड़ करता है। वहां जो खास हमारे उत्पादन की बेक बोन है उसमें ही हम इतना घाटा क्यों कर रहे हैं ? इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की बड़ी आवश्यकता है।

अब एक प्रश्न, जिस पर मेरे पूर्व वक्ता धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा, पर मैं कहूँगा कि उपाध्यक्ष महोदय, यह आयुर्वेद के साथ मखौल क्यों किया जाता है ? अगर आप समझते हैं कि आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, आयुर्वेद से इस देश का भला नहीं हो सकता, आयुर्वेद था, वह पुराना था और उस पुरानी प्रणाली से बूढे हुए लोग थे उनका इलाज हो सकता था लेकिन डालडा से पोषित हुए लोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज नहीं हो सकता तो आयुर्वेदिक पद्धति को बन्द कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

यह समझा जाता है कि आज आयुर्वेद आउट ऑफ डेट है तो ७० लाख रुपया भी क्यों इस पर वेस्ट किया जाता है ? अच्छा हो कि आप यह रकम भी एलोपेथी पर लगावें या किसी भले काम में लगावें। यह

(श्री रघुवीरसिंह)

७० लाख का दान देकर आयुर्वेद के साथ मखौल क्यों करते हैं और लोगों के साथ आंख मिचौनी खेल रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं। एक तरफ आपने एलोपेथी पर ५ करोड़ से ८ करोड़ पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर आपने आयुर्वेद पर जिसके लिए सदन में बराबर कहा जाता है कि आप आयुर्वेद प्रणाली को अपनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज लड़ाई हो जावे किसी वक्त दुनिया के किसी भाग में तो आज हमारे एलोपेथिक दवाइयों के अभाव में हमारी स्थिति यह हो जावे कि बिना औषधि के मरने को तैयार हो जावें। जो चीज़ हमारी है और जिसके लिए हमें किसी प्रकार से किसी पर मुखापेक्षी होने की जरूरत नहीं, हर चीज़ हमारे यहां पर पैदा हो सकती है और हम कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेरीमेंट कर सकते हैं, उसको आज नहीं अपना कर जो पैसा बहा रहे हैं, जिस पर हमारा काबू नहीं आज हम दवाइयें इम्पोर्ट करते हैं, औजार इम्पोर्ट करते हैं उस पर डॉलर का प्रभाव पड़ता है और इतना होते हुए भी हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद के लिए एक करोड़ भी बहुत था, उसको आपने काट दिया कि इसको अधिक आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो योजना में हैं और हमारे समझ में नहीं आतां। आपकी इस योजना को बनाने वालों ने राजस्थान की विशेष परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम हो सकता है कि राजस्थान के किसी अंश में हम सफल हो जावेंगे और अधिकतर ऐसे भाग होंगे कि हमें कहना होगा कि हम वहां के वहां हैं और हमने कोई तरक्की नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरे विचार कहने से पहले मैं एक बात मेरे से पहले बोलने वाले व्यक्तियों ने कहा है उस सम्बन्ध में कहूँगा।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो प्लान की किताब हमें दी गई है इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि कैसी है। मैं यह कहना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो तालिका प्लान ड्राफ्ट जो हमको सरकूलेट किया है उसके फिगर्स वगैरह का तरीका है वह पहले जो साइक्लोस्टाइल्ड प्लान मिला था उससे कहीं अच्छा है। इसको देखने से न केवल राजस्थान के फीगर्स का पता चलता है लेकिन ऑल इन्डिया का पिक्चर हमारे सामने आता है कि दूसरी स्टेटों में क्या हो रहा है। उनका और हमारा कम्पेरेटिव एलोकेशन क्या है? रूप-रेखा क्या है? मैं तो यह कहूँगा कि जिस ढंग से फैक्टस एन्ड फीगर्स को रखा है और बताया है वह हमको लीड लेने के लिये कि हमारा स्कोप ऑफ डिबेट किस प्रकार का हो। इसलिये मैं मानता हूँ कि जरूर इसमें उस प्रकार की भाषा की छटा, जैसी उसमें थी, वह भाषा की छटा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाषा की छटा में हमें नहीं पड़ना चाहिये। इस सम्बन्ध में तो जितना हो सके फैक्ट्स एन्ड फिगर्स में जाना चाहिये।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात अभी मेरे से पहले भाषण देने वाले माननीय सदस्य ने कही कि सारे विकास के कार्य हैं वे प्राइसेज़ राइज़ होने की वजह से कैन्सिल हो जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि डेवलपिंग इकोनोमी में प्राइसेज का राइज़ होना एक प्राइमरी फेक्टर है और प्राइसेज़ का बढ़ना prices have got a persistent tendency to rise है और जो कीमत १० वर्ष पहले थी या २० वर्ष पहले थी दुबारा चीज की कीमत वही नहीं हो सकती There is an upward trend in prices. और यह इनहेरेन्ट है। डेवलप्ड इकोनोमी में प्राइसेज़ ऑटोमेटिकली राइज़ होती हैं और उसके साथ बढ़ती हैं। कोई यह सोचे कि रुपये की कीमत जो ५० वर्ष पहले थी वह १० साल बाद हो जावे तो यह सोचना गलत है। डेवलपिंग इकोनोमी में हम यह कह सकते हैं कि हम प्राइसेज़ को विदिन ए स्पेसेफिक लिमिट में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइसेज़ में राइज होगा यह तो इनएविटेबिल फैक्टर है और इसको मान कर चलना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि सारे डेवलपमेंट के वर्क्स को हमें बन्द करना होगा। क्योंकि मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये डेवलपमेंट के कार्य हैं उनमें हम केपिटल एक्सपेन्डीचर रखते हैं, मीट करते हैं, इसके लिये या तो यह हो कि हम रुपया क्रिएट करें we create money और फिर हम इसको जाकर करें। इन प्राइसेज के बढ़ने को हम रोक नहीं सकते। यह मान कर चलें कि डेवलपमेंटल एक्टीविटीज़ पूरे जोर से at a greater spaec चलावेंगे और प्राइसेज राइज नहीं हो तो मैं यह कहूँगा कि यह इमप्रेक्टिकेबल है और हम आगे कुछ नहीं कर सकेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्लान पर आता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लान के स्कोप ऑफ डिबेट के सम्बन्ध में हमने अपने विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक दफे इस सदन में जाहिर किये थे। आज फिर से इस पर विचार जाहिर करने जा रहे हैं। मैं यह समझता हूँ कि हमारा स्कोप ऑफ डिबेट है वह कुछ लिमिटेड रह जावेगा। हम इस बात को मान कर चलते हैं कि प्लान की जो सीलिंग है उसमें तब्दीलियें नहीं कर पावेंगे। दो करोड़ का मुश्किल से काम करा सके तो करेंगे, मगर इससे ज्यादा नहीं करा सकेंगे। अलग अलग सैक्टर के लिये अलग अलग एलोकेशन है, उसके कुछ हद तक उनमें चेन्जेज़ हो सकते हैं। थोड़ा बहुत एलोकेशन में इधर उधर कर सकते हैं। इस सब को मान कर हमें इस वाद-विवाद में लाना है और अपनी राय व्यक्त करनी है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a Point of Order, Sir, can an outsider talk with the Membersin the House ?

श्री उपाध्यक्ष : What is the point.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : If the Hon'ble Minister wants to consult his secretary he should go to his Chamber.

Page No.68

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): But you are not to disturb like this.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, there is a Rule.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! The Hon'ble Minister have always been permitted to consult their Secretaries while Standing on the floor of the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : If that is the practice it is bad. They should go to their Chamber if they want to consult. It is a bad practice to communicate with an outsider in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please ! Order !!

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की तरफ मैं खास कर आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे डेवलपमेंट प्लान्स हैं उन पर हम जोर देते हैं, लेकिन हमें रिसोर्सेज़ चाहिये प्लान बनाने के लिये और उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिये। मैं एक बात को इससे भी इम्पोर्टेन्ट मानता हूं और वह है, "will to develop" किसी प्लान को डेवलप करने के रिसोर्सेज़ से ही काम नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ विल भी होनी चाहिये। यह डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है। काम करने की डिज़ायर, सबसे बड़ी प्रवृत्ति हो सकती है जो होनी चाहिये कि हम काम करना चाहते हैं। जो विल हमारे अन्दर रहेगी तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से हमारा काम रूक नहीं सकता है और इस विल का अभाव जहां आता है तो टैक्स लगाते हैं तो उसका विरोध करते हैं कि टैक्स नहीं लगाना चाहिये और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि विल की लैकिंग है, विल जो नहीं है, विल का अभाव है। जो एग्ज़िस्टिंग टैक्स, स्ट्रक्चर है, टैक्स की जो रेट्स मुकर्रर की है, आज की हालत में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे भी अधिक रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और इस बात का, उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० कल्डार का स्टेटमेन्ट है उसकी ओर आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सैकन्ड प्लान के दर्मियान जिस टैक्स स्ट्रक्चर को एडॉप्ट किया था वह बहुत कुछ कल्डार के टैक्स रिफॉर्म्स का तरीका था, एक्सपेन्डीचर टैक्स, वैल्थ टैक्स इत्यादि लागू किये थे। लेकिन आज यह देखा गया है कि टैक्सों का रियलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, दूसरे टैक्सेज़ का भी रियलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। कल्डार ने कहा कि यह रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। उसने स्टेटमेंट में कहा था : "here we see the lack of will" इसीलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Is it the lack of will or convenience ?

श्री पी. के. चौधरी : Lack of will. If I have lack of will I will not be able to collect...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary will not please talk across the Table.

श्री पी. के. चौधरी : यहां विल की इम्पोर्टेन्स के लिए कह रहा था। इस बात के लिए कह रहा था कि रिसोर्सेज़ पैदा करने के लिए भी विल चाहिये, इसकी धुन चाहिये और टैक्सेज़ को इकट्ठा करने के लिए भी गवर्नमेन्ट मशीनरी की प्रबल इच्छा होनी चाहिये और जब लेक होता है, उसका अभाव होता है तो हम देखते हैं कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर में जितना पैसा आना चाहिये उतना नहीं आता है।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटीज़ प्लान में दिये हुए हैं, दूसरी स्टेट्स के साथ कम्पेरीजन दिया हुआ है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पेज ५ पर स्टेट स्ट्रक्चर में, जो ऑल इन्डिया का स्टेट स्ट्रक्चर है, यानी जो ऑल इन्डिया प्लान है उसके दो हिस्से हैं। एक तो वह हिस्सा है जिसको सेन्ट्रल सेक्टर कहते हैं जिसमें ३,६०० करोड़ का खर्चा होगा और दूसरा सेक्टर है वह है स्टेट सेक्टर। स्टेट्स की ओर से प्लान पर कितना खर्चा होगा ? पहले ३,६५० करोड़ का था और उसको बढ़ा कर ४,०१८ करोड़ का किया गया है जो स्टेट स्ट्रक्चर में खर्च किया जावेगा। ऑल इन्डिया एवरेज है और राजस्थान का एवरेज है वह भी पेज ४-५ पर दिया हुआ है। कॉलम थ्री में हम देखते हैं कि ऑल इन्डिया के स्टेट सेक्टर में किस पर्सेन्टेज पर खर्चा होता है और कालम ५ पर राजस्थान स्टेट पर किस पर्सेन्टेज पर खर्चा करेंगे। उस ओर सरसरी निगाह से देखें तो कृषि में ऑल इन्डिया बेसिस पर १३ पर्सेन्ट ऑल इन्डिया प्लान का खर्चा करते हैं, जब कि हमारी स्टेट में ६.७५ पर्सेन्ट खर्चा कर रहे हैं। पेज ६ पर हम देखें तो सामुदायिक विकास के लिए एवरेज ऑल इन्डिया ७.४ पर्सेन्ट है, जब कि हमारे यहां ५.४० पर्सेन्ट है। सिंचाई के लिए अलबत्ता १६ पर्सेन्ट ऑल इन्डिया प्रायोरिटीज़ का है और हमारे यहां ३६.४४ पर्सेन्ट है। बिजली के लिए ऑल इन्डिया २४ पर्सेन्ट आता है प्लान एलोकेशन जब कि राजस्थान में १४.८३ पर्सेन्ट रखा है। इसी प्रकार से एज्यूकेशन के लिए, जो जनरल एज्यूकेशन है ऑल इन्डिया ८.२ पर्सेन्ट है जब कि राजस्थान में ७.५४ पर्सेन्ट रखा है। टैक्निकल एज्युकेशन ऑल इन्डिया बेसिस पर १.८ पर्सेन्ट अलोकेशन रखा है जब कि राजस्थान के लिए १.३६ पर्सेन्ट रखा है। इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेन्ट सेक्टर्स में हमारे एलोकेशन ऑल इन्डिया एवरेज से कम ही दिखाई पड़ते हैं।

इसी सिलसिले में और भी एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पर केपिटा एलोकेशन क्या है। पर केपिटा एलोकेशन यह बताया गया है कि १७४ रुपीज़ इस प्लान फ्रेम में खर्चा करेंगे, जब कि दूसरी स्टेट्स में दो तीन को छोड़ कर हम से कम एलोकेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, पर केपिटा एलोकेशन निकाला गया है उसकी एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर केपिटा एलोकेशन निकाला है उसमें राजस्थान केनाल के ३८ करोड़ रुपया और पोंग डेम के २५ करोड़ रुपया, कुल ६३ करोड़ रुपया उसमें शामिल है। राजस्थान केनाल एक नेशनल प्रोजेक्ट है और उसको शामिल करके पर केपिटा एक्सपेन्डीचर १४७.५ होता है। यदि राजस्थान केनाल और पोंग डेम का खर्चा ६३

(श्री पी० के० चौधरी)

करोड़ का निकाल देते है तो उस बेसिस पर १०८.८० नया पैसा पर केपिटा एक्सपेन्डीचर प्लॉन में होता है । जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान केनाल का खर्चा स्टेट सेक्टर पर डालना प्लानिंग कमीशन की राजस्थान के साथ एक ज्यादती है । यह सेन्ट्रल सेक्टर है और इसका मैनेजमेंट भी सीधा स्टेट के पास नहीं है । सेन्ट्रल ऑथेरिटी वेस्ट है और स्टेट का रिप्रेजेन्टेटिव रहेगा । राजस्थान केनाल में खर्चा हो रहा है उसको मिला कर पर केपिटा खर्चा करते हैं प्लान में । इस प्रकार से मिला कर खर्चा कर रहे हैं और दूसरी स्टेट के साथ इसको कम्पेयर करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं मालूम होता है । दूसरा हम देखते हैं कि हमारे प्लान एफर्ट्स, टैक्स कलेक्शन और दूसरे साधनों से लगभग ५०) रु० प्रति व्यक्ति कलेक्ट करेंगे । प्लान का ८० करोड़ अपनी कोशिश से कलेक्ट करते हैं । १८६ सेन्टर से होता है और उसका रेशयो १.५६ है । इस राजस्थान केनाल को निकाल देते हैं....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : I think it is against the procedure that any member should talk with the Press People.

श्री उपाध्यक्ष : I hope, you will not raise such ticklish points which don't deserve our consideration.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : I don't think, it is unparliamentary.

श्री उपाध्यक्ष : Well we are not going to take notice of such matters.

Mr. Anoop Singh just wanted to relax the Hon'ble member.

श्री तनसिंह : If it is not at all serious, I can talk...

श्री उपाध्यक्ष : I think, we must not take notice of such matters.

श्री तनसिंह : Even reading of papers is allowed ?

श्री उपाध्यक्ष : Communication with a newspaper representative is also disallowed.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी मेम्बर्स के राइट्स....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Tan Singh, I am not demanding any sort of explanation, I have overlooked the issue.

श्री तनसिंह : जब इस बारे में एतराज उठाया गया है वैसी हालत में हमें शक है कि इस प्रकार से वार्तालाप किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : I have made the point very clear. It is not worthwhile to take such a serious note. I hope, the Hon'ble members will not take serious notice of it. It is just for the Hon'ble members to look into.

श्री तनसिंह : So also with the members of the Treasury Benches.

श्री उपाध्यक्ष : Yes will not disturb the House.

(विराम)

You proceed Mr. Chaudhary.

उपाध्यक्ष महोदय, पेज ६८ पर पर केपिटा कितने टैक्स के रिसोर्सेज़ कलेक्ट करेंगे वह दिया हुआ है । राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति करीब ५० रुपये का साधन जुटायेंगे । राजस्थान का कम्पेयर हम मध्य प्रदेश और बिहार के साथ करते हैं, जब कि मध्य प्रदेश से और बिहार से हमारे राजस्थान को बैकवर्ड माना जाता है डेवलपमेंट की दृष्टि से । मध्य प्रदेश में पर केपिटा टैक्स के रिसोर्सेज हैं वह है करीब ३५.६ रुपया बिहार का ३० लेकिन हम मध्य प्रदेश के साथ इसका कम्पेयर करते हैं तो बिहार और मध्य प्रदेश में ११४ रुपया पर केपिटा खर्चा होगा प्लान में । मैंने जैसा कि पहले बताया राजस्थान केनाल और पोंग डेम का अलकेशन नेशनल प्रोजेक्ट मान कर३ निकाल देते हैं प्लान के अन्तर्गत राजस्थान के लिये इसके विकास के लिये खर्चा होगा १०८.८ रुपया होता है । मैं महसूस करता हूँ कि राजस्थान के लिये जो अलोकेशन पर-केपिटा हुआ है उसके मुकाबले हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो वी स्टेन्ड एट डिसएडवान्टेजियस पोजीशन । मध्य प्रदेश में ३५ रुपया पर हैड था उसके मुकाबले हमने पचास रुपया पर हैड टैक्स रिसोर्सेज कलेक्ट किये हैं । उससे मैं समझता हूँ प्लानिंग कमीशन के सामने हमारा आर्ग्युमेंट हो सकता है हमारे टैक्स के रिसोर्सेज और उसके कलेक्शन के इफेक्ट को देखते हुए राजस्थान की जनरल इकोनोमिक कन्डीशन को देखते हुए, मध्य-प्रदेश से अलोकेशन ज्यादा होना चाहिये ।

इसके बाद मैं पॉवर सेक्टर में हमारा जो अलोकेशन है उस तरफ आता हूँ । इसके लिये मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिस बात को सेन्ट्रल पॉवर एण्ड वाटर कमीशन ने अपनी पुस्तिका में माना है: "यार्डस्टिक ऑफ प्रोसपेरिटी इज़ दी पॉवर" यानी पॉवर कन्जम्पशन ही देश की प्रोसपेरिटी का यार्ड-स्टिक है । उसमें हमने देखा है हमारे राजस्थान में जो पॉवर कन्जम्पशन का यार्डस्टिक है उस यार्डस्टिक से हमें ५८–५६ में पॉवर कन्जम्पशन हुआ है उसके फीगर्स मौजूद हैं। हमारा कन्जम्पशन ३.६७ युनिट रहा है, जब कि ऑल इन्डिया का एवरेज २३.७६ युनिट्स आता है । दूसरे देशों से हम इसका कम्पेयर करते हैं तो वह किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, वहां पर पर केपिटा कन्जम्पशन १ हजार, २ हजार, ३ हजार युनिट होता है । हम ऑल इन्डिया के साथ भी कम्पेयर करें तो पर केपिटा कन्जम्शन यहां बहुत कम है । राजस्थान की पॉवर डिमान्ड को असेस किया गया है उस सम्बन्ध में दो बातें निवेदन करना चाहूँगा सन् १६५७–५८ में प्रिलिमिनरी लोड सर्वे किया गया । उसमें राजस्थान का फर्म पॉवर डिमान्ड जो असेस की गई वह थी १८५ मेघा वाट at the end of the third Plan. उसके एक साल के बाद रिवाइज्ड लोड सर्वे किया गया। उसमें जाकर राजस्थान का फ़र्म पॉवर डिमान्ड है उसको असेस किया २६६ मेघा वाट यानी साल भर के अन्दर अन्दर लोड सर्वे का असेसमेंट होता है उसमें १४० पर्सेन्ट का डिफरेन्स

(श्री उपाध्याय)

करते हैं। इस तरह से साल भर के अन्दर लोड सर्वे का असेसमेंट करते हैं उसमें १४० पर्सेन्ट आता है । इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूँगा। यह जो लोड सर्वे किया गया हैं उसी बेसिस पर थर्ड प्लान में पॉवर अलोकेशन किया गया है । लोड सर्वे जो हुआ है उससे राजस्थान की जो पॉवर की डिमान्ड है उसकी करेक्ट पिक्चर हमें उससे नहीं मिलती है। लोड सर्वे का जो बेसिस है वह डिफेक्टिव है, इसकी तरफ मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोड सर्वे बेसिस में तीन प्रकार की कठिनाइयां हैं। सबसे पहले जिस रीजन का लोड सर्वे किया गया है उसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज़ की फ्यूचर लोड डिमान्ड क्या होगी उस हिसाब से इसका असेसमेंट नहीं हुआ है। इसमें जो हिसाब लगाया गया है एग्ज़िस्टिंग जितनी भी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ या मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं उसमें जितना कन्ज़म्पशन है उसी को आधार मान कर यह असेस हुआ है । भविष्य में कितनी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज़ खुलेगी इसका ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन वर्तमान के बेसिस पर ही पॉवर डिमान्ड को असेस किया गया है, इसलिए १४० मेघा वाट का वेरिएशन जो हुआ है वह एक साल के अन्तर से होने पर हो जाता है।

दूसरी बात यह लोड सर्वे इन्डस्ट्रीज़ का असेस किया गया है वह इस हिसाब से किया गया है कि जिन इन्डस्ट्रीज़ का लाइसेन्स इश्यू हो गया है जिनको प्लान में फाइनेलाइज़ कर दिया गया है उन्हीं का असेस किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो स्टेट्स में ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग इन्डस्ट्रीज़ हैं उन्होंने पहले डिमान्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पेश कर रखी हैं, उसी के आधार पर करीब करीब असेसमेंट ठीक बैठा है। इसका असेसमेंट जो ऑलरेडी इन्डस्ट्रीज़ हैं, जैसे बम्बई, मद्रास वेस्ट बंगाल इनके यहां की जो लोड डिमान्ड है उसमें काफी चेन्जेज़ हो गई हैं। वह करीब करीब ठीक बैठा है, लेकिन राजस्थान में लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ है नहीं, मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज़ कम हैं, यह कहने में अत्युक्ति नहीं है । इसलिए जो फ्युचर पॉवर की डिमान्ड है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। हमारे यहां लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ के अलावा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज़ का बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन पॉवर डिमान्ड का जो असेसमेंट सेन्ट्रल पॉवर एण्ड वाटर कमीशन ने किया है बिल्कुल ही इनसफीशियेन्ट रखा है, इनएडीक्वेट रहा है। इसलिए फ्युचर डेवलपमेंट के लिए जो डिमान्ड होगी उसके लिए लोड सर्वे को काउन्ट नहीं किया गया है । मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह सब मैंने लोड सर्वे की रिपोर्ट को देख कर कहा है। इसलिये यहां जो राजस्थान के लिए पॉवर का एलोकेशन हुआ है मैं समझता हूँ दूसरी स्टेटस के कम्पेरिज़न में प्लानिंग कमीशन ने जितना पॉवर का एलोकेशन हमारे प्रान्त के लिए करना चाहिये था उतना नहीं दिया है। इस वजह से अगले पांच सालों में पॉवर की डिमान्ड क्या रहेंगी इसका किसी प्रकार से असेसमेंट नहीं हुआ है। हमें इस बात को प्लानिंग कमीशन के सामने रखना है और

(श्री उपाध्यक्ष)

उसको यह बताना चाहिये कि हमारे यहां नहीं रखने का मुख्य कारण क्या था।

जब हमारी इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार हुआ, राजस्थान के लिए ४५ करोड़ रुपये का पॉवर सेक्टर था उसको ३५ पर लाया गया। उसके बाद भी काफी चेन्जेज़ हुई हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जानते हैं। लास्ट नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल के सामने उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था जहां पहले पब्लिक सेक्टर में ६२५ करोड़ रुपया रखा गया था नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग में उसमें ७५ करोड़ की वृद्धि कर दी गई है, वहां उन्होंने एक करोड़ रुपया किया है। यानी ७५ करोड़ रुपया और ज्यादा पॉवर सैक्टर में अलोकेट किया।

इतना ही नहीं, और भी तीस करोड़ रुपया बढ़ाने जा रहे हैं और अल्टीमेट इन्डिया का पॉवर प्लान १,०३० करोड़ का होगा।

तो मैं, इसलिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो पॉवर का पहला अलॉटमेंट टार्गेट था थर्ड प्लॉन के ड्राफ्ट प्लान के वक्त, ११.८ मिलियन किलोवाट का था। इसके बाद देखा गया कि इन्डस्ट्रियल एरिया को देखते हुए यह कम है और वर्ल्ड बैंक मिशन थी वाइज़ मैन फ्रोम वर्ल्ड बैंक के नाम से कहते हैं और प्रसिद्ध है इसी नाम से उस वर्ल्ड बैंक मिशन ने भी कहा था कि पॉवर सैक्टर का अलोकेशन इनएडीक्वेट है और इन्कम्पलीट है। And it is not in consonance with the demand of the country. तो इसका नतीजा यह हुआ कि N. D. C. has to revise the power allocation of which the Chief Minister is well aware. तो इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पॉवर सैक्टर को ७५ करोड़ इस तरह से बढ़ा!

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, एक वक्त पहले अक्टूबर में अखबार में मैंने पढ़ा था कि वर्क्स और पॉवर के मिनिस्टर, श्री हाथी, ने क्वेश्चन के जबाब में कहा कि हमने जो टार्गेट फिक्स किये हैं पॉवर के उसको ११.८ से १३.४ मिलियन किलोवाट कर दिया है। पर कल के अखबार में मैंने देखा, इकोनोमिक टाइम्स में कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से फिर सर्क्युलर किया जा रहा है कि इसको ८ लाख किलोवाट बढ़ा कर १२.६ मिलियन कर दें, पर असल बात यह है कि पॉवर का एलोकेशन १३.५ मिलियन होगा। यह निश्चित है और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन ने जो प्लानिंग कमीशन को सिफारिश की थी वह १४ मिलियन के लिये सिफारिश की थी।

तो टार्गेट यहां जब बढ़ रहे हैं सेन्टर सेक्टर में, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहीं बढ़ रहे हैं स्टेट सेक्टर में भी टार्गेट बढ़ रहे हैं और अलोकेशन भी बढ़ रहा है। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इस तरह दूसरी स्टेटों के लिये बढ़ रहा है पॉवर सेक्टर का अलोकेशन और टार्गेट दोनों, ऑल इन्डिया बेसिस पर, तो राजस्थान का आज का ३५ किलोवाट का अलोकेशन ३५ किलोवाट का अलोकेशन रखा है। राजस्थान को इन्स्टाल्ड केपेसिटी तीसरी प्लॉन में २६०

(श्री उपाध्यक्ष)

मेघा वाट बढ़ाने की जिससे फर्म केपेसिटी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहती है २६० मेघा-वाट इन्स्टाल केपेसिटी बढ़ाने से और एग्ज़िस्टिंग केपेसिटी दोनों मिला कर तीसरी योजना के अन्त तक फर्म पॉवर सप्लाई की हमारी पोज़ीशन रहेगी २७७ मेघावाट। जब मैंने बताया कि हमारी यह प्लान डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट और इनएडीक्वेट है इसके आधार पर भी हमारी साइमल्टेनियस मेक्ज़िमम डिमान्ड २६६ मेघावाट होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पॉवर का एलोकेशन काफी कम हुआ है और इसको बढ़ाने के लिये हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिये और मैं समझता हूँ कि you have got a strong case to approach the Planning Commission to get the revised allocation.

दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि दूसरी स्टेटों में पॉवर के लिये जो एक्सपेन्डीचर है उनको प्लानिंग कमीशन ने पॉवर सेक्टर में क्यों मन्जूर किया है, इसकी जानकारी नहीं है। पर हमारा ४५ करोड़ का ड्राफ्ट तैयार किया तो दूसरी स्टेटों के फिगर भी बता सकूंगा मद्रास का ११८ करोड़ का ड्रॉफ्ट सब्मिट किया था। पर मध्य प्रदेश ने ११३ करोड़ का प्लान एलोकेशन का सब्मिट किया था। यू. पी. ने १७५ करोड़ का सब्मिट किया था।

इस प्रकार से जो स्टेट प्लान का टोटल एलोकेशन पॉवर सेक्टर का था वह लगभग १,१२० करोड़ का होता है। अब जाकर उसे प्लानिंग कमीशन ने रेज़ करके अल्टीमेटली १,०३० करोड़ रुपया करते हैं। तो हमारा पॉवर का अलोकेशन दूसरी स्टेटों के कम्पेरिजन में काफी कम रहा है और जो इस किताब में पेज पांच पर बताया है कि ऑल इण्डिया एवरेज 24% of the total allocation has been spent on our power, जब कि १४ पर्सेन्ट राजस्थान में आता है। तो चाहूँगा कि पॉवर का एलोकेशन हमें बढ़वाना चाहिये और देश के विकास के लिये, इकोनोमिक एक्टीविटीज़ के विकास के लिये पॉवर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

बल्कि जैसा मैंने पहले कहा था और इस बात को आप भी मानते हैं कि एग्ज़िस्टिंग एलोकेशन से भी एक बात का सुझाव देना चाहता हूँ। मैं महसूस करता हूं कि यह हमारा एलोकेशन होता है अलग अलग स्टेटों में स्टेन्डबाई के लिये भी एलोकेशन होता है। अलग अलग स्टेटों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने अलग अलग स्टेन्डबाई रखते हैं और अपने अपने करते हैं। पर जैसा मैं महसूस करता हूं कि आज देश के डेवलपमेंट के लिये क्रूशियल सेक्टर अगर कोई है तो डेवलपमेंट ऑफ पॉवर है। इसके लिये युनीफाइड कन्ट्रोल सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों का हो जाय और एन्टायर बोर्डों का एक ऑटोनोमस सेन्ट्रल एजेन्सी बना दिया जाय; जैसा रेलवे या कम्यूनिकेशन का है तो बड़ा फायदा होगा, जो हरएक स्टेट की रिक्वायरमेंट के माफिक कर दे और सारे देश की पॉवर सप्लाई को इन्टरलिंक कर दिया जावे ताकि स्टेन्डबाई जो रखा है उसको दूसरी स्टेटों में युटिलाइज़ कर सकें।

इसलिये एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि

(श्री उपाध्यक्ष)

रशिया में रिवोल्यूशन हुआ तो लेनिन ने सारे राज्य के लिये १६२० में एक युनिफाइड प्लान पर इलेक्ट्रिफिकेशन रखा था। तो मैं जोर देना चाहता हूं कि हमारा सारा डेवलपमेंट चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इन्डस्ट्रीज़ का हो, सारा डेवलपमेंट डिपेन्ड करता है पॉवर की सप्लाई पर,पॉवर के डेवलपमेंट पर। तो इसको टोप प्रायोरिटी दी जावे, इसकी प्लान अलग ही बने; सारे हिन्दुस्तान की एक ही।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो ट्रान्समिशन के लिये ड्राफ्ट प्लॉन में एलोकेशन था उसका २५ पर्सेन्ट कट हो गया यानी दस करोड़ रुपया कम दिया गया है। पॉवर जेनरेट करने से ही काम नहीं चलता ; उसके डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था भी ठीक तरह से होनी चाहिये। यह नहीं हो तो प्रोपर युटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा और पैदा करके युटिलाइज़ न कर सको तो हमारा पॉवर डेवलपमेंट का मकसद पूरा नहीं होगा।

एक बात याद आती है कि जो कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कही थी कि बाहर मीटिंग में जहां कहीं जाते हैं तो लोग पॉवर की डिमान्ड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिजली हम इसलिये नहीं देना चाहते कि आपके घरों में और रास्तों में बल्ब लगा कर बिजली करें।

हम तो समझते हैं कि आप इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए प्रोडक्टिव एक्टीविटीज़ के लिए ज्यादातर बिजली की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि this is most correct to approach for Power. जो हम बिजली पैदा करें और उससे सिर्फ आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाये, घरों में करने के लिए, रास्तों में रोशनी करने के लिए हम बिजली दें उससे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि इन्डस्ट्रीज़ के लिए हम ज्यादा बिजली दें। इन्डस्ट्रीज़ के लिए बिजली देना बहुत जरूरी है। मैं तो यह कहूंगा कि जयपुर के रास्तों पर जरूर अंधेरा हो जाये लेकिन जयपुर कि इन्डस्ट्रीज़ के लिए बिजली जरूर पहुंचे; that will be more beneficial for the country than the streets of Jaipur.

तो इसलिए जो हमारे पॉवर का एप्रोच है उस पर कहना चाहूंगा कि पब्लिक लाइटनिंग और स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए पॉवर को सप्लाई न कर फर्स्ट प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीज़ को दें। क्योंकि हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ के लिए पॉवर के लिए दरख्वास्त देते हैं छोटी छोटी मशीन वगैरह लगाने के लिए तो किसी को दिन में पॉवर सप्लाई करते हैं, किसी को रात में करते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे केसेज़ में पब्लिक लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग है उसमें कमी कर दी जाये और जो डॉमेस्टिक लाइट की व्यवस्था है उसमें भी कमी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इन्डस्ट्री को रहे। बिजली चाहे वह एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए हो या इन्डस्ट्री के लिए हो, पहले उन्हें देनी चाहिए। एक बात मैं यहां पर और कहना चाहूंगा....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : This will be the last 'Bat'.

श्री पी० के० चौधरी : लास्ट नहीं है। मैंने पहले भी फ्लोटिंग लोन के बारे में डिस्कस किया था। उस समय पॉवर मन्त्री

(श्री पी० के० चौधरी)

महोदय ने यह कहा था कि हम लोन फ्लोट करके भी जरूरत हो तो ट्रान्समिशन वगैरह का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पैसा है उसको इकट्ठा करना चाहिए । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही वेल्युएबल सजेशन है और इसके आधार पर जैसा उन्होंने बताया कि मद्रास ने या दूसरी स्टेट ने लोन फ्लोट किया है तो आज प्लानिंग कमीशन की तरफ से फण्ड एलोकेट नहीं किया जाये । लेकिन मैं यह मानूंगा कि इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोशिश करनी चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को या गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को इजाजत होनी चाहिए कि राजस्थान का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉन्फीडेन्ट फील करे जो लोन फ्लोट कर सकता है और लोन जो फुल्ली सब्सक्राइब होगा तो लोन फ्लोट करके भी ट्रान्समीशन लाइन की व्यवस्था कर सके । इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ और जिस पर अभी वादविवाद जारी है कि दिल्ली के पास जो एटोमिक प्लान्ट लोकेट होने को है वह कहां हो ? यू० पी० वाले मांग करते हैं और पंजाब वाले मांग करते हैं कि हमारे यहां होना चाहिए । तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम भी पीछे नहीं रहें । यह भी मैं समझता हूँ टीक रहेगा कि हम कोशिश करें कि वह राजस्थान में क्यों न हो । उसके लिए एडीशनल आग्युमेन्ट यह भी हो सकता है कि हमारे यहां राजस्थान में अलवर और भरतपुर का जो एरिया है उसमें एटोमिक मिनरल भी उपलब्ध हैं तो the Government has taken notice of it that राजस्थान में एटॉमिक पॉवर प्लान्ट हो ।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में सिवाय कॉपर स्मेल्टिंग प्लान्ट के अलावा कोई दूसरा यूनिट नहीं है । तो जो दूसरा प्लान्ट एटॉमिक पॉवर प्लान्ट लगने जा रहा है, चाहे उसके लिए यू० पी० वाले मांग करें या पंजाब वाले मांग करें लेकिन वह दिल्ली के आस-पास रहेगा तो राजस्थान के किसी भी एरिया में रखने से कोई फर्क पड़नेवाला नहीं है । लेकिन कम से कम राजस्थान में यह होगा तो हमारे सेन्टीमेन्ट्स को तो फायदा पहुंचेगा कि हम सेन्टर की तरफ से इग्नोर तो नहीं किए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में एक पॉवर प्लान्ट तो लोकेट किया है; ऐसा महसूस होगा । तो मैं चाहूँगा कि उसका लोकेशन राजस्थान में हो, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए । यू० पी० वालों ने उसके लिए प्रचार किया कि यू० पी० में होगा लेकिन उसका कॉन्ट्राडिक्शन सेन्टर की तरफ से हुआ था । इसलिए कहूँगा कि उसके लोकेशन के लिए आज भी फाइनेलाइज़ेशन नहीं हुआ है और इसके लिए हमें बराबर कोशिश करनी चाहिए....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : What is the new area ? Does that new area give the same product...

श्री पी. के. चौधरी : Yes. अब दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है और जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है और यह बात मैंने जब एप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कशन हुआ था उस समय भी कहा था कि हमारे राजस्थान का एवरेज ईल्ड पर एकड़ गिर रहा है, उसका

(श्री पी० के० चौधरी)

फालिंग ट्रेण्ड है। उसमें मैंने बताया था कि १६५४ से ६० तक का जो टोटल एरिया अण्डर वेरियस क्रॉप्स और टोटल ईल्ड अण्डर वेरियस क्रॉप्स दी हुई है प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके बेसिस पर मैंने निकाला था और वह फिगर्स यहां पर मौजूद हैं और वे मैंने सदन के सामने पेश किये थे और अनफोर्चुनेटली मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी तरफ न तो सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया है और न कृषि मंत्री जो उस समय यहां मौजूद थे उन्होंने ही ध्यान दिया है और न मुझे इसका इन्डीकेशन ही मिला कि he has looked into.

जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो व्हीट का प्रोडक्शन है फर्स्ट प्लान का जो लास्ट थ्री ईयर्स है उसका पर-एकड़ आता था ८३३ पौंड और सेकण्ड प्लान का फर्स्ट फोर ईयर्स में पर-एकड़ ७८१ पौंड आता था यानी लगभग ५२ पौंड पर एकड़ कम ईल्ड हुआ। इसी तरह से सीरियल्स एण्ड पल्सेज़ का प्रोडक्शन फर्स्ट प्लान का जो लास्ट थ्री ईयर्स है उसका पर-एकड़ आता था ३६८ पौंड और अब जाकर सेकण्ड प्लान का फर्स्ट फोर ईयर्स में ३८८ पौंड आता है, जो लगभग १० पौंड कम है और सीरियल्स एण्ड पल्सेज़ को छोड़ कर दूसरी चीज का प्रोडक्शन ईल्ड पर एकड़ ४३७ पौंड आता था वह अब ४११ पौंड आता है, जो कि २६ पौंड पर एकड़ ईल्ड कम है। उससे एग्रीकल्चरिस्ट को कितना नुकसान होता है, वह हिसाब भी मैंने बतलाया था और मैंने कहा था कि मैं इसको सीरियस ट्रेन्ड मानता हूँ। आज हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टोटल, जो हमारा प्लाण्ड टार्गेट्स हैं उनको हम ओवर-रीच कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारा जो पर एकड़ ईल्ड गिर रहा है वह सीरियस मैटर है और उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक बात की तरफ मैं एग्रीकल्चर पॉलिसी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल इकोनोमी का एफीशियेन्सी या उसकी अच्छी कन्डीशन्स कब मानते हैं जब कि पर एकड़ एवरेज ईल्ड बढ़ता है। आज दुनिया की जो दूसरी कन्ट्रीज़ हैं; अमेरिका है वहां पर फूड ग्रेन का जो ईल्ड है वह ३ से ४ हजार पौंड तक वैराई करता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अश्रव्य)

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble member will wait. He will have a chance to reply.

यह जो कहा गया कि एरिया बढ़ जाने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है उसको तो मैं चेलेन्ज नहीं करता हूँ। आपने सैकण्ड प्लान के दर्मियान में....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I will ask questions, not reply.

श्री पी० के० चौधरी : जिस बात की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल मैज़र्स के लिए खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी एवरेज ईल्ड हमारा पर एकड़ गिर रहा है जब कि हमारा एवरेज ईल्ड बढ़ना चाहिए था। मैं मिसाल के तौर पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान यूगोस्लाविया का पिछले

(श्री पी० के० चौधरी)

६ साल का ईल्ड पर एकड़ है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। यूगोस्लाविया में १६५४ से पहले जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने, जैसी की कोशिश करते हैं, उसी तरह इर्रिगेशन में ज्यादा खर्च करके ज्यादा जमीन को कल्टीवेशन में लाकर कोशिश की थी। आफ्टर १६५४ उसको कन्सेन्ट्रेट करके एग्ज़िस्टिंग फैसेलिटीज़ से जो एग्ज़िस्टिंग एरिया है उसमें पर एकड़ ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया और १६५४ से ६० तक "within 6 years' उनका पर एकड़ ईल्ड for the whole country-it has gone upto two thousand acres और इन्टेन्सिवली लगभग ४० पर्सेन्ट कल्टीवेशन किया, जैसा कि आप पाली में कर रहे हैं। वहां पर पर-एकड़ एवरेज ईल्ड २,००० पौंड हुआ।

(३.म. प.)

इस प्रकार से आज जो हमारी कन्डीशन है, आज से ५० साल पहले नोर्थ वेस्टर्न यूरोप में भी वे ही कन्डीशन्स थी। उनकी भी एवरेज ईल्ड हमारे बराबर थी। आज एवरेज ३,५०० पौंड पर एकड़ हुई है। कहीं पर इर्रिगेशन फेसिलिटीज़ से हुई है, मोडर्न एग्रीक्लचरल प्रेक्टिसेज़ को अमल में लाकर अपना एवरेज ईल्ड बढ़ाया है और हम यह कहें कि ऐसे प्रोब्लम्स को हम इस प्रकार से वर्जिन लैण्ड, वर्जिन सोइल को कल्टीवेट करके या इर्रिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाकर ८ लाख या १० लाख को एडीशनल इर्रिगेट कर दिया, लेकिन इर्रिगेट करने के बाद पर एकड़ एवरेज ईल्ड नहीं बढ़ा तो मैं मानता हूँ कि के जो एफर्ट्स हैं वे अनइकोनोमिक हुए हैं। इसीलिये मैंने निवेदन किया था कि यह पर-एकड़ एवरेज ईल्ड गिर गया है, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। यह बात सही है, इस बात को मैं जानता हूँ कि एवरेज ईल्ड गिरा है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : नहीं गिरा है। Who says...

श्री पी० के० चौधरी : Per acre average yield is falling. It is a fact.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं पूछना चाहता हूँ, श्रीमान्, ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन कि जिस क्षेत्र में खेती पैदा होती है उसकी ईल्ड गिरी है या नये खेत को ब्रेक किया है उसमें रूकेटर्ड पैदावार होती है। उसमें उस एवरेज से नहीं हो सकती है। नये खेत में कम होती है। इसलिए एवरेज बढ़ गया है, गिरा नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझे हैं। एवरेज जो होता है वह सारे एरिया की बात होती है, वह खेत पर नहीं होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : जो माननीय सदस्य ने बात कही है, जो उन्होंने पोइन्ट उठाया है उसका मतलब यह है कि सब-मार्जिनल लैण्ड से भी एरिया बढ़ा है। उसको इस प्रकार से डिवाइड करने से पर एकड़ प्रोडक्शन कम मालूम हो सकता है, लेकिन वह लेस करने से जो पहले प्रोडक्शन होता था उसमें इन्क्रीज़ हो सकता है। This is his point.

श्री पी० के० चौधरी : I follow his point. The point which I am emphasising is that इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के लिए इतना सीड यूज़ हुआ है, thousands of implements we have used. ये सारे फीगर्स उसमें दिये हुए हैं। हमने इतने लाख एकड़ लैण्ड इर्रिगेट की है। इर्रिगेटेड लैण्ड में व्हीट का प्रोडक्शन ले तो व्हीट का प्रोडक्शन वर्जिन सोइल में नहीं होता है। दो साल या कम से कम २ साल तक खेत जुतता है, उसी जमीन पर व्हीट का प्रोडक्शन हो सकता है। व्हीट प्रोडक्शन की एवरेज ईल्ड सबसे ज्यादा गिर गई है। ५० पौंड पर एवरेज एकड़ गिर गया। इर्रिगेशन हो गया है। इर्रिगेशन के बाद इस साल जमीन तोड़ी है उसी साल व्हीट बोते हैं। वह बात माननीय सदस्य मान सकते हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हमारा टोटल प्रोडक्शन टार्गेट का बढ़ा है वह तो जो एरिया कल्टीवेशन में बढ़ा है इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि टोटल एरिया बढ़ा है उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है वह पॉलिसी डिफेक्टिव है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी टोटल एरिया प्रोडक्शन का बढ़ता है, लेकिन एवरेज ईल्ड अगर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन उसके साथ साथ करते हैं तो एवरेज का मतलब यह है कि इन्टेन्सिव करते हैं तो पर एवरेज एकड़ ईल्ड का बढ़ता है और एक्सटेन्सिव करते हैं तो उसका एवरेज ईल्ड नहीं बढ़ता है और on the average it should have remained stationary. कम से कम दो प्लान्स में तो स्टेशनरी होना चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं कि जो नई जमीन तोड़ेगा तो the area which is already under cultivation, उसका मान लिया जाय कि १ करोड़ एकड़ या ५० लाख एकड़ पर नई खेती होती है। नई जमीन तोड़ी दो लाख एकड़, तो दो लाख एकड़ जब जमीन तोड़ी तो उसका एवरेज आप बेलेन्स कर देते हैं ५० लाख के एवरेज से।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : ५० लाख का नया एरिया कल्टीवेशन में आया तो एडीशनल प्रोडक्शन हुआ है। That is already due to this addition of new land, which has been brought under cultivation. और इसमें व्हीट के बारे में कहना चाहता हूँ वह डबल क्रॉप एरिया बना है यानी नये कुएं या पीनी आने से जिन जमीनों में व्हीट नहीं हुआ था वे जमीनें १० लाख एकड़ डबल क्रॉप एरिया की बनी हैं जो पहले सिंगल क्रॉप एरिया थीं। यह जो नई जमीन बनी है that is also not so productive as the old. जितने कुएं बने थे या बांध बने हुए थे उनकी वजह से कुछ प्रोडक्शन नहीं है। नई लैण्ड आई है और फर्टीलाइज़र्स जिसके बारे में मैंने पहले बताया था we have been short of all these things.

प्लान में कितना प्रोविज़न था, वह चीज़ नहीं मिल पाई, फर्टीलाइज़र्स नहीं मिल पाये, सीड की जितनी आवश्यकता थी नहीं कर पाये। इसलिए जो टार्गेट था, जो प्रोडक्शन का टार्गेट था उनमें सब मामलों से कमी रही है। सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन वह है। अगर ५० लाख एकड़ जमीन नई काश्त के नीचे आई तो उसमें बहुत सी लैण्ड ऐसी है जो मार्जीनल लैण्ड है या बिल्कुल सब मारजीनल लैण्ड है। यह ठीक है कि अनाज की, धान की,

(श्री पी० के० चौधरी)

कीमत की वजह से उस लैण्ड को कल्टीवेट करना इकोनोमिक हुआ है। मगर यह प्राइस आज उनके हक में है। अगर वैसा नहीं हो तो यह लैण्ड जो इतनी ज्यादा तादाद में कल्टीवेट की गई है वह नहीं रहेगी। They will go out of cultivation. यह हमें मन्जूर है कि इतनी बड़ी तादाद में एरिया बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल एरिया के साथ साथ इसका प्रोडक्शन नेचुरली कम है। जो पहले प्रोडक्शन था उन जमीनों का एवरेज बिल्कुल वही है। मैं one of the factors कहना चाहता हूँ और ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यह दिखता हुआ फैक्टर है जिसकी वजह से एवरेज ऑफ प्रोडक्शन लो है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं कहना चाहता हूँ कि एवरेज ईल्ड गिर गया है। जो बात मैंने पहले रखी थी मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक इन्क्वायरी होनी चाहिए कि ईल्ड क्यों गिर रहा है। आप explain away करना चाहते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्सप्लेन अवे नहीं....

श्री पी० के० चौधरी : हेव पेशेन्स। आप बाद में रिप्लाई देंगे।

यहां पर एक्सप्लेन अवे बात कह देते हैं कि एवरेज हुआ है। मैं कहूँगा, इस बात को मानता हूँ कि एवरेज ईल्ड गिर गया है। जमीन ज्यादा काश्त में नहीं लेते तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता कैसे ? इस बात को मैं जानता हूं कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टार्गेट्स से एक्सटेन्ड कर गये हैं, लेकिन एवरेज ईल्ड गिर गया है तो हम इस बात को मानते हैं कि कम से कम व्हीट के एवरेज ईल्ड को गिराना नहीं चाहते हैं तो व्हीट वर्जिन सोइल में नहीं होता है।

दूसरा मार्जिनल सोइल को लेते हैं तो राजस्थान की सोइल को मैं मार्जिनल सोइल नहीं मानता हूँ। राजस्थान की सोइल को पानी मिलता है तो काफी प्रोड्यूस होता है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : नई ब्रोकन लैण्ड क्या होती है ? मार्जिनल होती है....

श्री पी० के० चौधरी : New broken lands do not produce wheat.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No question of wheat.

श्री पी० के० चौधरी : I am talking of wheat.

श्री उपाध्यक्ष : You will cease to talk please. Order ! Order Please !!

श्री महेन्द्रसिंह : What was the area under wheat last year and what is the area today ?

श्री उपाध्यक्ष : Let us not embark upon another point.

श्री पी. के. चौधरी : Refer to this Progressive Report. You will find in it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I do not need anything to refer.

श्री पी. के. चौधरी : I know it.

श्री उपाध्यक्ष : This is not the question hour. Order ! Order please !! Let us proceed with the debate.

श्री पी. के. चौधरी : सन् ५४ में व्हीट कल्टीवेशन क्या था, इस पर माननीय सदस्य बहुत जोर दे रहे हैं, उनको बता दूं। व्हीट १९५४ में १९,७५,००० एकड़ और १९६० में जाकर २९,६५,००० एकड़ यानी १० लाख एकड़ व्हीट में बढ़ा है, लेकिन १० लाख बढ़ने से ५० पौण्ड पर एवरेज एकड़ गिर गया है, तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। व्हीट के अन्दर १० लाख एकड़ बढ़ा है वह १० लाख वर्जिन सोइल नहीं बढ़ी है। कोई यह कहे कि वर्जिन सोइल ब्रेक करके बढ़ाई गई है तो वह माननीय सदस्य ही कह सकते हैं कि नहीं गिरा है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ।

मैं इस बात की तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह इस बात पर है कि it is a fact जिसको माननीय मंत्रीजी ने मन्जूर किया है कि एवरेज ईल्ड गिरा है। मैं मानता हूँ कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जहां एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हुए हैं चाहे वर्जिन सोइल को कल्टीवेट करके या सिंगल क्रॉप को डबल क्रॉप करके, लेकिन जो फेक्ट्स एण्ड फीगर्स दिये हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के और यूगोस्लाविया के, हरेक देश की आपके सामने मिसाल पेश की है। उनके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एफर्ट्स रहे हैं उसमें वर्जिन सोइल को कल्टीवेट करने के बावजूद उनको पर एकड़ ईल्ड १,००० से २,००० एवरेज होता है। सारे देशों में जहां कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन किया है वहां पर ३,५०० पौण्ड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के कन्ट्रीज़ में हुआ है। आपका जो कानून यहां पर वर्जिन सोइल का लागू होता है वह क्या यूगोस्लाविया में लागू नहीं होता है, वैस्टर्न यूरोप में लागू नहीं होता है? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस बात को मान कर कम से कम इन्क्वायरी की जाय, इसको इवेड करने की कोशिश नहीं की जाय और देखा जाय कि दूसरे किस प्रकार बढ़ गये और हमारा क्यों नहीं बढ़ पाया।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हम राजस्थान केनाल और पोंग डेम पर २८ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और ३५ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, ६३ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस रकम को पूरे प्लान में से निकाल लेते है तो बाकी प्लान १७३ करोड़ का रह जाता है। यह जो ६३ करोड़ का खर्चा है उसका रिटर्न दस-बारह साल बाद मिलने वाला है तो एग्रीकल्चर पॉलिसी में इस बात को करना चाहिये कि कम से कम इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की तरफ ध्यान अधिक दिया जाय। आपका पी. एल. डब्ल्यु. है वह कुछ नहीं करेगा वहतो एक बात कह देगा, प्रचार कर देगा कि फलां फर्टिलाइजर काम में लावें फलां चीज काम में लावें तो यह काफी नहीं होता है। इसका दूसरा तरीका है। हमारा जो एवरेज गिर गया है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। We should find out as to how other

(श्री पी० के० चौधरी)

countries have done. युगोस्लाविया ने वर्जिन सोइल को किया है । They have also broken the virgin soi. उनके यहां बढ़ता है तो हमारे यहां क्यों नहीं बढ़ता है, मैं इस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ । हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते हैं । इसलिये जैसा मैंने शुरू में कहा था the most impo tant factor for development is the will to develop तो विल जो लेकिंग है उसमें शक्ति लाना है । हमें एक्सटेन्सिव करना चाहिये । इसलिये मैं कह रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जो लेक कर रहे हैं we do not want to go into the heart of the problem. We do not want to prosper. आज हमारे यहां कोई काम होता है और वह पूरा नहीं हो पाता है तो हम जांच करेंगे कि क्यों नहीं होता है ? दूसरे कैसे करते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते ? Because there is not the will to develop, the determination to develop. We must have that objective before us. इसलिये आप इन्क्वायरी करें न करें, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम्प्रेशर काम में नहीं लाना चाहिये, जस्टिफाइ नहीं करना चाहिये, कमी है तो उसको मान कर उसकी जांच करनी चाहिये । We must try to improve it, try to remove it. कमी नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन जब कोई पोइन्ट आउट करता है कि एवरेज गिर रही है तो देखना चाहिये कि क्या बात है । If every thing is all right, then let it be all right. There is nothing wrong in exploring it, in probing into it. मैंने तो सिर्फ इस बात को उस टाइम भी डिमान्ड किया था और आज भी डिमान्ड करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, इर्रिगेशन के लिये इस सिलसिले में कह दिया । कम से कम राजस्थान केनाल और पोंग डेम पर खर्च होने वाले रुपये हैं उनको स्टेगर कर दें और उसको लेकर हमारा जो पोवर का सेक्टर है उसमें खर्च करें । इस बात को मान कर चलते हैं कि यह जो ६३ करोड़ है यह अभी कुछ देने वाला नहीं है । राजस्थान केनाल और पोंग डेम के लिये रखा है उसमें से कुछ पैसा लेकर पॉवर सेक्टर और इन्टेन्सिव कल्टीवेशन में लगावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । यह मेरा सजेशन है, निवेदन है, इसको मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वैसा मानते हैं कि अगर सदन की राय ली जाती है प्लान अनइलास्टिक नहीं रहेगा, इलास्टिक मान कर राय देते हैं । नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है । प्रायोरिटीज़ इनइलास्टिक हो जाय तो कोई मतलब नहीं रहता है । इसलिये मैं मान कर चलता हूं कि प्रायोरिटीज़ में चेन्ज़ेज हम कर सकते हैं । इसलिये मैं इस बात को निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : You will now please wind up.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir, I am winding up.

दूसरी बात मैंने देखी है, एक आइटम है, पेज नम्बर का पता नहीं है लेकिन १ लाख ७५ हजार रुपये रखे है पंचायत समितियों द्वारा प्रोपर्टी एक्वायर करने के लिये रखे हैं कोई फार्म वा इन्डस्ट्री चलाने की कोशिश करेंगे मैं कहूंगा कि इट इज नोट दी प्रोपर टाइम।

(श्री पी० के० चौधरी)

पंचायत समिति को अपने काम करने के लिये प्रोपर्टी एक्वायर कर सकते हैं । मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है इन रुपयों को इन्डस्ट्री या पॉवर में लगावेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी मान्यता है कि पंचायत समितियां प्रोपर्टी एक्वायर करके चलावें तो उनसे विशेष फायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि इस पैसे को पॉवर वगैरह में युटिलाइज़ करना चाहिये ।

दूसरी बात मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि वॉलेन्टियरी एसोसियेशन्स के लिये ५०.७५ लाख रुपये जाते हैं ट्राइबल या सोशियल वेलफेयर के अन्डर में । मैं मानता हूं कि इन एजेन्सीज़ के एलोकेशन को कम कर दिया जाय, कम से कम ५० पर्सेन्ट तो कम कर ही दिया जाय तो अच्छा है । वह पैसा प्रोडक्टिव प्रोग्राम में लगाया जाय क्योंकि वॉलेन्टियरी एजेन्सीज़ को एलोकेशन रखा है उनके बारे में मैं महसूस करता हूं कि उनको देना है तो जैसे एज्युकेशन का बजट है उसमें से दिया जाय । अगर कोई वॉलेन्टियरी स्कूल चलाता है तो एज्यूकेशन के प्रोपर बजट में से पैसा मिलना चाहिये । बोर्डिंग हाउस चलाना चाहते हैं, तो एज्युकेशन के बजट में से मिलना चाहिये । इसी तरह से सोशियल वेलफेयर के लिये कोई काम करना चाहते हैं तो उनको सोशियल वेलफेयर विभाग के प्रोपर बजट में से मिलना चाहिये न कि अलग से वेरियस ऑर्गेनाइजेशन्स मर्जी आवे जैसा चलावें, वैसा नहीं होना चाहिये । इस तरह का जो खर्चा होता है; जैसे अस्पृशयता निवारण के लिये ५ लाख रुपयों की मदद मिलती है या एलोकेशन है। अब अस्पृश्यता निवारण से कौनसा प्रोडक्टिव काम होगा ? इसलिये मेरा सजेशन है कि इस तरह का खर्चा वेरियस डिपार्टमेन्टस से ही किया जाय । स्कूल चलाना चाहते हैं या बोर्डिंग हाउस चलाना चाहते हैं या और वेरियस तरह के काम करना चाहते हैं तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के प्रोपर बजट में से दिया जाय ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे प्लान का एग्ज़ीक्यूशन है वह बहुत कुछ डिपेन्ड करता है इस पर कि हम कितना एफिशियेन्टली एग्ज़ीक्यूट करेंगे, कितनी कोशिश करना चाहते हैं एफिशियेन्टली करें । एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डिफरेन्ट डिपार्टमेंट्स डिफरेन्ट प्लेसेज पर लोकेटेड हैं, मैं निवेदन करूंगा कि डेवलपमेंट से सम्बन्ध रखने वाले सभी डिपार्टमेंट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जहां हैं वहां यानी राज्य के हैड क्वार्टर पर हों तो एग्ज़ीक्यूशन ज्यादा अच्छी तरह से होगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के विषय में काफी कहा जा चुका है....

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : बजट कहां है, थर्ड फाइव इयर प्लान है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): बहस से ऐसा अन्दाज होता है ;

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस विषय में काफी कहा जा चुका है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जैसा काश्त करने के बारे में और दूसरे उपायों के बारे में कहा है

(राव श्री नरेन्द्रसिंह)

वह भी विचारणीय है जिससे साढ़े तीन करोड़ की कमी पड़ती है। वह चाही जाय तो इस प्रकार के बहुत से छोटे मोटे सवाल हैं उनमें कमी हो सकती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो वे कर जो तय हो चुके हैं वे ही बढ़ाए जाये। जो कर हैं वे तो इसमें बढ़ सकते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि देखा जाय तो इस विषय में गवर्नमेंट की ओर से एक तो खास तौर से खेती के प्रसारण के लिए बिजली का आयोजन और दूसरा इर्रिगेशन का सुभीता है। इसके वास्ते काफी रकम खर्च करके सुभीता हुआ है। यह तो जरूरी बात है कि खर्च होना चाहिए, उससे ज्यादा हो रहा है और इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आखिर में जाकर, दो-तीन महीने आखिर में होंगे, उनमें वे लेप्स भी हो जायेंगी, जैसा सदा होता है। इससे टैक्सेज़ में कमी हो सकती है। मेरा निवेदन है यह बैक बोन रही है, खाली भारतवर्ष की नहीं, प्रत्युत राजस्थान की भी। तो ऐसी चीज के वास्ते जो आयोजन हुआ है और बार बार जैसे प्रश्न आते हैं, हमारी पंचवर्षीय स्कीम्स हो रही हैं, वहां दो स्कीम्स हो चुकी है, उनमें कई गलतियां रह गई हैं तो इनके वास्ते आखिरी सी स्कीम है, तो इसके वास्ते, आयोजन के वास्ते गवर्नमेंट को सोचने का मुकाम है। खेती के वास्ते देखा जाय तो यह आवश्यक होता है कि खेती के वास्ते नये नये तरीके काम में लाकर इसको बढ़ाने के वास्ते जैसा मेरे पहले माननीय सदस्य, जो फुलेरा से आये हैं, ने भी कहा कि बहुत सी चीजें, जैसे ईल्ड है उसमें वृद्धि नहीं हुई। यह सोचने की बात है कि किस प्रकार इसमें वृद्धि हो सकती है। तो इसमें मुख्य चीज जो है वह है एजुकेशन और वह है एग्रीकल्चरल एजुकेशन कि जिसको सबब से नये नये तरीके, नये नये साधन और नये नये प्रसाधन हों, उसके वास्ते इसका आयोजन हो सकता है। इसके लिए जैसा मैंने बीच में कई दफा निवेदन कर दिया है आज ऐसा मौका आ गया है कि इस मौके पर दोनों माननीय मन्त्री महोदय हैं, एक तो कृषि के मन्त्री महोदय और दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री....

श्री उपाध्यक्ष : जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रश्न ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बाज वक्त वे मौजूद नहीं रहते, आज दोनों मौजूद हैं। मैं सदा यह कहा करता हूँ कि उनमें जो कमी रखते हैं, मैं इसके लिए नहीं कहता, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि जो जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज है वह ही बढ़े। मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर और तीसरा कॉलेज अजमेर के अन्दर होने वाला है, इन सब का प्रसारण बढ़े, इसमें मुझे हर्ज नहीं है। मैं सदा थोड़ी बहुत इस बात के लिए प्रेरणा दिया करता हूँ और कहा करता हूँ इस मामले में काफी कटु राय रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी दूसरी राय बदल रहा हूँ और मैं यह कहूँगा, मैं आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूँगा कि मन्त्री महोदय जो कृषि के हैं, उन्होंने गये वर्ष के अन्दर काफी, जो बराबर का हिसाब है, रुपया रख कर मदद दी है, इसके वास्ते संस्था बारबार....

श्री उपाध्यक्ष : यह जगह संस्था की ओर से धन्यवाद देने की नहीं है।

रावत श्री नरेन्द्रसिंह : नहीं, मैं तो बजट का जो प्रश्न है, थर्ड फाइव इयर स्कीम का, इसके वास्ते निवेदन कर रहा हूँ और साथ ही मुझको तो कहना है, जैसा मुख्य मन्त्री को मैंने बार बार कहा है, इसकी तरफ त्रुटि न होनी चाहिये। लेकिन यह निवेदन है कि शायद वे भूल जांय, टाइम निकल जाय तो, लेकिन संस्था को कल ही देखा है, तो दिल पर जो देखी हुई चीज़ है और जो दूसरी संस्था है उनके कार्य और उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो मैं सोचता हूं, जहां तक मैंने स्टडी की है, मुख्य मन्त्री शायद जोबनेर कृषि कॉलेज़ को कल ही देख कर वन्डर स्ट्रक रहे हों जैसे उस संस्था के वास्ते कहा करता हूँ कि वाकई में कुछ न कुछ खूबियां जरूर हैं। तो ऐसे मामले के वास्ते और जो जो कमियें हैं, मुझे बलवती आशा है, इस बारे में दोनों मन्त्री महोदय यह चेष्ट करेंगे कि इसमें आगे प्रसारण में कोई कमी नहीं रहे। एक बात खास तौर पर यह निवेदन करने की है, इसमें प्रावधान यह रहा है, एक तो एग्रीकल्चर के वास्ते संस्थाओं का सवाल है। तो अलहदा युनिवर्सिटी का प्रश्न है। दूसरा यह प्रश्न भी होता रहा है कि जो विषय हैं, उनके लिए जैसी क्लाइमेट, लैंड की आवश्यकता होगी, वहां वे विषय हों, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ के लिए आयोजन और प्रबन्ध का सवाल है तो इस बारे में मुझे भ्रम होता है और मैं समझता हूँ कि दोनों मन्त्री महोदय इस चीज़ को कमी जिस समय खीच दें तो इसको दोनों नोट कर लें और उस समय क्लियर कर दें। ये दोनों संस्थायें हैं, तो अब इनके वास्ते आयोजन होना चाहिये इसको देखा जाय। यह कोई चीज़ नहीं है कि एक संस्था में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ चलाई जायं। जो संस्था ६ वर्ष से काम कर रही है और एक संस्था १२ वर्ष से काम कर रही है, एक संस्था ने किसी चीज़ का अवलोकन ज्यादा किया है, किसी का कम किया है तो वैसी हालत में आधे सब्जेक्ट्स एक जगह और आधे सब्जेक्ट्स दूसरी जगह

(३.२५ म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

रखें, जहां पोटेन्शियेलिटीज़ ज्यादा हों, जहां का सोइल इजाजत देता हो। जैसे जोबनेर के अन्दर देखा जाय तो जैसे डेयरी और एनिमल हस्बेन्डरी रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां काफी साधन हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां एन्ट्रोमोलोजी की रिसर्च लेबोरेट्री ऑलरेडी मौजूद है और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, इसके वास्ते व्यवस्था हो रही है। इन तीन सब्जेक्ट्स का वहां आयोजन हो तो मैं बुरा नहीं समझता। इसके अतिरिक्त दोनों संस्थाओं का भार कम हो जायेगा और न ही उदयपुर में भार बढ़ जायेगा। तो ये दोनों चीजें वहां हो सकती हैं। तीसरी बात यह है कि युनिवर्सिटी की जो स्थापना हो। तो इस बारे में यह दिक्कत थोड़े ही रहेगी कि एग्रीकल्चर की दूसरी क्लासेज़ हैं। वे बढ़ रही हैं, उनका क्या होगा। वे राजस्थान की युनिवर्सिटी से प्रभावित होंगी। ये सो कॉल्ड होंगी और कन्टेम्पलेटेड युनिवर्सिटी है, उसमें व्यवस्था होगी। मैं कहूँ, जैसा मैंने कई दफा कहा है, यहां कॉलेजें की जरूरत होती है। कौन कौन से डिग्री कॉलेज राजस्थान में हैं, इस विषय की लिस्ट में मैंने देखा है। जोबनेर एग्रीकल्चर

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

डिग्री कॉलेज है, जो बारह वर्ष से काम करता है, उसको लिस्ट में से बराबर भुला दिया जाता है। यह सोचने की बात है। यह तो नहीं हो जायेगा कि एक कॉलेज में डिग्री और पोस्ट ग्रेज्युएट की क्लास रह कर बाकी जोबनेर में इन्टरमीजिएट कॉलेज़ रख दिया जायेगा, स्टेट्स गिरा दिया जायेगा। वैसी हालत में आज जो इस बारे में इस तरह जोबनेर के अन्दर भी लोगों ने विशेष धन्यवाद दिया है, शायद फिर भी हम लोगों के वास्ते निवेदन करने का और फिर इस सदन में सवाल उठाने का मौका, मैं समझता हूँ, दोनों मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय, ऐसा ऑकेजन नहीं आने देंगे। दूसरी चीज़ जो इस समय बराबर चल रही है, लाइव स्टॉक के वास्ते, पशु–धन के वास्ते आगे बढ़ाने का हिसाब हो रहा है। यह चीज़ ऐसी है, छोटे मोटे दूसरे खर्च हैं, जैसे नाच, गाने वगैरह और दूसरी छोटी-मोटी चीजें आ जाती हैं मोर लग्ज़री देन 'नेसेसिटी' समझी जाती हैं। ऐसी चीजें हैं, इनके खर्चे को हटाया जाकर इस पर काम में लाया जाय तो मैं इसको ज्यादा उपयुक्त समझूंगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि यहां जो पॉवर है, पॉवर के लिये मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी बल दिया है कि अर्बन एरिया में इसको ज्यादा बढ़ावा दिये जाने के बजाय रूरल एरिया में भी इसको बढ़ावा दिया जावे, इसकी यहां पर भी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि जिन जिन हिस्सों में अभी बिजली आ रही है और आ गई है उसको लाइटनिंग की व्यवस्था भी न दी जाकर, संस्था के लिये भी बिजली न दी जाकर गांवों या टाउन के लिये भी उसकी व्यवस्था न दी जाकर ज्यादातर काश्तकारों को छोटे उद्योग धन्धों में उसको खर्च करना चाहिये, यह उनके लिये बहुत आवश्यक चीज है और इसके लिये काफी माननीय सदस्यों ने कहा है और इसके लिये मेरा भी यही कहना है।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। वे वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाले हैं। शुरू के आंकड़े दिये थे वे २ करोड़ २२ लाख रूपयों के थे। इसमें राजस्थान नहर के ४२ करोड़ और बांध के २८ करोड़ अलग थे। लेकिन विचार विनिमय के बाद इन दोनों योजनाओं को इसमें कटौती करते हुए जो एक योजना मंजूर राजस्थान के लिये की है वह २३६ करोड़ रुपयों की है। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि दरअसल जो प्रारंभिक आंकड़े थे राजस्थान केनाल के वे आज भी अगर अलग रखे जावें और उसका पैसा सिवाय राजस्थान को मिले तो हम इसमें काफी प्रगति कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि योजना बनाने का लक्ष्य है, दो योजनाएं हम पूरी कर चुके हैं और तीसरी योजना में प्रवेश कर रहे हैं। दो योजनाओं में हमने खेती, एग्रीकल्चर, इर्रिगेशन में काफी जोर दिया है और प्रगति की है। कई ऐसे बांध बने हैं और लाखों बीघा जमीन नई तौर से सिंचाई के अन्तर्गत ली गई है उससे हमने कम से कम इतना किया है कि हमारे यहां की आवश्यकता है, खाद्य सामग्री को हम पैदा कर चुके हैं और राजस्थान केनाल जब बन जावेगी तब उससे राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में भी हम यहां का

(श्री तेजमल बापना)

अनाज दे सकेंगे, इसकी बहुत बड़ी आशा है और इस बात पर जोर देने के लिये काफी गुंजाइश है कि राजस्थान केनाल के खर्चे को भारत सरकार को ही बर्दाश्त करना चाहिये ।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, हम कितनी तरक्की कर पाये हैं और कितने आगे बढ़े हैं और कितने बढ़ रहे हैं, इस पर सोच विचार करने का यह अवसर है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो योजना हम बना रहे हैं और जिस पर हम आगे बढ़ने के लिये तत्पर हो रहे हैं, हम यह सोचते हैं कि दर असल राजस्थान के जो हमारे यहां के निवासी है हमारे यहां की आवश्यक मूलभूत चीज है जीवन-निर्वाह करने के लिये खाद्यान्न; उसकी कीमत में कितनी हम कमी करसके हैं । इस तरफ जो आज हम देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन इतना बढ़ने के बाद भी कीमतों में परिवर्तन नही हुआ और जो जन—साधारण हैं उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रहा है और काफी हार्ड स्ट्रगल हो गया है और कीमतें काफी बढ़ रही हैं । यदि हम इन बढ़ती हुई कीमतों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम कर सकें तो हम देखेंगे कि वास्तव में हमने जन साधारण को बहुत सहूलियतें दी हैं ।

मैं, दूसरी बात, सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में खेती के लिये और सिंचाई के लिये काफी गुंजाइश है । इस प्लान का आधा से ज्यादा यानी २३६ करोड़ में १३१ करोड़ केवल सिंचाई के लिये रखा है । सिंचाई के साथ साथ हम आज राजस्थान की हालत देखते हैं कि यहां पर ८० प्रतिशत हमारे यहां ग्रामीण ऐसे हैं जो अपना जीवन निर्वाह काश्त पर करते हैं । बहुत से तो केवल एक ही फसल ले सकते हैं और जहां सिंचाई के साधन हैं वहां पर दो फसलें ले सकते हैं । फिर भी बहुत सा जनशक्ति का समय हमारे यहां बेकार जाता है । उनके लिये क्या हम इस प्रकार की योजना बना सकते हैं कि जो जन-शक्ति बेकार पड़ो रहती है उसका उपयोग हम कर सकें ? इसके लिये सभापति महोदय,हमको लघु उद्योग की योजना है उसको कार्य रूप में परिणत करना पड़ेगा । आज इसकी बहुत बड़ी कमी है और इसके लिये बहुत बड़ी कमी है वह पॉवर की और बिजली की है ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की आज योजनाएं उद्योग विभाग से होनी चाहिये, ग्रामीण जनता में जो आज चेतना होनी चाहिये और काम होना चाहिये हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार के लघु उद्योग ग्रामीण जनता में राजस्थान के किस किस हिस्से में लागू किये जा सकते हैं । आज मेरा तो ऐसा ख्याल है कि उद्योग विभाग इस सम्बन्ध में सचेत नहीं है और न काफी सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है ।

हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त होने आवेगी और तब हम देखेंगे कि लघु उद्योगों में हम कितनी तरक्की कर सके हैं और अग्रसर हुए हैं, कितनी हमने हमारी जन—शक्ति को काम में लगाया है, किस प्रकार के लघु उद्योग प्रत्येक जिले में खोले जा सकते हैं । ये तो राजस्थान सरकार से प्रत्येक जिलेवार होंगे ही । तब हमें

(श्री तेजमल बापना)

मालूम होगा कि किस प्रकार जिलावाइज़ योजना कार्यरूप में परिणत होने वाली है ।

जहां तक बिजली का ताल्लुक है मैं यह कहूँगा कि जो प्रगति बिजली के फैलाव के लिये हो रही है वह बड़ी चिन्ताजनक है । मुझे चम्बल डेम पर जाने का अवसर मिला । मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि राजस्थान केवल दो हजार किलोवाट बिजली काम में ले रहा है जब कि एक जेनरेटरसेट वहां पर काम कर रहा है; जब कि स्कोर १०, २०, २५ हजार किलोवाट का है । दूसरे प्रान्त १२ या १३ हजार किलोवाट ले रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या हम सोचते हैं कि इस माने में जो बिजली हमारे लिये उपलब्ध है और हम उसको कितना काम में लेते हैं ? हमको ज्यादा से ज्यादा इसका फैलाव करना चाहिये । इस पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि भेदभाव जो गरीब और अमीर में है उसको मिटावें । आज की जो इस सम्बन्ध में स्थिति है हम देखते हैं कि आज भी बड़ा भेद अमीर और गरीब का है, ग्रामीण और शहर का बड़ा भेद है । इसको मिटाने की हम किस प्रकार की योजना रखते हैं ? भारत सरकार भी सोचती है कि ग्रामों और शहरों का भेद है वह कम हो और शहरों और गांवों में अधिक अन्तर नहीं रहना चाहिये । जो प्रमुख हैं उनको कस्बों से हम जोड़ना चाहते हैं और उनको जोड़ने का यातायात का साधन है । और उसको जोड़ने के लिए हमारे पास यातायात के साधन हों, संचार के साधन हों और सड़कों का निर्माण हो, वह बहुत जरूरी है । इसी प्रसंग में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जो रकम सड़कों के सम्बन्ध में रखी गई है वह बहुत कम है । हमारे यहां की जो योजनायें हैं उनमें कटौती तो की है । जहां २३६ करोड़ की योजना बनी है उसमें कमी करना स्वाभाविक था पहले के बनिस्बत, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं उनकी ओर हमको जरूर ध्यान देना पड़ेगा । एक तहसील हैडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जोड़ना है और एक गांव को पास के किसी कसबे से जोड़ना आवश्यक है ।

आज हम देखते हैं कि जब से राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है लोगों में काफी चेतना आई है और लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए और अपनी प्रगति करने के लिए काफी सक्रिय हुए हैं । एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि हमने सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं । भीलवाड़ा, मांडल और आसपास के क्षेत्र में लाखों टन गन्ना पैदा हो रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है । साधारण किसान आज मारा मारा फिर रहा है, उसका गन्ना लेने वाला कोई नहीं है । उस गन्ने का आज वहां पर उपयोग नहीं हो रहा है । कभी करेड़ा फैक्टरी से मिलाये जाने का सोच रहे हैं, कभी जावरा फैक्टरी को गन्ना देने की कह रहे हैं, रात–दिन किसान लोग गन्ने को बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वे परेशान हो रहे हैं और उनका गन्ना आज तक कोई लेने वाला नहीं है । उनका गन्ना आज उपयोग में नहीं

(श्री तेजमल बापना)

लाया जा रहा है। सभापति महोदय, एक ओर तो हम लोगों को उत्पादन बढ़ाने की बात कहते हैं और लोग उत्साह के साथ इसमें जुटे हुए हैं, जहां एक ओर हम जन-सहयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेने जा रहे हैं, दूसरी ओर जब इस प्रकार से उत्पादन हो रहा है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह स्थिति वास्तव में बड़ी सोचनीय है; इसलिए कि कहीं किसान लोग निरुत्साहित न हो जायं, वे इस बात से निरुत्साहित न हो जायं कि जहां हम उनको उत्पादन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उसके लिए वे कोशिश कर रहे हैं और उनका गन्ना आज लेने वाला कोई नहीं और इस असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। इससे उनमें निरुत्साह उत्पादन की ओर पैदा होता है।

एक निवेदन करना चाहता हू सड़कों के बारे में। एक तहसील को उसके डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जोड़ने की बात है। मैं आपको बताऊं कि कटोड़ी तहसील है। २० मील का टुकड़ा है, अर्थ वर्क कम्प्लीट हो चुका है। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसको रखा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उसके लिए ५० हजार रुपया रखा है, २० मील की सड़क के लिए रखा है। दो मील ही वह पूरी होगी और आगे यह सोचने की बात है। जो काम कम्पलीट होने वाले थे, तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से दो योजनायें पूरी हो जाने के बाद भी जोड़ा न जा सके तो यह एक सोचने का विषय है।

सिंचाई के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भीलवाड़ा में काफी सिंचाई योजनायें बनीं, काफी जमीन सिंचित हो रही है। बनास नदी पर अमर बांध बांधने की स्कीम थी। वह स्कीम थी लेकिन उसको अब कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। यह बताया गया था कि बनास पर तीन-चार छोटे छोटे बांध बनेंगे जिससे वहां के पानी को काम में लाया जा सके। कहां हैं वे योजनायें ? यह आवश्यक है कि उत्पादन में कमी हो रही है और वे बांध बनने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब योजनायें बनती हैं तो यह कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस योजना को पहले लेना है और उसके लिए ध्यान देना आवश्यक है। आज हम सहयोग देना चाहते हैं, शहरों और गांवों का भेद मिटाना चाहते हैं, ग्रामों में शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, डॉक्टरी और आयुर्वेद चिकित्सालय ग्रामों में भी देना चाहते हैं। बहुत कुछ चर्चा उनके सम्बन्ध में सदन में हुई है। दरअसल आज आयुर्वेद विभाग को बढ़ाने के लिए हमें काफी जोर देना है, काफी सचेत रहना है और काफी ध्यान देना है। उसमें जो प्रारम्भिक आंकड़े रखे गये हैं; काफी कम करके, केवल ७० लाख रुपया रखा गया है। यह सोचने का विषय है कि इससे हम कितनी आयुर्वेद की प्रगति कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मन्त्री महोदय ने एक-दो साल में कई हॉस्पिटल्स खोले हैं। कई ग्रामों में खोलते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उनको खोलने के बाद यह देखते हैं कि ग्रामों में डॉक्टर पहुंचते नहीं हैं। ग्राम वालों को चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद को प्रोत्साहन दें। आयुर्वेद के वैद्य गांवों में खुशी से जा सकते हैं, काफी तरक्की कर सकते हैं, फैलाव कर सकते हैं, जनता को सहयोग दे सकते हैं और फायदा पहुँचा सकते हैं।

(श्री तेजाराम बापना)

इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि दरअसल आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ और रुपया निर्धारित करके उसको आगे बढ़ायें तो बहुत अच्छा होगा।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि किसी योजना को सफल बनाने के लिए शासन तन्त्र को स्ट्रिक्ट करना बहुत आवश्यक है। आज जन-साधारण काफी टैक्स देता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में २० करोड़ रुपये के नये टैक्स भी लगाने हैं। कोई हर्ज नहीं, जन साधारण टैक्स देने से परेशान नहीं है, टैक्स देने के लिए तैयार है! किन्तु यह उसका अधिकार है कि जो पैसा आज जन-साधारण देता है उसका सही उपयोग हो। हम इस ओर ध्यान दें कि जो पैसा सरकार के खजाने में जन-साधारण से टैक्स के द्वारा आता है वह सही माने में वितरित होता है क्या, उसका सही उपयोग होता है क्या। बड़ा खेद है, सभापति महोदय, आज यह चर्चा का विषय है और उसमें तथ्य भी हैं कि किसी योजना के लिए पैसा निर्धारित किया गया है, उसका बहुत बड़ा भाग उसके काम में नहीं लाया जाता है। यह मोरल डिग्रेडेशन है। शासन को सचेत होकर कड़ाई से काम करना है। मन्त्री महोदय, विभाग के जो संचालक हैं, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनके यह देखने की बात है कि कहां पैसा बेकार जा रहा है, कहां पैसा पूरा नहीं लग पा रहा है। उसकी ओर आज नहीं देख पाते हैं। जहां पचास लाख रुपया निर्धारित करते हैं और २५ लाख का भी खर्चा नहीं हो सकता, योजना पर खर्चा नहीं हो सकता; त फिर जन-साधारण के लिए यह सोचने का विषय हो जाता है कि उनके पैसे का सही रूप में उपयोग नहीं हो रहा है और क्यों पैसा दिया जाय? इस चीज को मिटाने के लिये शासन तन्त्र को सचेत होना है। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई। उस वक्त यह कहा जाता था कि यह साधारण सी बात है और इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन आज करप्शन काफी बढ़ता जा रहा है। मैं किस विभाग का नाम बताऊं सभापति महोदय, आज कोई भी विभाग इस सम्बन्ध में अछूता नहीं है। यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जीवन ही अछूता नहीं है।

श्री तेजमल बापना : जीवन अछूता नहीं है तो उसके लिए आप और हम सब जिम्मेदार हैं। टैक्स देना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं इसी प्रसंग में माननीय सभापति महोदय, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पैसा जिस काम के लिए निर्धारित करते हैं, जन-साधारण से लेते हैं उसका सही उपयोग कर पायें तो मैं विश्वास करता हूं कि बहुत बड़ा काम यहां कर पायेंगे। इसके साथ साथ जहां शासन-तन्त्र को सचेत होने का है वहां जन-साधारण को भी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जो शहर के नागरिक हैं और जो गांव के निवासी हैं उनमें आपस में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। आज एक साधारण गांव में रहने वाला व्यापारी, दूकान करने वाला व्यवसायी, उसको आज इस व्यवस्था में १०-१२ लाइसेन्स लेने पड़ते हैं, तरह तरह के हिसाब बताने पड़ते हैं। आज

(श्री तेजमल बाफना)

एक्साइज़ इन्सपेक्टर आता है तो कल सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर आता है । इस तरह से उसमें बाकी तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन परेशानी बहुत उठानी पड़ती है । हम टैक्स लें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ राहत तो उनको दें । इसके लिये मालूम हुआ है कि सरकार सचेत है और जितनी भी लाइसेन्सिंग ऑथोरिटीज़ हैं उनके विभाग अलग अलग न करके उनको सीमित किया जा रहा है । इस तरह से एक व्यापारी को दो या तीन लाइसेन्स दिये जायं उससे उसकी काफी परेशानी मिटेगी और वह कुछ राहत का अनुभव कर सकेगा, वर्ना वह पैसा देने से जितना परेशान नहीं है उतना परेशान वह विभागीय अधिकारियों से है । वे जिस प्रकार से उसको परेशान करते हैं उससे वह ज्यादा परेशान है । इस ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जायेगा, मैं इस बात की उम्मीद करके चलता हूं ।

इसके साथ साथ हमें तृतीय योजना काल में शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है । इस बार सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई उससे मुझे बड़ा अफसोस है । आज शिक्षा विभाग भी इन बुराइयों से अछूता नहीं रहा है । आज शिक्षा को जितना महत्व दिया जाने वाला है उतना अन्य किसी चीज को नहीं दिया जा सकता और यह दिया जाना भी चाहिये । जनतन्त्रीय प्रणाली का मूलभूत आधार शिक्षा पर ही रहता है । हम किस प्रकार की शिक्षा दें, किस प्रकार हम अपने भावी नागरिकों को तैयार करें, यह सब शिक्षा पर ही निर्भर करता है । आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भाग बालकों की शिक्षा से वंचित है । क्या हम तीसरी योजना में इस बात को तय कर सकेंगे कि कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूप से बालकों को दे सकें ? सरकार को चाहिये कि वे इस बात का फैसला कर लें कि ६ से ११ वर्ष तक के बालक और बालिकायें शिक्षा से वंचित न रहने पावें । इस प्रकार का हमको निर्णय लेना है । इसके साथ साथ जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखना है कि शिक्षा के मामले में दरअसल आज जो पद्धति है वह ठीक है या उसमें सुधार की आवश्यकता है । आज हम देखते हैं कि जो भी बालक पाठशालाओं से, स्कूलों से, कॉलेजों से निकलते हैं उनका मानस नौकरी की ओर जाता है । आज भारतवर्ष गुलाम नहीं, स्वतन्त्र है, स्वाधीन है, अपनी एक अलग प्रणाली रखता है । हमें अपना आवश्यक उत्पादन बढ़ाना है, कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने हैं । क्या हम इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जिससे जन-मानस इस प्रकार का बने कि उनका दिमाग नौकरियों से हट कर उत्पादन की ओर आगे बढ़ सके । इस प्रकार से जन मानस को बदलना होगा । इन्डस्ट्रीज़ में हम उनको लगायें, इससे हमें और हमारे देश को बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है । कल ही सदन में शिक्षा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का समावेश किया जाय, इस बारे में काफी चर्चा हुई थी । शिक्षा पद्धति में हम इस प्रकार का परिवर्तन करें ताकि उसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा मिल सके । मैं समझता हूँ कि यह होना जरूरी है । दरअसल नैतिक दृष्टि से हम बहुत कुछ गिर गये हैं, न केवल दूसरे क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी इसकी भारी कमी हम अनुभव करते हैं । हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का नैतिक बल बढ़े । जहां

Page No.92

(श्री तेजमल बापना)

तक धार्मिक पद्धति का सवाल है मेरा मतलब न किसी पर्टीक्युलर धर्म से है, मेरा मतलब केवल मानव धर्म से है और वही होना चाहिये। जन-साधारण को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उसके अपने उसूल हैं वे तो कम से कम मूलभूत बातें मालूम होनी चाहिये। इसी बात को लेकर हम शैक्षणिक क्षेत्र में चलें। इसका हम प्रसार कर पाते हैं तो देश की काफी सेवा हम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो जो योजनायें हैं उनके अनुसार जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको बराबर करना चाहिये और जो क्षेत्र बढ़ गये हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। वहां के उत्पादन को हम किस प्रकार से काम में ला सकते हैं, वहां के जन मानस में उत्पादन की क्या क्षमता है, हम उसको किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकते हैं, लोगों में उद्योगों के प्रति किस प्रकार से रुचि बढ़ सकती है, इस ओर जब हम ध्यान देंगे तभी हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय सभापति महोदय, तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए और उसके अभिन्न अंग जो स्टेट्स हैं उनके विकास और समृद्धि के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के लक्ष्य निर्धारित किये जावें और वहां के नागरिकों को यह तय करना है कि हम किस प्रकार से उनका विकास करना चाहते हैं, किस तरीके से हम प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं। उस सम्बन्ध में पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टिकोण से हम राजस्थान की तृतीय योजना को देखते हैं तो इसके लिए २३६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह हमारे लिए संतोष का विषय हो सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं को इस तरह से हम अगर राजस्थान के लिये राष्ट्र की होरोस्कोप (Horoscope) कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसमें सिर्फ केवल अन्तर इतना ही रहता है; एक तो ज्योतिष के आधार पर, कल्पना के आधार पर भविष्य बनाता तो दूसरा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा वास्तविकता के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करता है। यहां हम राजस्थान के लिए २३६ करोड़ रुपया तीसरी योजना को पूरा करने के लिए रख रहे हैं। इस योजना के पूर्ण होने से राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, यह सब इस योजना में निर्धारित कर दिया गया है। हम इसके साथ साथ दूसरी स्टेट्स का कम्पेरिज़न करते हैं तो जहां राजस्थान पर प्रति व्यक्ति १४७.५० रुपया प्रति व्यक्ति पर खर्च किया जायेगा, यह इस बात का संकेत करता है कि हमारे यहां के निवासियों पर सबसे ज्यादा खर्च किया जायेगा। अगर हम इस योजना में से राजस्थान नहर और पोंग डेम के खर्चे को निकाल देते हैं तो वह खर्चा १८ रुपया प्रति व्यक्ति रह जाता है। इस दृष्टिकोण से राजस्थान का नम्बर ६ वां आता है। इसके साथ साथ इस पुस्तिका के अन्दर जो सारिणी दी गई है उसको देखने से मालूम पड़ेगा कि राजस्थान में जहां

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

प्रति व्यक्ति खर्चा १८ रुपया आता है उस दृष्टिकोण से राजस्थान ६ वें नम्बर पर आता है और राजस्थान नहर और पोंग डेम के खर्चे को भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति पर खर्चा होता है वह सर्व प्रथम आता है। इसके साथ साथ हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जहां दूसरे प्रान्तों में जो राज्यों द्वारा बढ़ाये जाने वाले साधन हैं उसका पर्सेन्टेज लगावें तो मालूम होगा कि राजस्थान को जो केन्द्रीय सहायता मिली है उस दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान छठा आता है। इसी तरह से बढ़ाये जाने वाले करों को ध्यान में रखते हुए देखा जाय तो राजस्थान का स्थान पांचवा आता है : राजस्थान को केन्द्र से जो सहायता मिली है और अन्य राज्यों को जो सहायता मिली है उसमें हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जम्मू और काश्मीर को सहायता दी गई है । यह ठीक है कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति दूसरी प्रकार की है, उसके पश्चात् दूसरा नम्बर उड़ीसा का आता है जिसको केन्द्र द्वारा १३२.० करोड़ की सहायता दी गई है । जम्मू और

४.० म० प०

काश्मीर की स्थिति दूसरी है । इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो उड़ीसा का स्थान सर्व प्रथम आता है । उसके बाद आसाम का स्थान आता है जिसका रेश्यो है उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है जिसका रेश्यो १:२:३१ है। उसके बाद मध्य प्रदेश,का स्थान है उसके बाद में राजस्थान को स्थान मिलता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केन्द्र द्वारा राजस्थान को जो सहायता मिलनी चाहिये उसमें उसके साथ न्याय नहीं किया गया है । यह दूसरे प्रान्तों को दी जाने वाली सहायता को देखने से मालूम पड़ता है। पहले देशी राज्यों के होने से जितनी राजस्थान की तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हो पाई है । पिछड़ा हुआ प्रान्त होने के नाते केन्द्र को जितनी सहायता देनी चाहिये वह सहायता इसे नहीं मिली है ।

इसके साथ साथ, राजस्थान में अपने करों से और दूसरे साधन जुटाने के लिहाज से इसका हिस्सा पांचवां है । उत्तर प्रदेश को २३ पर्सेन्ट साधन जुटाने पड़ेंगे । इस दृष्टिकोण से राजस्थान को हानि हुई है ।

इसके अलावा और भी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जहां इर्रिगेशन और पॉवर के आंकड़े हम देखते हैं तो पहली योजना में जहां कि ६५८ लाख था और जिसका पर्सेन्टेज़ करीब ६१ आता है वहां दूसरी योजना में पर्सेन्टेज ४३.१० पर्सेन्ट आया और इस तीसरी योजना में अमाउन्ट को देखते हुए ३२.६१ पर्सेन्ट ही रह जाता है । जब कि दूसरे राज्यों का ४० पर्सेन्ट के करीब हमें मिला है । इस तरह पॉवर और इर्रिगेशन के लिये हमें कम पैसा मिला है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : आपने ये फिगर्स कहां से लिये हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैंने तो ये फिगर्स इससे(एक पुस्तक बताकर) लिये हैं । तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि राजस्थान को जो उचित न्याय मिलना चाहिये था वह नहीं मिला ।

और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब

Page No.94

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

हम इन्डस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें करीब १२ करोड़ हैं। ठीक है। परन्तु इसके लिये भी पॉवर की आवश्यकता रहेगी और अगर इस आवश्यकता को देखते हैं तो जितनी धन राशि मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलने के कारण हम पिछड़े हुए पहले से ही हैं, अब और भी पिछड़ जावेंगे, आगे नहीं बढ़ पावेंगे। यहां के निवासी उद्योगपतियों ने बाहर जा कर दूसरे राज्यों में वहां के उद्योगों को बढ़ाया है। परन्तु आवश्यकता आज इस बात की है कि राजस्थान के ये उद्योगपति राजस्थान में भी आएं और आकर यहां के उद्योग वृद्धि में अपना हाथ बटावें। राजस्थान सरकार भी अपना कर्त्तव्य समझे और कुछ कदम ऐसे उसे उठाने चाहिये कि वे इस तरफ आ सकें। मैं जानता हूँ कि सरकार इस ओर सतत् प्रयत्नशील है। पर फिर भी आज आवश्यकता इस बात की है कि वे लोग भी इधर आवें, उनको भी आकर्षित किया जाय।

परन्तु श्रीमान्, इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब तीसरी योजना का प्रारूप इस सदन में रखा गया था उस समय यह विश्वास दिया गया था कि हम राजस्थान की सर्वांगीण उन्नति की अभिलाषा रखते हैं। हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक हिस्से का, प्रत्येक जिले का सर्वांगीण विकास करना चाहिए व हर तरह से उनका उत्कर्ष होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से अजमेर को जब देखते हैं तो कहना पड़ता है कि अजमेर के साथ उतना न्याय नहीं हुआ जितना होना चाहिये था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : दो करोड़ का पानी मिल गया।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं आपको पेज ६ पर इर्रिगेशन और पॉवर के लिये कह रहा था। उसके सिलसिले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कॉलम तीन में लिखा है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आपने ३२.६१ प्रतिशत कहां से लिया? इसी पेज ६ पर आप देखें। दूसरी रियायतों का ४० प्रतिशत है और राजस्थान का ५१.२७ प्रति शत आता है। कुल धन राशि १२१ करोड़ रुपया है। यह ५१.२७ प्रति शत है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : वह मूल प्रस्तावित रकम से मैंने ले लिया है। तो श्रीमान्, मैं अजमेर के सम्बन्ध में कहना चाहता था कि दूसरी योजना में अजमेर जिले के लिये ७॥ करोड़ रखा गया था। इसमें से जून ६१ तक ३,८१,१७,०००) खर्च हुआ है। अजमेर में लगभग ५८ प्रतिशत योजनाओं में कुल धन-राशि खर्च की गई और जब कि सारे राजस्थान में ६६ प्रति शत खर्च किया गया है; जब कि अजमेर के इस खर्चे में किशनगढ़ भी शामिल है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): किशनगढ़ को आपने कितना दिया?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसके अलावा इस दृष्टिकोण से....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ब्यावर को बचा कर किशनगढ को भी देने की कृपा करें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : खास तौर से बिजली में एक करोड़ था, वह खर्च नहीं हुआ। आप यह कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है इसकी वजह से देरी हो रही है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी मुकदमा करवाने की कोशिश से हो सकता है, नहीं तो अदालतों में तो केस दबे रह जाते हैं वर्षों तक। अगर आपका एडवोकेट जनरल कोशिश करे और पीछा करे केस का तो मुकदमा जल्दी भी लिया जा सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : पीछा करने का तरीका भी बता दें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: यह आप ज्यादा जानते हैं मुझ से। तो मैं बिजली के लिये कह रहा था। कहा गया था कि ६१-६२ में अजमेर को चम्बल की बिजली दे दी जावेगी। यह बात राजस्थान सरकार ने फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को एक पत्र दिया उससे जाहिर हुई। ब्यावर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने अपने मौजूदा प्लान्ट को बढ़ाने के लिये कॉर्पोरेशन से रकम मांगी थी और सरकार को लिखा था कि पैसा वहां से दिलाए। इस पर कॉर्पोरेशन ने लिखा कि हम तुमको रुपया नहीं दे सकते क्योंकि राजस्थान सरकार ६१-६२ में ब्यावर को चम्बल की बिजली दे रही है। इसलिये तुम्हें वर्तमान पॉवर हाउस के विकास की आवश्यकता नहीं है। मैं कह देना चाहता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा आज भी ब्यावर नागरिकों को बिजली की हाई रेट देनी पड़ रही है। ९ आना यूनिट डॉमेस्टिक पर्पज़ के लिये और ५ आना यूनिट इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये उनको देनी पड़ रही है। इसे देखते हुए ब्यावर को चम्बल की बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है। वहां राजस्थान में सबसे ज्यादा उद्योग हैं। जितने उद्योग वहां हैं, राजस्थान के अन्य किसी नगर में नहीं मिलेंगे। इसलिये वहां के लोगों को ज्यादा आवश्यकता है। परन्तु अभी ब्यावर की म्युनिसिपैलिटी को भी सरकार ने एक पत्र लिखा है उससे मालूम हो रहा है कि १९६५ के अन्दर चम्बल की बिजली ब्यावर को मिलेगी। कॉर्पोरेशन ने लिखा, ६१-६२ में मिलेगी और अब ६५ की बात सरकार कह रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरी यह प्रार्थना है कि राजस्थान सरकार अपनी पहली बात को देखते हुए ६१-६२ में ही चम्बल की बिजली ब्यावर को दे दे। इसके साथ ही साथ यह ठीक बात है कि जहां प्लान के खर्चों को देखते हैं तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अजमेर जिले के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ के करीब खर्च हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ ७४ लाख रुपये खर्च हुए। जब कि पहली पंचवर्षीय योजना में उसके लिए करीब ४ करोड़ १ लाख ६ हजार रुपया था तो इस प्रकार से ९६ पर्सेन्ट जो कि पहली योजना में धनराशि थी वह खर्च की गई। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में पर व्यक्ति जहां अजमेर जिले के लोगों को १०५ रुपया मिला वहां दूसरी योजना में जहां राजस्थान में सब नागरिकों का पर केपिटा देखें तो ६५ रुपया प्रति व्यक्ति आता है; वहां अजमेर जिले के नागरिकों को पर व्यक्ति केपिटा मालूम करते हैं तो १०५ रुपया मिलता है। यदि उसी रेश्यो से यह पैसा अजमेर जिले के प्रति व्यक्ति को मिलता तो मेरे ख्याल से उसमें २३६ रुपया प्रति

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

व्यक्ति होना चाहिए था जब कि सारे राजस्थान में प्रति व्यक्ति १४७. ५० आता है। तो अजमेर जिले में जो टेम्पो विकास का बना है उस टेम्पो को उसी दृष्टि से कायम रखना चाहिए। परन्तु राजस्थान के अन्य जिलों का औसत प्रति शत १६.६१ है वहां अजमेर जिले को केवल १३. ५४ है। इसी तरह से मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि जो अभी राजस्थान के फिगर्स आये उनसे मालूम होता है कि अजमेर जिले में सबसे ज्यादा लिट्रेसी है और वे फिगर्स २४ पर्सेन्ट आते हैं। जितनी साक्षरता अजमेर जिले में है उतनी साक्षरता राजस्थान में कहीं नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि उस शिक्षा के टेम्पो को जो वहां बना हुआ है उसको कायम रखने के लिए जो तीसरी योजना में एक युनिवर्सिटी का प्रावधान रखा है उसके वहां खोले जाने की व्यवस्था की जायेगी। मैं समझता हूं उस जिले के लोग इतने साक्षर हैं और वहां इतनी साक्षरता बढ़ी हुई है कि न्याय के नाते भी इसको आवश्यकता है कि वह युनिवर्सिटी किसी और स्थान पर कायम नहीं करके अजमेर में ही कायम की जाये और वैसे भी अजमेर के गौरव को बनाये रखने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार कहा है। मैं आशा करता हूं कि उस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर में जो यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग होगी वह ज्यादा नहीं होगी; क्योंकि वहां पर हायर सेकन्डरी बोर्ड को भी रखे जाने की बात थी और वह भी वहां अभी तक नहीं रखा है। इसलिए यूनिवर्सिटी की मांग वहां के लिए न्यायोचित है और इस दृष्टिकोण से भी उचित है कि वहां पर विकास के कार्य का और शिक्षा के कार्यों का इतना टेम्पो है तो उस टेम्पो को रखने के लिए भी यह जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तीसरी योजना में वह इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जायेगी कि वहां पर शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : शायद जोधपुर के लिए तय कर दिया है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप जिस चीज को तय करते हैं उसकी आवश्यकता को देख कर ही तय करते हो। इसीलिए आप न्यायोचित बात को देख कर वहां के लिए भी तय कर सकते हैं। यह बात कोई नई नहीं है। इसके अलावा जो भी योजनायें तीसरी योजना में पूरी करने के लिए बनाई गई हैं वे अन्तिम नहीं हैं, उसमें समय समय परिवर्तन होता रहता है। Plan flexible है। जिस समय चाहें आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किसी कार्य के औचित्य को देखते हुए उसको दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। हमारी योजना फ्लेक्सिबल होती है इसीलिए नागरिकों की ज्यादा मांग को ध्यान में रखते हुए और इन्साफ को ध्यान में रखते हुए उसको बदला जा सकता है और इसी दृष्टिकोण से हमारा जो प्लान है यह कोई लॉ के रूप में हमारे सामने नहीं आया है; बल्कि प्रस्तावना के रूप में आया है और उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है।

इसी प्रकार श्रीमान्, वहां इस बात को

Page No.97

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आज जहां हम छोटे छोटे उद्योग और बड़े बड़े उद्योग लगाने जा रहे हैं वहां यह बात हमको माननी पड़ेगी कि जो राष्ट्र के समस्त उद्योगों का प्रारूप हम देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर में राजस्थान को जितना उचित स्थान केन्द्रीय सरकार की ओर से मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। केन्द्र की तरफ से राजस्थान के साथ इस माने में अन्याय हो रहा है कि जैसे बड़े बड़े दूसरे उद्योग दूसरे दूसरे प्रान्तों में लगाये जा रहे हैं वहां राजस्थान में नहीं लगाये जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बात के लिए अवश्य प्रयत्नशील है और मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बड़े उद्योग दूसरे प्रान्तों में लगाये जा रहे हैं तो उनका उचित भाग यहां भी लगना चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, मैं समझता हूं। यहां के लोगों में केन्द्र के प्रति यह भावना है कि केन्द्र हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो यहां के लोगों के औचित्य को स्वीकार कराने के लिए मुझे आशा है कि राजस्थान सरकार प्रयत्न करेगी कि बड़े बड़े उद्योग जो दूसरी जगह खोले जा रहे हैं वे कम से कम राजस्थान को भी ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि राजस्थान को बड़े बड़े उद्योगों में स्थान दिया जाये ताकि यहां के निवासियों के लिये रोजी का सामान जुटाया जा सके।

इसी प्रकार से श्रीमन्, आपने मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया है; लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यदि आपने अजमेर को केपिटल नहीं बनाया तो अन्य तरीके से उसके महत्व को बनाये रखें वह आज का विषय नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप तीसरी योजना में एक और मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो उसके लिए अजमेर में सारे साधन विद्यमान हैं और उसके लिये अजमेर पूरी तरह उपयुक्त स्थान है। अगर मैडिकल कॉलेज़ बनाते हैं तो उपयोगी रहेगा। क्योंकि यह राजस्थान के केन्द्र में है। इसी तरह से श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी योजना में ब्यावर के एस० डी० कॉलेज के लिये ६ लाख रुपये थे परन्तु उसमें से केवल ३ लाख रुपये ही खर्च हुए बाकी का पैसा सारा लैप्स हो गया। जब दूसरे स्थानों पर विकास हो रहा है वहां ब्यावर कॉलेज में एम० ए० की हिन्दी और इंगलिश की क्लासेज़ तोड़ दी गई मेरी प्रार्थना है कि अगले सत्र से हिन्दी जो कि राष्ट्रभाषा मान ली गई है और उसकी तरक्की करना सब का कर्त्तव्य है वहां पर पुनः ये क्लासेज़ खोल दी जायें और संस्कृत का विषय भी एम० ए० में पढ़ाया जाये और उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलोजी और इकोनोमिक्स के अन्दर विद्यार्थी हैं उनका परिणाम सर्व श्रेष्ठ रहता है तो आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी और इंगलिश और इसी प्रकार से संस्कृत के अन्दर भी एम० ए० की क्लासेज़ खुलनी चाहिये। इसके अलावा इसके अन्दर मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ब्यावर के अन्दर बहिनों के लिये केवल एक ही हायर सेकेन्डरी स्कूल है और उसमें लड़कियों को

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

एडमिशन्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज है उसके अन्दर भी लड़कियों की संख्या करीब २२-२३ होगी और बच्चियां वहां पर नहीं पढ़ सकतीं क्योंकि उनके वहां पर सब्जेक्ट्स नहीं हैं। जो सब्जेक्ट्स हायर सेकेन्डरी में लड़कियों के लिए हैं; जैसे म्युज़िक, होम साइन्स आदि हैं। सब्जेक्ट्स कॉलेज में नहीं मिलने की वजह से लड़कियां वहां पर नहीं पढ़ सकती हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां एक डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिये अवश्य होना चाहिये। मैंने देखा है कि अगली तीसरी योजना में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इसके औचित्य को ध्यान में रखते हुए और वहां की लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है तो एक हायर सेकेन्डरी स्कूल और बनाया जाना चाहिये, केवल लड़कियों के लिए क्योंकि जो अभी भवन इसका बनाया गया है वह भी छोटा पड़ गया है और लड़कियों को एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक और हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये प्रावधान रखा जाये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह ध्यान रखते हुये आगे बढ़ना चाहिये कि ब्यावर में लड़कियों के लिये डिग्री कॉलेज १ हायर सेकेन्डरी स्कूल, २ गर्ल्स मिडल ; स्कूल्स और एम० ए० क्लासेज़ जिन सब्जेक्ट्स के लिये मैंने ऊपर कहा उनमें खोली जायेंगी।

वहां पर गवर्नमेंट होस्टल ५० सीट का बना है विद्यार्थियों के लिये, लेकिन इस साल हमने देखा कि होस्टल में बहुत ज्यादा लड़के आये। १२३ लड़के इसी समय युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के रूप में प्राइवेट एपियर हुए। वैसे आपने तीसरी योजना के प्रारूप में होस्टल के बनाये जाने का प्रावधान रखा है, लेकिन उसके लिये स्थान नहीं बताये कि कहां कहां होस्टल बनाये जायेंगे। अच्छा यह होता कि बृहत् रूप से हमको यह योजना में मिलती कि फलां फलां जगह पर योजना के अनुसार काम होगा तो हम ठीक तरह से इस पर अपने विचार रख सकते थे। लेकिन यह हमारे सामने एक स्केलेटन प्लान आया है और विस्तृत रूप से हमारे सामने कोई चीज़ नहीं होने के कारण हम ठीक तरह से अपने विचार नहीं रख सकते। लेकिन इतना जरूर कह देता हूँ कि प्लान को देखने से यह मालूम होता है कि आपने होस्टल के लिए प्रोविज़न रखा लेकिन कहां कहां बनाये जायेंगे, यह स्पष्ट नहीं किया है; इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि औचित्य को ध्यान में रखते हुए वहां के होस्टल को कम से कम १०० छात्रों के लिये बढ़ाया जायेगा और उसके लिये प्रयत्न किया जायेगा।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि वहां "बी" ग्रेड अस्पताल की आवश्यकता है। वैसे वहां अस्पताल आज है, लेकिन वह वहां की आवश्यकता को देखते हुये पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार आज योजनाएं बढ़ती जाती हैं, विकास के कार्य बढ़ते जाते हैं और उसी तरह से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिये मरीजों को शय्या की कमी के कारण एडमिशन्स नहीं

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

मिलते क्योंकि वहां पर बैड्स की कमी है। दूसरी योजना में ४३ बैड्स के लिये प्रोविज़न था और जो रुपया रखा गया था वह भी लैप्स हो गया। तीसरी योजना के लिये मैं निवेदन करूंगा कि वह अमाउन्ट रखा जाये और उससे ज्यादा; बल्कि १५० बैड्स का एक्सटेन्शन ब्यावर के हॉस्पीटल के लिए होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जब कि दूसरी योजना में भी वहां पर खर्च नहीं किया गया और आपने कुछ अमाउन्ट तो रखा मगर २४–२५ बैड्स का ही प्रोविज़न रखा है। लेकिन वह काफी नहीं होगा क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको "बी" ग्रेड का अस्पताल कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसी बात के साथ मैं मजदूरों के विषय में कुछ कहना चाहूँगा कि स्केलेटन प्लान से यह नहीं मालूम होता है कि मजदूरों के प्रति क्या नीति राजस्थान सरकार अपनाने जा रही है?

अब मैं, श्रीमान्, ३, ४ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने हमारे सामने लक्ष्य रखे थे। जहां तक मजदूरों का प्रश्न है उनको मैनेजमेंट के अन्दर, उद्योगों के प्रबन्ध के अन्दर सरकार हिस्सा देगी। कई उद्योगपतियों ने इसको कार्यान्वित किया है। बम्बई इसमें अग्रणी रहा है। यह बात ठीक है कि राजस्थान सरकार ने जिन मिलों को लिया है उनमें इस बात का प्रबन्ध करने की कोशिश की गई है। प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट है आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर प्रबन्ध के अन्दर हिस्सा देनी चाहिए और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि आज जो उत्पादन बढ़ाया जाता है उसके लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा है। मजदूरों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रबन्ध मिल का और दूसरे उद्योगों का जहां पर मालिक लोग करते हैं वहां पर मज़दूरों का भी हिस्सा होना चाहिए। यह हमारे सामने लक्ष्य रखा है और भारत सरकार ने भी रखा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात को कोशिश करेंगे कि इस योजना को कार्यान्वित किया जावे।

एक बात और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। यह सरकार का फर्ज है, उसका काम है कि वह यह देखे कि किस तरह से राष्ट्र के अन्दर उत्पादन के साधन बढ़ाये जायं, उद्योगों में काम होता है उसमें उत्पादन किस तरह से बढ़ना चाहिए। इस दिशा की ओर राजस्थान सरकार कदम बढ़ाये। स्थान स्थान पर मैनेजमेंट के दिमाग में केवल एक चीज है कि उत्पादन का साधन केवल मजदूरों से सम्बन्ध रखता है। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मजदूर ज्यादा से ज्यादा काम करें, लेकिन जहां तक काम करने के साधनों का सवाल है, जिसके जरिये मज़दूर उत्पादन बढ़ाता है उसका नवीनीकरण नहीं करते। आज दुनिया के अन्दर मशीनें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। एक लूम के अन्दर, मैं एक एक्ज़ाम्पल के लिए कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में इस प्रकार के सांचे हैं जिन पर दो से ज्यादा पर एक मजदूर काम नहीं कर सकता है, लेकिन

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जापान के अन्दर इस प्रकार के सांचे मिलेंगे जहां पर एक मजदूर और वह भी औरत जो २७ सांचों पर काम कर सकती है। परन्तु अब ओटोमेटिक मशीन की आवश्यकता है। वे मशीनें ज्यादा से ज्यादा कितनी पैदावार ला सकती हैं? मालिकों के दिमाग में यह चीज़ होगई है कि इन्हीं मशीनों पर मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाय। इस भावना को कम करना है। उनके दिमाग में यह चीज़ है। यह ठीक है कि सेन्ट्रल वेज बोर्ड ने वर्कलोड के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं। कोयम्बटूर और अहमदाबाद के कार्य-भार को लक्ष्य माना है; परन्तु क्या यह बात ठीक है कि कोयम्बटूर, अहमदाबाद और बम्बई के अन्दर जो मशीनें हैं वैसी यहां पर भी हैं? वहां पर भी अपने यहां की मिलों से भी पुरानी मिलें हैं। हमारे यहां के मदूजर भी देखने गये थे, राजस्थान सरकार ने भेजा था। वहां देखने से मालूम हुआ कि वहां भी मशीनें १८७०-८० की हैं। परन्तु वे मशीनें आज भी नई मालूम पड़ती है। यह ठीक है कि मजदूर दूसरे स्थान पर जितना काम करता है राजस्थान का मजदूर भी काम करने को तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि मैनेजमेंट को इस बात के लिए फोर्स किया जावे कि उनका नवोनीकरण करे। यह बात ठीक है कि कुछ लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं; लेकिन, श्रीमन्, मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मालिकों का दृष्टिकोण नहीं बदला है। मैं निवेदन करूं कि मशीनों के नवीनीकरण की ओर, उसका आज की स्थिति के अन्दर लाने के लिए किसी तरह से उन मशीनों को आज ठीक कर दें। इस बात की ओर जितना कदम बढ़ाना चाहिए था वह कदम नहीं बढ़ा सके हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उत्पादन गिर रहा है। उत्पादन हमारा गिरने लगा है। श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर उचित ध्यान दे और इस बात का प्रयत्न वह करेगी कि उनका मशीनों का नवीनीकरण किया जावे। और इसके साथ साथ उनका रीजेनुएशन होना चाहिए। और उसके अनुसार जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

तीसरी बात, एक और मैं कहना चाहता हूँ कि इन मज़दूरों के बारे में कानून बने हुए हैं; परन्तु उसकी जो मशीनरी है जिसके जरिये उनका पालन होता है उसमें ढिलाई है। आवश्यकता इस बात की है कि जहां तक उद्योगों की परिस्थिति है वहां पर पूरी तरह से निरीक्षण होना चाहिए और उस पर अगर मालिक काम नहीं कर रहा है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसको उचित दण्ड देना चाहिए। लेजिस्लेशन काफी बने हुए हैं और उनमें इस बात का प्रावधान है कि अगर मालिक गड़बड़ करता है तो उसके लिए एक्शन लिया जा सकता है, परन्तु आज उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिए। आवश्यकता, श्रीमन्, इस बात की है कि आज से ५ वर्ष पूर्व वेज बोर्ड शूगर के लिए और टैक्स्टाइल इन्डस्ट्री के लिए भारत सरकार ने बनाया है, उसके अन्दर, श्रीमन् यह भी था कि हमें अगले ५ वर्षों में मज़दूरों की तनख्वाह और मंहगाई में इतनी तरक्की कर देनी चाहिए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि मालिक और मज़दूरों के जो सम्बन्ध

Page No.101

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

हैं वे शान्तिमय होने चाहिए, झगड़े और फिसाद नहीं होने चाहिए। इसके लिए मशीनरी और दूसरे इस प्रकार के उत्पादन के साधन हैं उनको ठीक किया जाय। जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, मजदूर अपनी ओर से राष्ट्रनिर्माण में पूरी तरह से योग देने को तैयार हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मालिकों को मनोवृत्ति बदलती है या नहीं ? जो कमी नजर आती है सरकार को तो मशीनरी को पूरा काम में लेने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए और उनका निरीक्षण होना चाहिये, और जो आदमी मुकर्रर किये गये हैं वे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए रखे जावें कि वे उस विषय को समझते हैं या नहीं; दर-असल में यह एक टैक्निकल विषय बन गया है क्योंकि मजदूरों के लिए कानून इतने बढ़ गये हैं, उसकी मशीनरी इतनी काफी एक्स्टेन्सिव हो चुकी है कि अगर सजगता से लेबर डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो ठीक तरह से नहीं चलेगा। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में शान्ति को बनाये रखने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि मालिक लोग जो नियम बनाये गये हैं, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया है, डिपार्टाइट कॉनफ्रेन्सेज़ में जिसका फैसला करते हैं, वेज बोर्ड के फैसले मालिक मज़दूर मिल कर करते हैं, एक जगह बैठ कर तय कर लेते हैं उन फैसलों को लागू करने के लिए ईमानदारी के साथ में सोचें और उनका पालन करें जिसको वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक शान्ति भारत सरकार बनाये रखना चाहती है वह शान्ति कायम रहे।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु): माननीय सभापति महोदय, समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : इसी तरीके से, श्रीमन्, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान ऊन के दृष्टिकोण से सर्वोपरि है। हिन्दुस्तान को सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में होती है। पहले फाजिलका से हिन्दुस्तान से सबसे ज्यादा ऊन बाहर जाती थी और अब ब्यावर से निर्यात होती है। कच्ची ऊन हिन्दुस्तान से बहुत जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर एक मिल बनाई जाय ताकि कच्चा माल बाहर न जाकर यहीं पर वह काम आ जाय, क्योंकि जो ऊन हिन्दुस्तान से बाहर जाती है, यह ठीक है कि इस बात पर सरकार को विदेशी मुद्रा मिलती है, उसकी कीमत हमारे व्यापारियों, हमारे लोगों के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। हमारा सारा ऊन लिवरपूल, अमेरिका और रशिया जाकर बिकता है। वहां के व्यापारी उसकी जो कीमत निर्धारित करते हैं वह कीमत दी जाती है। किसी भी उद्योग के अन्दर जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर होता है उसकी कीमत हिन्दुस्तान के लोग मुकर्रर कर देते हैं और जितनी कीमत निर्धारित को हुई है उस पर फोरिन मार्केट में जाता है। लेकिन उसकी कीमत उन लोगों को तय करनी पड़ती है। वे कभी कीमत बहुत ज्यादा लगा देते हैं, कभी कम। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक मिल बनाई जाय। एक अच्छी नये ढंग की मिल बनाई जाय जिसकी वजह से कच्चा माल हिन्दुस्तान से बाहर न जाय। कच्चा माल बाहर जाकर वहां से कपड़ा बन कर आता है उसके बजाय यहीं मिल में वह ऊनी कपड़ा बने। आपने एक ऊनी मिल का

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

प्रावधान किया है और जहां आप करना चाहते हैं उसके एवज में वह मिल ब्यावर में होनी चाहिए....

श्री भीमसेन : बीकानेर में ज्यादा उपयुक्त है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : नहीं ब्यावर में उसकी स्थापना हो, इस बात के औचित्य को स्वीकर कर लें ।

इन्हीं शब्दों के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना जो सदन के सामने पेश की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार किया था और प्रारूप को स्वीकार करके भारत सरकार के सामने उसको रखा गया, भारत सरकार के पास और योजना आयोग के सम्मुख प्रान्त के माननीय मुख्य मंत्री भी गये और योजना विभाग के लोग भी गये । जाने के बाद में अन्तिम रूप से कटौती होने के पश्चात् 'योजना का मूल प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात् इसी वर्ष से यह प्रस्ताव हमारे प्रान्त पर लागू होने वाले हैं ।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, योजना का मुख्य उद्देश्य जहां उत्पादन बढ़ाना है उसके साथ साथ यह भी देखना है कि जिन लोगों के लिये उत्पादन बढ़ा रहे हैं और जो लोग हमारे प्रान्त में रहते हैं उनकी जो क्रय शक्ति है वह बढ़ी या नहीं । जहां दूसरी योजना समाप्त हो रही है वहां सूचना दी है कि हमारे यहां बेकारी का जो बैक लॉग है वह १ लाख ६० हजार का था और दूसरी योजना में ४ लाख लोगों में और बेकारी बढ़ी और अब लगभग ६ लाख बेकार लोग हैं । तो दूसरी योजना में जिनको काम देने की योजना बनाई थी उसमें सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी थी । वह जहां साधन उपलब्ध करने वाली थी, परोक्ष रूप में काम मिले लेकिन सूचना के अनुसार उन नये लोगों को भी काम काज नहीं दे सकी । अनुमानतः ३ लाख ६० हजार तक संख्या पहुंची है । इसका मतलब यह है कि जो बैक लॉग पुराना था उसको भी पूरा नहीं कर सके । इसी प्रकार से आज तीसरी योजना बन रही है । आगामी ५ वर्षों में योजना आयोग के अनुसार हमारे प्रान्त में लगभग ७ लाख नये बेकार होंगे और २ लाख चले आ रहे हैं । इस प्रकार ९ लाख बेकार होंगे । तो हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये था कि इन ९ लाख को काम मिले और दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिये कि उनको काम मिले और उनकी क्रय-शक्ति भी बढे । यदि उनको काम इतना ही मिलता है कि दोनों तरफ की भर पेट रोटी खाना मुश्किल है तो मैं उसको काम मिलना नहीं मानता ।

सभापति महोदय, आज हमारे ग्रामों में ८० पर्सेन्ट जनता बसती है और प्रान्त का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां दोनों फसलें होती होंगी, वहां पर तो काश्तकारों के लिये मान लीजिये कि पूरे समय का काम है ! लेकिन अधिकांश हिस्सा इस प्रकार का है जहां पर दोनों फसलें नहीं होती हैं और इस कारण से

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अर्ध बेकारी है। इस प्रकार से हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके लिये हमारे यहां समस्या है। इन सारी समस्याओं को सामने रख कर देखें कि तीसरी योजना का जो प्रारूप है वह सफल होगा या नहीं।

इसके बाद, सभापति महोदय, घटनाएं इस प्रकार घटी हैं जो हमारी योजनाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाली हैं और वे घटनाएं कृषि के क्षेत्र में हैं। आज ही सदन में एक प्रश्न के उत्तर में गंगानगर के बारे में सूचना दी जा रही थी कि लगभग २० हजार एकड़ भूमि इस प्रकार की है जिसको इस वक्त पानी नहीं दे सके; जिसमें दो फसलें हुआ करती थीं और आगे आने वाले वर्षों में भी इस भूमि को पानी नहीं मिलने वाला है। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों भारतवर्ष और पाकिस्तान में नहरी पानी समझौता हुआ, उसके कारण जो पहले गंग-केनाल को पानी मिलता था उसमें कमी आयेगी। ५-७ दिन पहले सिंचाई मन्त्रीजी ने हाउस में एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि जितना पानी चाहिये उतना मिल रहा है; लेकिन उसके बावजूद भी २० हजार एकड़ भूमि को पानी नहीं दे सके। इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमने अधिक भूमि को पानी दिया और अधिक भूमि सिंचाई में आई और आज जो भारत–पाक समझौता हुआ उसके अनुसार हमारा पानी कट गया। अगर इस समझौते के परिणाम स्वरूप २० हजार एकड़ भूमि बेकार हुई और उसमें एक ही फसल होगी और बाकी भूमि को भी जितना पानी देना चाहिये उतना नहीं दिया जा सकता तो नतीजा यह है कि हमारी सरकार ने टेन्टेटिव प्रोग्राम बनाया है कि सन् ६५–६६ में ६० लाख टन अनाज का अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है वह किस प्रकार पूरा होगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : कहां किया है ६० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित ?

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : १६ लाख टन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कुल सारे मिला कर अब तक हो सकता है, प्लान पीरियड में कुल हो सकता है। वह निर्धारित किया है। पर इसलिये नहीं हो सकता कि गंगानगर में जितना पानी मिलना चाहिये उतना नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उत्पादन जहां होता है और जहां नहरी जमीन है वहां नहीं कर सकते। राजस्थान केनाल में भी इसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित है। इस पर जितना रुपया खर्च करने वाले हैं, नहरी पानी समझौता हुआ है उसके अनुसार पूरा नहीं होगा। सन् ६८ तक यह नहर पूरी होगी और पानी देने के लिये क्षमता होने के पश्चात् सन् ७३ में सम्भवतः समझौते के अनुसार राजस्थान केनाल को जितना पानी देना चाहिये उतना पानी नहीं मिल सकता। इसके अलावा जितना सदन सोच रहा है और जितना चाहते हैं उतना नहीं हो सकता। यह बड़ी सिंचाई योजना का हाल हुआ।

इसके साथ ही साथ कूओं की योजना सरकार लागू करने वाली है। जहां तक मेरा अनुभव है, हमारी सरकार पुराने कूओं के लिये तकावी देती है। इनमें ५० प्रतिशत

Page No.104

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस प्रकार के होते हैं जिनमें धोखा होता है। नये कूए बनाने का प्रश्न हो वहां तो कूए खोदने पड़ते हैं, चाहे पानी निकलता है या नहीं लेकिन जो लक्ष्य दिया है उसमें नये कूए कम हैं पुराने अधिक हैं। अभी भी देख लें कि प्रान्त में जो तकावी दी है वह पुराने कूओं के लिये अधिक दी गई है। आखिर पुराने कूओं को भी सुधारने की आवश्यकता है; लेकिन तकावी देने में सतर्कता नहीं बरती तो ५० पर्सेन्ट मामले ऐसे हैं जिनमें रुपयों का उपयोग ठीक तरह से नहीं होगा।

तीसरी योजना में कृषि की योजना लागू की है। वहां सहकारिता की भी व्यवस्था की गई है; गांवों में ऋण देने की व्यवस्था है। इसमें आज ऐसा दिखाई देता है कि इसमें मूलतः दोष आ गये हैं। जिस प्रकार सहकारिता की योजना असफल हुई है, रुपये नहीं मिल रहे हैं और जिस प्रकार उत्पादन बढ़ाने की बात सोचते हैं उस प्रकार से वह नहीं बढ़ रहा है इस योजना में। इसे राजनैतिक रूप दे दिया गया है। जब से जिला परिषद् में सहकारी समितियों के बैंक के अध्यक्ष के बारे में निर्णय ले लिया है पंचायत समिति एक्ट में कि बैंक का अध्यक्ष होगा वह जिला परिषद् का सदस्य होगा उसके बाद इन समितियों के निर्माण को लेकर बड़ा संकट गांवों में पैदा हो गया है। उद्देश्य यह होना चाहिये कि किसी गांव में सारे के सारे किसान उक्त समिति के सदस्य होने चाहिये और जब से इसको बहुधंधी बनाया है तो गांवों में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सब को इनका सदस्य बनाना चाहिये, जो सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लोन दे, गांवों का आर्थिक विकास हो, कृषि का उत्पादन बढ़े। लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ लोग मिल कर राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के कारण समितियां बनाते हैं और उन पर इस प्रकार से जम कर बैठ जाते हैं जिस प्रकार से कोई महंत जम कर बैठ जाता है और बाकी लोगों को सदस्य नहीं बनाते हैं और कई जगह मेजोरिटी यदि कह देती है कि अमुक को बनाया जाय, अमुक को नहीं बनाया जाय; जहां इस प्रकार की समिति बन जाती है तो बहुत से उदाहरण आये कि लोग सदस्य बनने को तैयार हैं लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया जाता है और उनका....

एक माननीय सदस्य : सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार के यहां अपील कर सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रजिस्ट्रार के मामले को मैं यहां लाना नहीं चाहता क्योंकि योजना का विषय है। जिस प्रकार का वहां काम होता है उसके बारे में योजना पर चर्चा के समय नहीं बताया जाय तो अच्छा है, नहीं तो बढ़ जायेगा, सहकारी समितियां अपील करेंगी। लेकिन डिपार्टमेंट में किस तरह की पार्टीबाजी चलती है, यह बात मैं समझता हूँ यहां नहीं आनी चाहिये। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जिस प्रकार गठन करवाते है उसमें विशेष ध्यान देना चाहिये। जो लोग ऋण के लिये उत्सुक हैं उनको ऋण मिलना चाहिये, जिनको उत्साह है सहकारी समितियां बनाने का उनको गठन करने देना चाहिये। वैसे हमारे प्रधान मन्त्री पंडित नेहरूजी ने कहा था कि उन्होंने स्वयं प्रयत्न किया था कि सहकारी समिति का गठन करवा दें लेकिन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विभाग के जिस प्रकार के नियम बने हैं उनके कारण वे गठन नहीं करवा सके । जब पंडितजी को ऐसी अड़चन आ सकती है तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है । जिनको ऋण चाहिये उनके बीच में पार्टीज़ आ जाती हैं । यही कारण है कि जितना ऋण दिया जाता है उसका ५० पर्सेन्ट इस प्रकार जाता है कि खेती के काम में नहीं आता है और अनेक कामों में लेते हैं और अनेक कामों में लेने के कारण उत्पादन बढ़ता नहीं है । लोगों के पास रुपया नहीं आता है और विभाग ने ऋण दिया है उसको वापिस जितना वसूल करना चाहिये उतना वसूल नहीं कर पाते हैं । इसका कारण यह है कि गलत ढंग से रुपया देते हैं, गलत लोगों को रुपया देते हैं । इन समितियों का गठन किस प्रकार हो, उनमें गांव के जितने लोग हों, वे हों । हमारा लक्ष्य यह है कि एक गांव में एक समिति हो, एक पंचायत हो और एक स्कूल हो । उस खयाल से उस लक्ष्य की ओर विशेष रूप से बढ़ा जाय और जो कृषक लोग हैं उनको समिति का सदस्य बनाया जाय, उनको ऋण मिले; तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ सकेगा वर्ना आज जो व्यवस्था है कि २० करोड़ रुपया लगाया गया है । उन रुपयों से, सभापति महोदय, एक बात हो रही है कि विभाग की मशीनरी तैयार की जा रही है; इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर, कर्मचारियों पर वह रुपया लगता है उसके आधार पर लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन इस आयोजन को बढ़ाया हो, इस आयोजन को अग्रसर किया हो, ऐसा मालूम नहीं हो रहा है । इस प्रकार यह प्रत्यक्ष की बात है ।

मैं समझता हूँ कि जहां तक कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वे निर्धारित लक्ष्य इस योजना में पूरे हो सकते हैं, इसमें मुझे शंका है । इसके साथ ही साथ जहां तक योजना का प्रश्न है, सभापति महोदय, हमारे प्रान्त के लिए प्लानिंग कमीशन है, उसने कहा है कि जहां रोजगार बढ़ाने की बात है वहां कृषि के अन्दर और अन्य उद्योगों के अन्दर १।३ का रेश्यो रखना चाहिए । १।३ का रेश्यो रखने का कारण यह है कि जहां कृषि में एक आदमी को रोजगार देना चाहते हैं वहां तीन आदमियों को अन्य रोजगार देना चाहते हैं । जहां तीन आदमियों को अन्य रोजगार देने की बात करते हैं वहां हमारे प्रान्त की योजना को देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस रेश्यो को आयोजन आयोग ने रखा है उसके अन्दर अन्य उद्योगों का विकास कर सकेंगे और आदमियों को रोजगार दे सकेंगे क्योंकि इसके अन्दर जिस प्रकार से कटौतियां की गई हैं, जैसे बिजली में कटौती की गई है; पहले जहां ४५ करोड़ था वहां अब ३५ करोड़ के फिगर्स आये हैं । जिस समय बिजली विभाग पर बहस कर रहे थे उस समय इस सब की चर्चा हो चुकी है कि इस विभाग में कटौती नहीं होनी चाहिए । इसका कारण यह है कि इस वक्त जितनी बिजली उपलब्ध है उसका उपभोग नहीं कर सके हैं । इस कारण आज जो भाखरा से बिजली मिल रही है, ४ हजार किलोवाट बिजली, उसका उपभोग नहीं कर पायेंगे । इस हालत में जो ११ करोड़ बिजली मिलने वाली है, उसके लिए तो अभी तक लाइन तक नहीं डाली है, उसका उपभोग नहीं हो पायेगा । इसी प्रकार जो चम्बल से बिजली मिलने वाली है गांधी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सागर से कोटा और जयपुर तक, उसके लिए ट्रान्समिशन लाइन डालनी है जो वह डाल नहीं सके हैं। इसका कारण यह है कि विभाग यह कहता है कि धन नहीं है इसके साथ ही विभाग के पास साधन नहीं हैं। तो जहां विभाग के पास साधन नहीं हैं वहां विभाग में और कटौती कर दी है।

सभापति महोदय, उद्योग की दृष्टि से बेसिक जिसको कह सकते हैं, जो चीज को बेसिक कहना चाहिए, वह है रॉ मेटीरियल। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो चीजें जरूरी हो सकती हैं और वे हो सकती हैं—एक तो खनिज उद्योग और दूसरी बिजली। हमने इस बिजली विभाग में कटौती की है। इसके साथ ही जो बिजली उपलब्ध हो सकी है उसको प्रयोग में नहीं ला सके हैं, क्योंकि इसके लिए साधन नहीं है और उनके पाने में विभाग असमर्थ है। इसी प्रकार खनिज उद्योग है। खनिज उद्योग के विभाग में, सभापति महोदय, जिस प्रकार और बातों में कटौती की गई है उसी प्रकार इसमें भी की गई है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूँगा कि जहां भी कटौती करनी है तो कटौती करने की दृष्टि से जो और दूसरे साधन हैं, उनमें आप कटौती कर सकते थे, लेकिन जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, उद्योग का सम्बन्ध है इनमें जो कटौती की है, इनमें आप किसी प्रकार की व्यवस्था कर दें और इस कटौती को समाप्त करके जिस प्रकार के आंकड़े प्रस्तावित योजना में बताये थे उन आंकड़ों के अन्दर आप किसी प्रकार की कटौती न करें। उस स्थिति में ही आप उद्योगों को फलीभूत कर सकेंगे; वर्ना जिस प्रकार की योजना है, इसके अन्दर कटौती करने का फल यह होगा कि जो १।३ का रेश्यो निर्धारित किया था, उसको पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? साथ ही जितने लोगों को काम देना चाहिए कृषि विभाग के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा, वह काम आप नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रान्त के हमारे मुख्य मंत्री, सभापति महोदय, जिस प्रकार कहा करते हैं, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि उद्योग की दृष्टि से हमारा प्रान्त और प्रान्तों की दृष्टि से बढ़ा चढ़ा है! इसका कारण यह है कि देशी रियासतों के अन्दर पूरा सर्वेक्षण नहीं हुआ और पूरा सर्वेक्षण न होने के कारण जो स्रोत थे उनका उपभोग हमारी रियासतों के लोग नहीं कर सके। जब साधन हमारे पास हैं, सर्वेक्षण हो रहा है, तो नये नये श्रोत नये नये साधनों से मिलते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहां नये श्रोत मिलते जा रहे है वहां हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं यह बात नहीं हो कि हमारे यहां उद्योग के लिए कच्चे माल के जितने साधन मिले हैं, वे इस प्रान्त से दूसरे प्रान्त में न चले जायं। अभी देखते हैं कि हमारे प्रान्त में शुरू में कच्चा लोहा मिला है। लेकिन जितना निकलता है वह बाहर चला जाता है। वह बाहर क्यों जाता है कि लोहे को गलाने की दृष्टि से न तो हमारे यहां इतना कोयला है और न साधन हैं। इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। न हमने अपने यहां बिजली स्मेल्टर लगाया है, न कोयला स्मेल्टर लगाया है इसलिए कच्चे लोहे का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार खेतड़ी में तांबा मिला है, वहां तांबे का भंडार है। उसको सेन्ट्रल

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सेक्टर में लिया है। इसके बाद भी यदि हमारे मुख्य मन्त्रीजी प्रयत्न करें तो जो एटोमिक स्टेशन बनने वाला है, एटोमिक पॉवर हाउस भारतवर्ष में बनाने वाले हैं, अगर मुख्य मंत्री जी प्रयत्न करें; वैसे मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रयत्न किये होंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि खेतड़ी खान का डेवलपमेंट होने के पहले स्मेल्टर लगाने की व्यवस्था करें। यह नहीं कि खेतड़ी में तांबा निकलने लगे, तांबे का भंडार हो जाय, वहां ढेर लग जाय और वहां कॉपर स्मेल्टर नहीं लग सके। तो परिणाम यह होगा कि खेतड़ी से निकलने वाला तांबा बाहर जाने लगेगा। तो अगर प्रयत्न हुआ तो फोरिन एक्सचेंज मिलने लग गया और अगर प्रान्त में स्मेल्टर बन गया तो फिर हमारे प्रान्त में कोई इस प्रकार का पॉवर हाउस मिल सकेगा कॉपर स्मेल्टर की दृष्टि से। उसमें भारत सरकार रुपया लगायेगी और इस प्रकार यह समस्या कम हो जायेगी। इसलिए आवश्यक है कि जिस प्रकार खेतड़ी में तांबे का भंडार है, जिस प्रकार खान से तांबा निकालने की योजना बनती जा रही है उसके साथ ही इस योजना को बनाने की दृष्टि से अगर वे और ज्यादा प्रयत्न करें तो हमारी उस योजना के साथ इस प्रकार की योजना बनने लग जाय, वर्ना अभी तक तो, सभापति महोदय, वहां बिजली भी नहीं पहुँची, साधारण बिजली नहीं पहुँची है। इसका कारण है कि जो भाखरा से बिजली मिलने वाली है उसका सम्बन्ध वहां से किया जा रहा है और भाखरा की बिजली की लाइन भी खींची गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाखरा से इतनी बिजली नहीं मिलने वाली है जिससे खेतड़ी की खान से जो कच्चा माल मिलने वाला है, जो उसकी पोटेन्शियलिटी है वहां स्मेल्टर लगाये बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे कॉपर की जितनी इन्डस्ट्रीज़ हो सकती हैं उस दृष्टि से बिजली चाहिए।

वैसे प्लान फ्रेम में दिया गया है कि अलवर और खेतड़ी खान का जो क्षेत्र है इसके अन्दर तांबे के उद्योग को चलाने की दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन अलवर के अन्दर न तो भाखरा की बिजली आने वाली है, दोनों बिजली वहाँ नहीं आने वाली है। और न चम्बल की बिजली आने वाली है, दोनों बिजली वहां नहीं आने वाली है फिर जो उद्योग वहां खोलने वाले हैं उनको बिजली कहां से देंगे। हम कहें कि स्टील प्लान्ट, डीज़ल की बिजली बांट देंगे लेकिन उससे मिलने वाली बिजली सस्ती नहीं होगी। इस कारण जिस प्रकार के उद्योग हम अपने प्रान्त में खोलने की योजना बना रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार के एटोमिक पॉवर हाउसेज़ मिलने वाले हैं, जो भारत के अन्दर खुलने वाले हैं वे राजस्थान में खुलें, विशेष रूप से इस क्षेत्र में खुलें जिसके अन्दर स्मेल्टर बना लिया है। तो हमारे जो उद्योग हैं वे चल सकेंगे। इसके साथ ही योजना के अन्दर लोगों को काम देने की बात है, उसमें भी हम सफल हो सकेंगे।

इसके बाद, सभापति महोदय, आज एक बात और कहना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस प्रकार सोशियल सर्विस सोशियल सर्विस प्लानिंग की है, उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी को विशेष रूप से आयुर्वेद मन्त्रीजी बैठे हुए हैं उनको कहना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चाहता हूँ कि जहां पर एलोपेथी के लिए पांच लाख का प्रावधान था वहां आपने आठ लाख कर दिया....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : करोड़ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हां, इतने करोड़ की एलोपेथी के अन्दर बढ़ोत्तरी की है। लेकिन आयुर्वेद के सम्बन्ध में जितना प्रावधान था उसको घटा दिया है । क्योंकि एलोपेथी के मन्त्री साइज़ के अन्दर बड़े हैं और आयुर्वेद के मन्त्री साइज़ में छोटे हैं । मैं समझता हूँ यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : वेट बराबर है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर एलोपेथी के मन्त्री से मेडिकल की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि नर्सेज़ नहीं हैं, कहीं पर डॉक्टर नहीं हैं, तो कहीं पर डॉक्टर और नर्सेज़ दोनों उपलब्ध नहीं होने से होस्पिटल खाली पड़ा है, हम वहां पर डॉक्टर और कम्पाउन्डर्स भेज नहीं सकते और दूसरी तरफ हमको आयुर्वेद के ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलतीं। आयुर्वेद को पढ़ते हैं और वे नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते हैं । वे लोग वैद्य हैं और राजस्थान सरकार ने जिस परीक्षा को मान्यता दी है उसी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है मगर फिर भी उनको नौकरियें नहीं मिलती हैं ! मैं यह कहूँगा कि सरकार को चिकित्सक चाहिये और चिकित्सकों को नौकरी चाहिये । सरकार आयुर्वेद के चिकित्सकों को नौकरी दे सकती है लेकिन सरकार यह नहीं कर सकती । वह इसलिये नहीं कर सकती कि सरकार की घोषित नीति है और वह है एलोपेथी को प्रोत्साहन देने और आयुर्वेद को प्रोत्साहन नहीं देने की । यह बात नहीं है कि एलोपेथी के लोग ही इलाज कर सकते हैं और उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, दूसरे इलाज कर ही नहीं सकते । आखिर हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली भी वैज्ञानिक है । हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा कि हमारे यहां मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है । हमारे प्रान्त में मेडिकल कॉलेज खुले, यह एक बड़ी खुशी की बात है । लेकिन मैं यह कहूँगा कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक आयुर्वेद का कॉलेज और दूसरा एलोपेथी का कॉलेज खोला जावे । आप जब दोनों कॉलेजों को खोलेंगे और दोनों के खर्चे की तुलना करेंगे तो आपको उसमें आकाश और पाताल का फर्क मिलेगा खर्च में । लेकिन फिर भी हमारे यहां राजस्थान में इस प्रकार का कोई कॉलेज नहीं है । इसके लिये हमारे मुख्य मन्त्री सोचें ।

राजस्थान में कई इस प्रकार के कॉलेज हैं जो प्राइवेट चलते हैं । वे लोग अपना स्वयं का प्रयत्न करके चलाते हैं और हम चाहते हैं कि उनका विकास हो । राजस्थान सरकार को चाहिये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की डिमान्ड को जो दिनो-दिन बढ़ती जा रही है पूरा करने का प्रयत्न करें । मैं यह कहूँगा कि चिकित्सकों की आवश्यकता को आज सरकार पूरा नहीं कर सकती है । तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार यह समझती है कि हम पूरा कर सकेंगे, लेकिन फिर भी वह पूरा नहीं कर सकेगी । आज गांवों में चिकित्सकों की मांग है । वहां पर शफाखाने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

खोले जावें । मैं यह कहूँगा कि गांव के लोग डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं हैं जितने वैद्यों से हैं। इसलिये जहां पर गांवों में चिकित्सा की जरूरत है वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले जावें। सरकार को चाहिये की आयुर्वेद की कॉलेज स्थापित करे। जब सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेगी तो सरकार को मालूम होगा कि एक मेडिकल कॉलेज से ५ आयुर्वेद कॉलेज खोले जा सकते हैं और एक डॉक्टर को जो तनख्वाह देते हैं, जो एक डॉक्टर की तनख्वाह २५० की होती है और एक वैद्य को ७० रुपये देते हैं तो एक डॉक्टर के वेतन में ५ वैद्य मिल जावेंगे। वैसे तो देखा जाये तो आयुर्वेद के मन्त्री महोदय को एलोपेथीक के मन्त्री महोदय के बराबर तनख्वाह मिलती है लेकिन एक डॉक्टर की तनख्वाह में ५ वैद्य मिल जावेंगे। अगर पूरी तरह सुविधायें दें तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है और मैं तो मन्त्री महोदय से कहूँगा कि तीन करोड़ जो रुपया बढ़ाया गया है वह आयुर्वेद मन्त्री को एलोपेथिक मन्त्री दे दें और इस ढंग की योजना बनावें तो गांवों की तरफ से जो शिकायत आती है कि चिकित्सा के कोई साधन सरकार उपलब्ध नहीं कर रही है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की शिकायत मिट जावेगी।

इसके बाद दूसरी बात और कहूँगा कि जहां तक जल—प्रदाय की योजनाओं का प्रश्न है, आपने दो तरह की जल—प्रदाय योजनाएं बनाई हैं :—

(१) शहरी जल प्रदाय और (२) ग्रामीण जल प्रदाय।

शहरी और ग्रामीण योजनाओं में देखें तो मालूम होता है कि बहुत अन्तर है। शहरी जल प्रदाय में जहां पहले मूलत: प्रस्तावित रकम ३.८० थी वहां बढ़ कर ५ करोड़ हो गई और जहां ग्रामीण क्षेत्रों की योजना थी ४ करोड़ की वहां पर ४ करोड़ से घट कर दो करोड़ रह गई। एक तरफ तो आधी की गई और दूसरी तरफ शहरी योजना को आपने दुगुनी कर दी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय सभापति, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भ्रम हो गया है जिसके कारण यह कहा जाता है कि कुछ मुद्दों में रकम बढ़ गई है। वह वास्तव में ऐसा है कि पिछले सदन में यह प्रस्तुत हुआ था। उसको देखने से ऐसा लगता है कि सेन्टर इसका खर्चा देगा उसके आधार पर प्लान बनाया और प्लानिंग कमीशन के पास जाने के बाद और सारी बातों की समावेश करने के बाद तय हुआ है। इससे यह नहीं है कि ५करोड़ की इस योजना का प्रोविज़न था उससे ८ करोड़ हो गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इससे यह है कि शहरी क्षेत्र में प्लानिंग कमीशन की कृपा है। आपने जो एडजस्टमेंट किया है उसमें शहरों के लिये दुगुना किया है और गांवों में जहां ४ करोड़ था उसके बजाय दो ही कर दिये हैं। यहां पर सेन्टर की स्कीम नहीं होने से यह हुआ है। जहां जल प्रदाय योजना गांवों की है उसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि गांवों में काफी रुपया खर्च करने वाले हैं। जहां तक कुएं खुदवाने का प्रश्न है, पहले आपने जल बोर्ड बनाया था कि जल बोर्ड ही

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पीने के लिये पानी के जो लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको दूर करे। मैं यह कहूंगा कि जल बोर्ड ने इस सम्बन्ध में काम किया नहीं और उससे बड़ी गड़बड़ रही और उसका नतीजा यह हुआ कि आपको जल बोर्ड को भंग करना पड़ा। उसके हिसाब में भी गड़बड़ रही है। इसलिये उसको समाप्त किया। अब मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटना को दोहराया नहीं जाये।

अब मैं एक बात माननीय चीफमिनिस्टर से कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। आपकी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की योजना है। उस पर सरकार बहुत बड़ा खर्च करने वाली है। अगर सरकार इस प्रकार काम करती है तो यह गलत रूख है; क्योंकि जो रुपया मिलता है वह राजस्थान की आबादी के आधार पर मिलता है। लेकिन हमारी राजस्थान की कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पार्टी बाजी के बेसिस पर चुनाव होंगे। उसके बाद कांग्रेस ने जिला परिषद् के चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े। अब जो डेवलपमेंट के कार्य के लिये रुपया आता है और सरकार उसको देने वाली है, उसका उपयोग होने वाला है। वह इस तरह से हो रहा है कि कुछ गांवों को बिल्कुल ही अछूता छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की पंचायत समितियें हैं। आप देखेंगे कि किसी पंचायत समिति में ३० गांव हैं। उन ३० गांवों में से १६ गांव तो प्रधान के पक्ष में हैं और बाकी १४ गांव प्रधान के पक्ष के नहीं हैं। इसलिये जो स्टेन्डिंग कमेटी बनेगी वह प्रधान के पक्ष की ही बनेगी। उन गांवों को जो प्रधान के पक्ष के होंगे उनको तो पैसा मिलेगा विकास के कार्यों के लिये, लेकिन जो १४ गांव प्रधान के खिलाफ हैं उनमें विकास के कार्यों के लिये पैसा नहीं मिलता। यह योजना का कार्य सारे पांच वर्षों के लिये चलेगा। सरकार ने इस सम्बन्ध में सोच विचार कर कि सब को ठीक तरह से विकास के लिये रुपया मिले, इस प्रकार की योजना नहीं बनाई तो, सभापति महोदय, यह है कि आज डेमोक्रेसी में बहुमत चलता है और बहुमत के आधार पर जो रुपया खर्च होने वाला है वह वहीं पर खर्च होगा जो ग्राम प्रधान के पक्ष के होंगे और दूसरे स्थानों पर कोई रुपया खर्च नहीं होगा। अभी जो पंचायत समितियों ने जिन गांवों को रुपया विकास के कार्य के लिये दिया है उससे यह स्पष्ट है। हमारे यहां एक पंचायत समिति है। उसमें २६ पंचायतें हैं। इनमें से १२ पंचायतों को एक पैसा भी नहीं मिला है; क्योंकि वे प्रधान के पक्ष की नहीं हैं। इस चीज का निराकरण कैसे होगा? इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिये। आप तीसरी पंच वर्षीय योजना में करोड़ों रुपया डेमोक्रेटिक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के नाम से खर्च करने वाले हैं। अगर इस पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया तो इसका उपयोग ठीक तरह से नहीं होगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं माननीय मन्त्री से कहूँगा कि वे इस पर विचार करें।

(४.४६ म० प०)

विशेषाधिकार समिति, १९६०-६१ के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति, १९६०-६१ के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री सभापति : The House stands adjourned to 11 A. M. to-morruw.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे १४ अप्रेल, १९६१ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १३ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ८०६६

उदयपुर डिस्टीलरी को दी गई रियायत रोकना।

अ-पंजीबद्ध एवं अयोग्य पंसारी द्वारा दी गई देशी औषधि से शासकीय विद्यालय, बांदीकुई के अध्यापक की मृत्यु।

द्वारकाप्रसाद शर्मा द्वारा लोन एवं सबसिडी की रकम का गबन।

पाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कर्मचारियों में कमी।

जनाना अस्पताल, नोखा में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति।

जयस मन्द झील, उदयपुर की नहर।

बीकानेर में पृथक चक्षु चिकित्सालय खोलने की मांग।

राजस्थान नहर के उद्घाटन पर खर्चा।

पाली जिले की सब-कोर्ट्स में विचाराधीन मुकदमे।

सोमेसर वृहत्त बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०, सोमेसर द्वारा वितरित बीज।

जिला परिषद् के लेखकों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स।

पाली शहर में बसाई जाने वाली बस्तियां।

गंग केनाल कॉलोनी की नहरों से मिले कम पानी के अनुपात से आबियाना में कमी।

गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर के कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउन्स देने में पक्षपात।

राजस्थान अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा तहसील सलूम्बर के किसानों के कुओं पर कार्य।

जयपुर शहर में राजस्थान रोडवेज़ के स्टेण्ड के निर्माण की योजना।

चिड़ियाघर, जयपुर से चौसींगा

हिरण की चोरी।

भीमसागर तथा हिंचर सिंचाई क्षेत्रों की नहरों के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा।

अजमेर नगरपालिका क्षेत्र का मैला (कूड़ा) ब्यावर रोड चुंगी चौकी के पास न डालना।

मिडल स्कूल, दिशनाउ (लक्ष्मणगढ़) के प्रधानाध्यापक श्री पूर्णमल की हत्या।

ग्राम दुदौड़ (खारची) के अस्पताल में स्टाफ व दवाइयों की व्यवस्था।

पंचायत में परिवर्तित बैराठ की नगरपालिका।

सांघी ब्रादर्स, जोधपुर को ट्रक व बसेज़ की बॉडी के निर्माण का ठेका।

मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एम. बी. बी. एस प्रथम वर्ष में अनियमित प्रवेश।

स्थगित प्रश्न
(२२-३-१६६१)

सीकर, अलवर व जयपुर जिलों में निर्मित नये बांध एवं पुरानों की मरम्मत।

स्थगित प्रश्न
(२६-३-६१)

अजमेर शहर में थड़ी मालिकों के लिये पक्की दूकानें बनाने सम्बन्धी अनुमति।

स्थगित प्रश्न
(३१-३-१६६१)

चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग तथा चेयरमैन, राजस्थान केनाल बोर्ड के कार्यालयों का बीकानेर स्थानान्तरण।

स्थगित प्रश्न
(१-४-१६६१)

बांसवाड़ा जिले के जंगल एरिया के सेटलमेन्ट का कार्य।

सदन की मेज पर रखा गया विवरण

सचिव, विधानसभा ने सभा द्वारा इस सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त

हो चुकी है, सदन की मेज पर रखा ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय, की अनुमति प्राप्त हुई :–

1. The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendement Bill, 1961.

2. The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1961.

3. The Motor Vehicles (Rajasthan Amendment) Bill 1961.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :– ८१३४

1. The Rajasthan Evacuee Interest (Separation) Second Supplementary Bill, 1961.

2. The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1961.

3. The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1961.

4. The Rajasthan Municipal Taxes (Validation) Bill, 1961.

5. The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, 1961.

6. The Pali Municipality Administrator Appointment (Validation) Bill, 1961.

7. The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Bill, 1961.

8. The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1961.

प्रतिवेदन का उपस्थापन

जनलेखा समिति, १९६०–६१ का नवां प्रतिवेदन ८१३५

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, १९६०-६१ ने समिति का नवां प्रतिवेदन (प्रथम एवं द्वितीय खंड) का उपस्थापन किया जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर है :–

(१) विनियोग लेखा, १९५६–५७ (१-११-५६ से ३१-३-५७) व अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५८।

(२) विनियोग लेखा, १९५७–

५८ व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५६।

(३) वित्त लेखा, १६५६—५७ (१-४-५६ से १-१०-५६) व अंकेक्षा प्रतिवेदन।

(४) वित्त लेखा १६५६—५७ (१-११-५६ से ३१-३-५७) व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५७।

(५) वित्त लेखा, १६५७—५८ व अंकेक्षा प्रतिवेदन, १६५८।

राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव ८१३६

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव, जिसकी प्रति दिनांक ५ अप्रेल, १६६१ को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मुरलीधर व्यास।

(२) डॉ० बहादुरसिंह।

(३) राव श्री नारायणसिंह मसुदा

(४) श्री रघुवीरसिंह।

(५) श्री पी० के० चौधरी।

(६) रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

(७) श्री तेजमल बापना।

(८) श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

(६) श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ८२८६

श्री तेजमल बापना, सभापति, विशेषाधिकार समिति, १६६०—६१ ने समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार, दिनांक १४ अप्रेल, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक १४ अप्रेल, १६६२ की कार्य-सूची।

१. प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाले विधेयक :

(क) राजस्थान कसर भोम उत्पादन विधेयक, १६६१।

(ख) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१।

(ग) राजस्थान राज्य पशु-मेला विधेयक, १९६१।

२. विभिन्न मनोनीत समितियां।

३. प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

४. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

५. राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३० का उत्तर देखिये)

APPENDIX 'A'

STATEMENT SHOWING FIGURES OF ANNUAL PRODUCTION AND IMPORT OF RECTIFIED SPIRIT BY RAJASTHAN DISTILLERIES, PHARMACIES AND OTHER INSTITUTIONS (BASED ON THE AVERAGE FIGURES OF THREE YEARS).

MANUFACTURED	IMPORTED
5,28,255 L.P. Gallon.	4,04,616 L. P. Gallon
Udaipur Distillery 2,06,399.	Udaipur-wati 1,82,218.

APPENDIX 'B'

LIST OF EXISTING RATES OF PLAIN LIQUOR IN DISTILLERIES IN RAJASTHAN (B)

S. No.	Name of the Distillery	Rate per L. P. Gallon. Manufactured in the Distillery.	Imported from outside.
1.	M/s, Udaipur Distillery Co. Private Ltd., Udaipur (Udaipur Division excluding Banswara District).	Rs. 1.94 np.	Rs. 1.56 np.
2.	Banswara (Bunswara Distt.)	Rs. 3.50 np.	—
3.	Ganganagar Distillery-for		
	(a) Jaipur Division excluding Ajmer but including Sawai Madhopur Distt.	Rs. 1.62.np.	Rs. 1.62.np.
	(b) Kota Division excluding Sawai Madhopur Distt.	Rs. 1.62.np.	Rs. 1.62.np.
	(c) Bikaner Division.	Rs. 1.50.np.	Rs. 1.50.np.
	(d) Jodhpur Division.	Rs. 1.62.np.	Rs. 1.62.np.
	(e) Ajmer District.	Rs. 1.50.np.	Rs. 1.50.np.

APPENDIX 'C'

STATEMENT SHOWING THE FIGURES OF DENATURED SPIRIT USED FOR INDUSTRIAL PURPOSE i. e. FRENCH POLISH.

UDAIPUR DISTILLERY		Rest of the licensees in the State.	
1959	1960	1959	1960
40,740 Bulk.	98,590 B. G. GL.	1,37,445 B.G.	1,44,033 B.G.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ का उत्तर देखिये)

सूची जय समन्द तालाब की भाट नहर व श्यामपुर नहर के हेड गेज की

नाम नहर	दिनांक	हेड गेज
भाट नहर	७–१०–६०	३. ५०
	७–११–६०	४. ५०
	७–१२–६०	४. ७५
	३१–१ –६१	३. ५०
	२८–२ –६१	२. ८०
श्यामपुरा नहर	७–१०–६०	३. ५०
	७–११–६०	४. ६०
	७–१२–६०	४. ५०
	३१–१ –६१	३. ५०
	२८–२ –६१	४. ००

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४० का उत्तर देखिये)

ABSTRACT OF EXPENDITURE INCURRED ON THE INAUGRATION ON THE CEREMONY OF RAJASTHAN CANAL PROJECT.

1.	Printing of invitation cards including Postage for despatching the same.		300.00
2.	(i) Erecting commemoration Piller.	179.00	
	(ii) Laying of marble tablet.	100.00	
	(iii) Making model at site.	1.000.00	
		1,279.00	1.279.00
3.	Silver trowal cost of material for religious ceremony including Dakshna of Pandits.		92.00
4.	Site clearance including lay out and making of roads carriage of water & sprinkling arrangements.		1,651.00
5.	Pitching & unpitching tents at ceremony site Hanumangarh & Sriganagar.		500.00
6.	Transportation of tents & other equipment camp furniture etc. from Jaipur Jodhpur & Bikaner to caremony site and back by Rail & Govt. vehicles.		3,608.00
7.	Cost of water supplied by Railway Deptt. & also from Talwara village including cost of soft drinks served at ceremony site & tea served at Hanumangarh Jn.		2,619.00
8.	Providing repes and poles for security arrangements as desired by Police authorities.		398.00

9.	Hire & Carriage charges of tents & shamianas arranged for Shri Ganganagar.	1,192.00
10.	Microphone & loudspeaker charges arranged from Delhi.	300.00
11.	Expenditure incurred for providing dinner to M. P.'s & M. L. A's. as per bill sent by Collector Sikar.	218.75
12.	Lunch for V. I. P.'s served by Khasa Kothi management.	3,641,25
13.	Running of special train.	10,348,00
14.	Fooding arrangements for Asstt. attendents of V.I.P.'s & local guests etc.	1,553.00
15.	Telephone & telegram charges as per actual bills.	939.00
16.	Decoration & welcome of the Honourable Union Minister & Governor including cast of Zari Garlands etc.	797.00
17.	Expenditure incurred for conveyance of V.I.P.'s, M.L.A. through pool vehicles & transporation of other material on private trucks as per bills sent by Collector, Sri Ganganagar.	1,636.00
18.	Importation of labour & other Misc. charges.	1.897.00
19.	Add 1% for contingencies.	329.00
	Total:-	33,298.00
	Say :-	33.200.00
	Total:-	33,300.00

Chargeable to:-

68-Irrigation Works I works, Main Canal & Branch

O. Miscellenious.

N. B.:-In respect of item No. 14 of expenditure of Rs. 1,034.15 nP. on was incurred and which has been borne by the Municipal Board Hanumangarh. Thus the expenditure on lunches, dinner etc. comes to Rs. 3,860/-only.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ का उत्तर देखिये)

(१) वीर दुर्गादास नगर:—सूरजपोल के बाहर जोधपुर नहर से सुमेरपुर रोड तक व सुमेरपुर रोड से लोहाड़िया तालाब तक। इस उप-नगर में राजकीय व नगरपालिका अल्प आय कर्मचारी तथा अन्य अल्प आय वाले व्यक्तियों को भूखण्ड एलाट किये जावेंगे। दूसरे प्लॉट आम नीलाम द्वारा विक्रय किये जावेंगे इसलिए प्लॉटों की संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि योजना विचाराधीन है।

(२) सर्वोदय नगर का विस्तार:—लोहाड़िया तालाब के उत्तर पूर्व में।

इस नगर में ६४ भूखण्ड पहले ही अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दे दिये गये हैं। अब इस नगरी का विस्तार कर ५१ भूखण्ड और काटे गये हैं जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों एवं अल्प आय वालों को एलॉट किये जायेंगे। यह योजना अभी तक विचाराधीन है।

(३) सरदार पटेल नगर:—रेल्वे स्टेशन के उत्तर पश्चिम में।

इस उप-नगरी में औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अल्प आय वाले व्यक्तियों को प्लॉट एलॉट किये जावेंगे व कुछ प्लॉट नीलाम द्वारा विक्रय किये जावेंगे। योजना विचाराधीन है।

(४) सुभाष नगर:—मील पाली के आगे जोधपुर रोड़ और रेल्वे लाइन के बीच।

इस उप-नगरी में अधिकांश भूखण्ड नीलाम द्वारा विक्रय किये जावेंगे। योजना विचाराधीन है।

(५) रामदेवपुरी:—पुरुषार्थी नगर के पश्चिम में।

इस उप-नगरी में २१ भूखण्ड भांभी जाति के व्यक्तियों को एलॉट किये गये हैं और १६ भूखण्ड गाडोलिया लोहारों तथा अन्य अल्प आय वाले व्यक्तियों को एलॉट किये

जायेंगे। इस उप-नगर में १० प्लॉट आम नीलाम के द्वारा विक्रय कर लिए हैं तथा ५ प्लॉट आम नीलाम के द्वारा विक्रय किये जावेंगे। इस प्रकार इस उप नगर में कुल ५५ प्लॉट्स हैं।

(६) तिलक नगरः—मेला दरवाजा के बाहर पशु चिकित्सालय के दक्षिण पश्चिम में।

यह नगर गुमास्तों, मुनीमों राजकीय व नगरपालिका कर्मचारियों को, जो अल्प आय वाले होंगे तथा पुरुषार्थियों को बसाया जावेगा यह योजना विचाराधीन है।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ का उत्तर देखिये)

सूची मरम्मत किये गये बांधो की

क्रमांक	नाम बांध	तहसील	लागत	विशेष विवरण
१.	रावत वाला	चाकसू	४५००.००	—
२.	माधोराजपुरा	फागी	२१६४.००	—
३.	नैनसिया	फागी	२२६५०.००	इसके नाके के बन्द करने में ८८००) खर्चा हुआ और बाकी रुपया १३८५० बंध के जीर्णोधार करने में खर्च हुआ।
४.	जैतपुरा	फुलेरा	१२७१६.००	बांध के नाके के बन्द करने में २३२६ और बाकी १०३३०) बांध के जीर्णोंधार करने में खर्चा हुआ।

सूची उन बांधों की जिनका प्रावधान सन् १९५७ से ६० तक रहा किन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।

(१) रायपुर

(२) श्यामपुर बिहार

(३) पोंस

(४) रेला

(५) कोठी नारायणपुर

(६) लखनका

(७) गुठा रामपुर

(८) नागला बनजीर

(९) सोमावती

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८०७१	६	and Vend	and in Vend
,,	७	ronsumed bv	consumed by
८०७४	७	श्री विश्वम्भरनाथ	६३१. श्री विशम्भरनाथ
,,	२८	Satute	Statute
८०७८	११	जनना	जनाना
८०७९	२०	श्री बद्रीप्रसाद्	श्री बद्रीप्रसाद्
८०८१	१७	कम, होता है	कम होता है
८०८३	३	कीमेन्स	वीमेन्स
८०८५–८६	शीर्षक	११ अप्रेल	१३ अप्रेल
८०९१	,,	८०१]	८०९१]
८०९२	,,	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
८०९८	अन्तिम से २	Nest	Next
८१००	१२	रेशियों	रेश्यो
८१०५	१९	तुड़वाने बजाय	तुड़वाने के बजाय
८१०७	शीर्ष	श्र L L L	श्री अध्यक्ष
८११६	६	ट्रेनिंग विभाग ग्राउन्ड	ट्रेनिंग ग्राउन्ड
८१२४	२३	Naraian	Narain
८१२९	२०	बांध	बांध
८१३०	१०	की स्थति प्रश्न	का स्थगित प्रश्न
८१३१	१७	रावतराम पारीक	रावतमल पारीक
८१३५	१६	का नवम्	के नवम्
८१४१	२२	सचोते का	सोचने का
८१४३	१३	लगाने	लगने
८१४४	१५	से हिसाब	हिसाब से
८१४७–४८, ४९, ५०, ६७–६८, ८२१७, ८२१८	शीर्षक	अप्रेल.६०	अप्रेल ६१

१	२	३	४
८१४७	११	है । और	है ।
८१४६	शीर्षक	यंचवर्षीय	पंचवर्षीय
८१५३	शीर्षक	धंचवर्षीय	पंचवर्षीय
,,	४	वही का	वहीं का
८१५८	२२	निश्चिय तौर	निश्चित तौर
८१५६	अन्तिम से ३	किया इस	किया कि इस
८१६३	२४	कर्ज़ा कोई	कोई कर्जा
,,	अन्तिम	औद्योगीकरण	औद्योगीकरण
८१६४	१५	योजन के	योजना के
,,	१६	प्रतिबिम्बत	प्रतिबिम्ब
८१६५	१५	लद्यो	लक्ष्यों
,,	२३	इन्टेसिव	इन्टेन्सिव
८१६६	४	होना है	होता है
८१६७	४	एनीक्टस	एनीकट्स
८१६६	१५	जो रिनर्स	जो रिटर्न्स
८१७०	२५	डिपाटमेन्टल	डिपार्टमेन्टल
८१७१	अन्तिम पंक्ति	विद्वनों	विद्वानों
८१७२	२२	के लिये कुछ	के लिये
८१७३	शीर्षक	पंचवर्षीय	पंचवर्षीय
८१७६	,,	राएर न तृ	राजस्थान तृतीय
,,	अन्तिम से ४	तरीको	तरीके
८१८०	स्कम्भ	—	[८१८०
८१८३	२७	इकॉनमिक	इकोनोमिक
८१८५	१४	पोटेन्शिल	पोटेन्शियल
८१८७	१५	लागतार	लगातार
८१६१	१३	लिये बे	लिये ये
८१६६	१६	तग्क्की	तरक्की
८१६६	२६	आतां ।	आतीं ।
८२००	२५	फैक्टस	फैक्ट्स
८२०१	शीर्षक	ततीय	तृतीय
,,	८	फेक्टर	फैक्टर
,,	अन्तिम से ४	किएट	क्रिएट

(३)

१	२	३	४
,,	अन्तिम पंक्ति	डेवल्पमेंटल	डेवलपमेंटल
८२०२	१	Spaec	space
,,	२५	Mem bersin	Members in
८२०७	२०	रेशयो	रेंश्यो
८२०६	७	उपाध्यक्ष महोदय	श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय
	२१	अलकेशन नेशनल प्रोजेक्ट	एलोकेशन नेशनल प्रोजेक्ट
,,		मान कर ३	मानकर
८२१०	१०	कन्जम्पशन	कन्ज़म्शन
,,	२६–३०	रिवाइल्ड	रिवाइज़्ड
८२११, ८२१३, ८२१५ व ८२१७	शीर्ष	(श्री उपाध्यक्ष)	(श्री पी० के० चौधरी)
८२१३ व ८२१६	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
८२१८	६	जयपुर कि	जयपुर की
,,	अन्तिम पंक्ति	डिस्क्स	डिस्कस
८२२१	१	फालिंग	फालिंग
८२२४	१	के जो	वे जो
८२२६	१३	पीनी	पानी
८२२७–२८	शीर्षक	८२२६] [८२३०	८२२७] [८२२८
८२२७	शीर्ष	(श्री पी. के. चौधरी)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
८२३१	३	soi.	soil.
,,	७–८	impotant	important
८२३४	३	डिपार्टमेन्टस	डिपार्टमेन्ट्स
८२३७	१८	ढोनों	दोनों
८२३८	अन्तिम से ३	कॉलेजें	कॉलेजों
८२३६	७	स्टेट्स	स्टेटस
८२४०	शीर्षक	३ योजना	योजना
८२४७	शीर्ष	श्री तेजाराम	श्री तेजमल
,,	अन्तिम पंक्ति	त	तो
८२५३	२८	रेश्यो है	रेश्यो १ : २ : ६३ है
८२५७	शीर्षक	ततीय	तृतीय

१	२	३	४
८२६३-६४व	,,	१२ अप्रेल	१३ अप्रेल
८२७३–७४			
८२६५	१	वैड्स	ब्रैड्स
८२६६	अन्तिम से ४	एक्ज़ाम्पल	एग्ज़ाम्पल
८२७७	शीर्षक	पंचवर्षोय	पंचवर्षीय
८२७९	,,	राजस न तृीय	राजस्थान तृतीय
८२७९	२	डालनी है जो	जो डालनी है
८२८७	१	पीनी के	पानी की
८३०५	३–४	INAUGRATION	INAUGURATION
,,	१५	Sriganagar	Sriganganagar
,,	अन्तिम से २	repes	ropes
८३०७	२	on	only

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८१३५	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री सचिव)
८१६३	शीर्षक	पंचवर्षीव	पंचवर्षीय
८१८५			
८१८६	,,	१२ अप्रेल, ६१	१३ अप्रेल, ६१
८२३५	शीर्ष	(राव श्री नरेन्द्रसिंह)	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)
८२६९			
८२७०	शीर्षक	१३ अप्रेल, ६०	१३ अप्रेल, ६१
८२७३	,,	राजस्थन	राजस्थान